खण्ड-236, अंक-8
शुक्रवार, 11 कार्तिक, शक संवत् 1884
(2 नवम्बर, 1962 ई0)

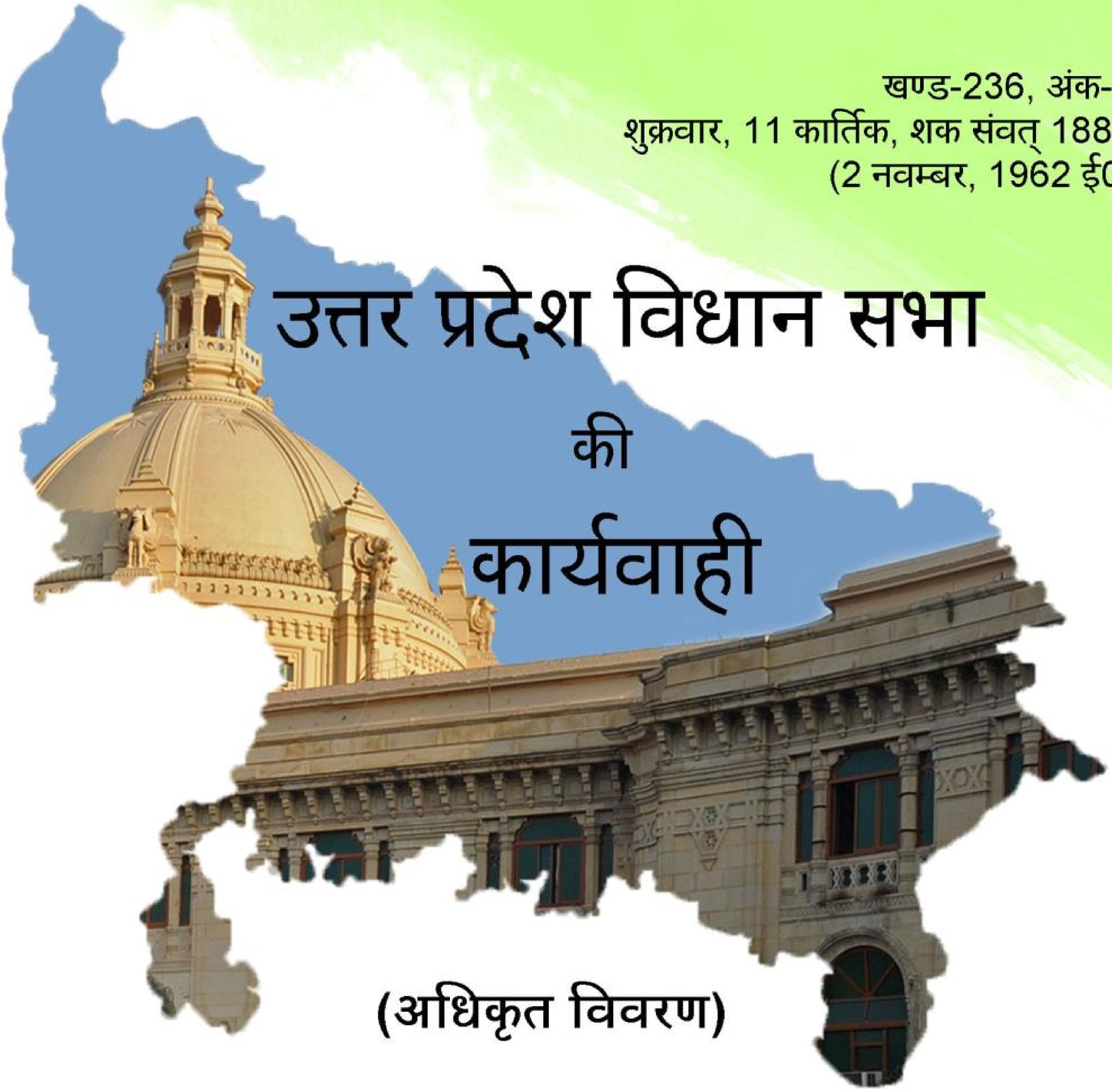

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७५५–७५९
प्रश्नोत्तर	७५९–८०५
प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति	८०५–८०६
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	८०६
फर्रुखाबाद में दीनी तालीम कांफ्रेंस में परिवहन मंत्री के सभा सचिव, श्री शाहिद फाखरी द्वारा दिये गये भाषण के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	८०६–८०७
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के संबंध में सूचना (जारी)	८०८–८०९
२१ सितम्बर, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ४७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	८०९
१९६२–६३ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद	८०९–८१४
१९६२–६३ के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत जोत कर तथा अनुदान संख्या २-भू-राजस्व (मालगुजारी) (स्वीकृत)	८१४–८१७
अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन-(स्वीकृत)	८१७–८२३
समस्त अनुदानों को एक साथ लेने के लिये प्रार्थना	८२३–८२७
१९६२–६३ के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—गाँव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत) ..	८२७
अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल) (स्वीकृत)	८२७
अनुदान संख्या १५—पुलिस (स्वीकृत)	८२७
अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	८२८
अनुदान संख्या १८—शिक्षा (स्वीकृत)	८२८
अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (स्वीकृत)	८२८
अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	८२८
अनुदान संख्या २१—कृषि संबंधी विकास (स्वीकृत) ..	८२८
अनुदान संख्या २३—पशुपालन (स्वीकृत) ..	८२८
अनुदान संख्या २४—सहकारिता (स्वीकृत) ..	८२८
अनुदान संख्या २५—उद्योग (स्वीकृत) ..	८२९
अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण (स्वीकृत) ..	८२९
अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत) ..	८२९
अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय (स्वीकृत) ..	८२९
अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	८२९
अनुदान संख्या ३३—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) (स्वीकृत) ..	८२९
अनुदान संख्या ३७—संचार-साधनों का सुधार (स्वीकृत) ..	८२९

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	८२९
अनुदान संख्या ४०—परिवहन (स्वीकृत)	८३०
अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत) ..	८३०
अनुदान संख्या ४५—वन (स्वीकृत)	८३०
अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	८३०
अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	८३०
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	८३०
अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	८३०
अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	८३०
अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	८३१
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२ (विचारोपरांत पारित)	८३१–८३५
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के संबंध में सूचना (जारी)	८३५–८३६
लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट व राज्य मद्य निषेध बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	८३६
इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	८३६–८३७
१९५८–५९ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान	८३७–८३८
अनुदान संख्या ४—स्टाम्प (स्वीकृत)	८३८
अनुदान संख्या ६—निबंधन (रजिस्ट्रेशन) (स्वीकृत) ..	८३८
अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय (स्वीकृत) ..	८३८
अनुदान संख्या १७—पुलिस (स्वीकृत) ..	८३८
अनुदान संख्या २४—विद्युत योजनाओं पर व्यय (स्वीकृत) ..	८३८
अनुदान संख्या २५—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय (स्वीकृत) ..	८३८
अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	८३९
अनुदान संख्या ३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	८३९
अनुदान संख्या ३५—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	८३९
अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे (स्वीकृत)	
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	८३९–८४२
"भारत का संविधान" में कांस्टीट्यूशन (थर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२, तथा कांस्टीट्यूशन (फोर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२ द्वारा प्रस्तावित संशोधन (स्वीकृत)	८४२
पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संबंध में तथाकथित गलत कागजात तैयार कराने के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत श्री गेंदासिंह द्वारा दी गई सूचना पर विवाद	८४३
चीनियों द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं के अतिक्रमण के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	८४३–८४९
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के संबंध में सूचना ..	८४९
नत्थियां	८५०–८६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २ नवम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३७९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
वसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री

शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा सिंचाई उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २ नवम्बर, १९६२

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सहारनपुर जिले के 'शाकुम्भरादेवी' मेले में झगड़ा

१—ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि सहारनपुर जिले के महत्वपूर्ण मेले 'शाकुम्भरादेवी' जो ११,१२,१३ अक्तूबर को इस साल हुआ उसमें पुलिस तथा यथाकथित सेवा दलों के बीच हुये झगड़े का क्या कारण था तथा उसमें दोनों ओर से कितने-कितने व्यक्ति घायल हुये ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—इस घटना में मैजिस्ट्रेट द्वारा जाँच हो रही है अतः झगड़े का निश्चित कारण बताना इस समय संभव नहीं है ।

इस झगड़े में ११ पुलिस कर्मचारी तथा सेवा दलों के २८ स्वयं सेवकों को चोट लगने की सूचना है ।

**२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार बतायेगी कि इस मेले में प्रांतीय सरकार के किन-किन मंत्रियों ने भाग लिया और वहाँ कितने-कितने दिन वास किया ?

श्री नवलकिशोर—इस मेले में श्री फूलसिंह मंत्री, लघु उद्योग, १० अक्तूबर की सायंकाल से १३ अक्तूबर के प्रातः तक रहे थे तथा श्री गिरधारीलाल, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ११ अक्तूबर की शाम को इस मेले में गये थे तथा वे उसी दिन लौट गये ।

**३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस मामले में किन कारणों से Judicial inquiry के आदेश हुये ?

श्री नवल किशोर—इस मामले में केवल मैजिस्ट्रेट द्वारा जाँच हो रही है न कि कोई विशेष न्यायिक जाँच। अतः न्यायिक जाँच के कारणों के बारे में प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार बतायेगी कि जिस वक्त यह मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी तो वह सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—मैजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट आती है उसको सदन की मेज पर रखने की प्रथा नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आयेगी उस पर सरकार जरूर अमल करेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ठाकुर फूलसिंह वहाँ पर १३ तारीख के सुबह तक रहे और यह वाकया जो हुआ है वह १३ तारीख के दोपहर को हुआ और रात में फिर ठाकुर साहब दोबारा उस जगह पहुंच गये तो फिर कौन सी ऐसी हालत थी जिसकी वजह से मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी का आर्डर दिया गया ?

श्री नवलकिशोर—मैंने उत्तर में कहा कि ठाकुर साहब उस दिन सुबह तक रहे। जब झगड़ा हुआ तो वह तो दोपहर को हुआ और यह सेवा दल के वालन्टियर और पुलिस के बीच हुआ। उसके लिये यही उचित समझा गया कि इसमें मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हो जाय तो पक्षपातहीन तथ्य हमारे सामने आ जायेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार इस उसूल को देखते हुये कि जहाँ कहीं कोई पुलिस और दूसरे आदमियों में झगड़ा हो उन पर हर मामलों में सरकार यह उचित समझती है कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी लाजिमी होनी चाहिये और अगर नहीं तो यहाँ कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनकी वजह से इस झगड़े की मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी का आर्डर दिया गया ?

श्री नवलकिशोर—मैं तो समझता था कि माननीय सदस्य, इसका स्वागत करेंगे कि सरकार ने इसके लिये मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी करा दी वरना यह कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल नहीं है कि इंक्वायरी कराई जाय अथवा जो वाकयात होते हैं उनका मेरिट के हिसाब से फैसला किया जाता है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या कारण था जिससे यह झगड़ा हुआ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, १३ तारीख की सुबह, जो वहाँ पर पर्व होता है वह दो दिन में समाप्त होता है, उसमें कुछ झगड़ा हुआ । वहाँ पर देवी का मंदिर है। उसके विषय में दो वर्जन हैं। सेवादल के लोगों का यह कहना है कि वे लोग देवी जी का दर्शन करने के लिये वहाँ गये थे तो उनको पुलिस ने पीटा । पुलिस का यह कहना है कि वहाँ पर लकड़ी का एक बाड़ा लगाया गया था ताकि जो कीमती चीजें या भेंट जो देवी जी के लिये दी जाय, उसमें कोई गड़बड़ न हो। इन लोगों ने जो लकड़ी का बाड़ा था उसके अन्दर जाने की कोशिश की और उसके अन्दर घुस गये। उस पर जो वहाँ पर पुजारी थे उन्होंने आपत्ति

की तो ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने पुजारी को पीटा। पुजारी ने शोर मचाया तो पुलिस ने उसको जाकर बचाया इस पर उन को पीटा गया और तब इन लोगों को भी उन्होंने पीटा। उस समय कुछ लोग और भी आ गये तो उसके अन्दर दोनों दलों में मारपीट शुरू हो गई।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार बतलायेगी कि ठाकुर फूलसिंह १५ तारीख को कचहरी में बैठकर अपने सामने गवाहों की पेशी कराते रहे?

श्री नवलकिशोर—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि वहाँ पर जब मेला लगता है तो दो दल, एक काँग्रेस सेवा दल और एक शहर का सेवा दल लोगों की सेवा के लिये वहाँ पर भेजा जाता है। इसके अलावा पुलिस का भी इन्तजाम था। यह दोनों सेवा दल पहले जब वहां पर मेले लगते थे तो वहाँ पर इन्तजाम करते थे लेकिन इस बार ऐसी क्या विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि सेवादल के लोगों को पीटा गया और उनके २२ आदमियों को चोटें आईं? इसका कारण मंत्री जी बतलायेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इसका कारण अभी थोड़े शब्दों में बतलाया गया। एक घेरा वहाँ पुलिस की तरफ से लगा हुआ था जिसे पार कर के कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। अब पुलिस की तरफ का वर्जन यह है कि यह सेवादल के लोग उस घेरे को पार कर के अन्दर गये और सेवादल वालों का कहना है कि हम उस के अन्दर नहीं गये। तो यह दो वर्जन्स ऐसे हैं कि जिन पर कदाचित् मैजिस्टोरियल इंक्वायरी से हमको कुछ मैटोरियल मिल सके जिससे हम जान सकें कि तथ्य क्या है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस मारपीट में कितने पुलिस वालों को चोटें आयीं और उनका इलाज कहाँ हुआ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, पुलिस के ११ सिपाहियों को चोटें आयीं और सेवादल के २८ वालंटियरों को चोटें आयीं।

श्री मैनेजरसिंह—और उनका इलाज कहाँ हुआ?

श्री नवलकिशोर—जिन पुलिस वालों को चोटें आयी थीं उनमें से एक को छोड़ कर जिसे १४ चोटें आयीं और जो अस्पताल में हैं, बाकी को सिम्पुल चोटें थीं उनको मामूली फर्स्टएड करके छोड़ दिया गया। और जो वालंटियर्स थे उनमें १३ को कंपाउन्डर ने फर्स्ट एड दी और तीन को ज्यादा चोटें थीं वे एक दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिये गये। बाकी के मामूली चोटें थीं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि माननीय फूलसिंह जी ने इस घटना से पहले वहां एक भाषण दिया था जिसमें शहर से जो सेवादल के लोग हर साल वहां आ कर जनता की सेवा करते हैं उनको न आने के लिये पुलिस को प्रोत्साहन दिया था, जिसके कारण यह घटना हुई?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जब सेवा दल के लोगों को पुलिस ने वहां जाने से रोका तो उन्होंने लाठी चलायी और पथराव किया जिसके फलस्वरूप पुलिस वालों ने सेवादल के लोगों को पीटा?

श्री नवलकिशोर—पुलिस का यही वर्जन है जो कि माननीय ऊदल जी ने फरमाया।

बाढ़ एवं वर्षा पीड़ित विद्यार्थियों को सहायता

**४—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) तथा श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि पीड़ित जिलों के छात्रों की फीस, पुस्तक आदि की सहायता हेतु जो आदेश जिलाधीशों को जारी किया गया है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५०–८५२ पर)

**५—श्री मदनपालसिंह, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री रामायण राय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेस्ट वर्क जारी करने के लिये किन-किन जिलों के जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं और इस काम के लिये कितना कितना रुपया दिया गया है ?

श्री बृजबिहारी—टेस्ट वर्क चलाने के लिये सरकार की ओर से वस्तुतः कोई आदेश नहीं दिये जाते हैं ।

जिलाधीशों के सुझाव पर यदि आवश्यक समझा गया तो अनुमति व धनराशि दे दी जाती है ।

चालू वित्तीय वर्ष में ५ जिलों को कुल ८,३०,००० रुपये टेस्ट वर्क के लिये स्वीकृत किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

		रु०
१—आजमगढ़	..	७०,०००
२—गोरखपुर	..	६,९०,०००
३—अलीगढ़	..	१०,०००
४—अल्मोड़ा	..	३५,०००
५—देवरिया	..	२५,०००
योग	..	८,३०,०००

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि बाढ़ से नुकसान वाली तालिका में माननीय मंत्री जी ने ३५ जिलों का नाम दिया था तो फिर क्या कारण है कि छात्रों की सहायता केवल ८ जिलों में ही की जा रही है ?

श्री बृजबिहारी—जिन जिलों से मांग आयी थी उसके अनुसार ही यह धनराशि दी गयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो सहायता इन ८ जिलों के छात्रों को दी गयी है उसे देने का आधार क्या है ? यह कैसे जाना गया कि किस जिले को कितनी आवश्यकता है या जिलाधीशों की ओर से जो मांग की गयी उसी के आधार पर यह धनराशि दी गयी है ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, जिस तरह से जहां जहां से जैसी मांग आई उसी के अनुसार हिसाब लगाकर यह धनराशि स्वीकृत की गई । इन ८ जिलों के लिये यह है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो आदेश जारी किये हैं, जो ८ जिलों के लोगों को अतिवृष्टि और फ्लड के स्टाइपेन्ड की व्यवस्था की है तो उसमें जौनपुर जिले का नाम नहीं है ? वहां की तीनों नदियों से बाढ़ की स्थिति में वहां के ४२१ गांव अच्छी तरह से प्रभावित हुए और वहां की जनता परेशान है । फिर भी इस लिस्ट में जौनपुर का नाम नहीं है । क्या जौनपुर के लोगों को भी जो कि बाढ़ से पीड़ित हुए हैं और अति वृष्टि से परेशान हुए हैं उनकी सहायतार्थ कुछ अनुदान देने पर विचार करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—इस पर विचार किया जा सकता है । मैंने बता भी दिया कि जहां जहां से मांग आई उस पर विचार किया गया जहां से आयेगी उस पर विचार किया जायगा और स्वीकार किया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—अभी उत्तर में ५ जिलों का जिक्र किया गया है और मंत्री जी ने ८ जिलों की बात कही है । यह टेस्ट वर्क में ५ हैं आप देख लें । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी जिलों में रुपया क्यों नहीं दिया गया और अन्य जिलों के जिलाधीशों ने कोई सुझाव सरकार को दिये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह कहा कि जहां जहां जिन जिलाधीशों ने मांग की उसके अनुसार व्यवस्था की गई है । अब उसके ऊपर कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि देवरिया, गोरखपुर बस्ती और बलिया के जिलाधीशों ने तथा जौनपुर के जिलाधीश ने सरकार को टेस्ट वर्क चलाने के लिये कितने रुपये की मांग की थी और कितने दिन वह टेस्ट वर्क चलाना चाहते थे ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, मैंने एक दूसरा प्रश्न किया था कि जिलाधीशों ने कितनी धनराशि की मांग की थी ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, यह आजमगढ़ से मांग हुई थी ८० हजार की एक बार ३-४-६२ को और १ लाख की १०-९-६२ को । पहले वाले में ५० हजार और दूसरी में २० हजार की धनराशि स्वीकृत की गई । गोरखपुर में २ लाख की मांग थी १९-३-६२ को जिसमें १ लाख रुपये मंजूर हुए । फिर २७-४-६२ को २ लाख की मांग थी जिसमें २ लाख मंजूर हो गए । फिर १ लाख की मांग थी १-८-६२ को जिसमें १५ हजार रुपये स्वीकृत हुए फिर ३ लाख २५ हजार ४ सौ पांच की मांग थी १९-९-६२ को जिसमें ३ लाख २५ हजार स्वीकृत हो गए थे । फिर १५-१०-६२ को २ लाख की मांग थी जिसमें ५० हजार स्वीकृत हुए । अलीगढ़ में १० हजार की मांग थी और १० हजार की स्वीकृति हो गयी । अल्मोड़ा में ३५ हजार की मांग थी और ३५ हजार रुपया स्वीकृत हो गया । देवरिया में ३,५९,००० की मांग थी और २५ हजार स्वीकृत हुआ ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मंत्री जी ने अपने उत्तर में पिछले टेस्टवर्कों का भी जोड़-जाड़ कर के सब हिसाब-किताब पक्का कर दिया है । अभी पिछली बाढ़ के बाद ३ लाख कई हजार रुपया नियम ५२ की सूचना मिलने के बाद गोरखपुर भेजा उसको भी जोड़े बैठे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि ३ लाख ६२ हजार देने के बाद कितनी धनराशि गोरखपुर में स्वीकृत की गयी है और देवरिया में जो स्वीकृत की गयी है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मांगने के बावजूद भी उतनी क्यों नहीं स्वीकृत की गयी ?

श्री बृजबिहारी—मैंने निवेदन कर दिया कि देवरिया में ७ जून, सन् ६२ को ३,५९,००० रु० की मांग थी और २५ हजार रुपया स्वीकृत किया गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—जिलाधीश, बलिया ने करीब २८ लाख की क्षति की रिपोर्ट सरकार को दी थी, उन्होंने करीब दो ढाई लाख की मांग की थी टेस्ट वर्क के लिये और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिये, तो उस पर सरकार ने क्या किया मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आदेश जो सरकार का गया है उसमें आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि जो रकम इन जिलों को दे दी गयी है इससे ज्यादा रकम अब बढ़ायी नहीं जायगी, तो आठों जिलों के जिलाधीशों ने सहायता के लिये कितने-कितने रुपये की मांग की थी और इस सहायता में रकम न बढ़ाने का कारण क्या है ?

श्री बृजबिहारी—साधन का अभाव हो सकता है । मांग कितने की की गयी इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं व्यवस्था का सवाल रखता हूं । आपको खयाल होगा, माननीय राजस्वमंत्री ने कहा था कि जिन जिलाधीशों ने जितने रुपये की मांग की थी उतना उनको दिया गया, अब वह कहते हैं कि क्या मांग की थी उसके आंकड़े उनके पास नहीं हैं । फिर उन्होंने कहा था कि मांग के बाद भी जरूरत होगी तो दिया जायगा । अब कहा जाता है कि देना असंभव है तो दोनों में एक ही बात सही हो सकती है । तो आप हमको उनकी ओर से बता दें कि कौन-सी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष—क्या आपने कहा था कि जितनी मांग हुई थी उतनी हमने दी ?

श्री बृजबिहारी—वह कभी नहीं कहा । टेस्ट वर्क के लिये निवेदन किया था, सम्मानित सदस्य दोनों को कन्फ्यूज कर रहे हैं । जिलों की ओर से जितनी जितनी मांग की गयी थी उसमें कुछ कमी करके दिया गया है । जहां जहां की जो आवश्यकतायें थीं उनके आधार पर निर्णय लिया गया और उसको देखते हुये फीस वगैरह दी गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो सहायता क्षेत्रों में दी गयी है उसका आधार क्या है ?

श्री बृजबिहारी—स्कूलों के लिये १० रुपये से अधिक प्रति छात्र को नहीं दी गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, सवाल कुछ है जवाब कुछ है ।

श्री अध्यक्ष—वे यह पूछते हैं कि आपने किस प्रिन्सिपिल के आधार पर यह निर्णय लिया कि किस-किस जिले में कितना देना चाहिये ?

श्री बृजबिहारी—वहां की आवश्यकताओं को देखते हुये निर्णय लिया गया ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—देवरिया जिले की क्षति को आपने सर्वाधिक बताया है और जब वहां के जिलाधीश ने एक निश्चित रकम क्षति के मुताबिक मांगी तो आपने काट कर २५ हज़ार ही कर दिया इसका क्या कारण है ?

श्री बृजबिहारी—कारण के लिये सूचना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—टेस्ट वर्क शुरू करने के लिये जिलाधीशों को आदेश गये हैं, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां मजदूरों को मजदूरी देने के लिये भी कोई नयी व्यवस्था की गयी है ?

श्री बृजबिहारी—जो नियम हैं उनके मुताबिक उनको मजदूरी दी जायेगी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—जौनपुर के जिलाधीश ने कितनी रकम मांगी थी और कितनी स्वीकार की गयी, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ? पूरी रकम मंजूर न करने के क्या कारण थे ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये भी नोटिस चाहिये ।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, ५ तारीख के लिये यह प्रश्न स्थगित कर दिये जायं ताकि उस दिन माननीय मंत्री जी पूरी सूचना के साथ यहाँ आयें ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद के जिलाधीश ने बाढपीड़ितों के लिये जो सहायता मांगी थी वह कितनी थी और उसमें से कितनी स्वीकार की गयी ?

श्री अध्यक्ष—इस सब की लिस्ट उनके पास नहीं है। आप उसके लिये अलग से प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—३ लाख कई हजार रुपया देने के बाद गोरखपुर से नये सिरे से इस वर्ष टेस्ट वर्क्स चलाने के लिये कितना रुपया माँगा गया और कितना मंत्रीजी ने दिया? यही प्रश्न देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ के लिये पूछा था ।

श्री बृजबिहारी—मैंने तारीखवार बता दिया कि गोरखपुर के जिलाधीश ने कितना मांगा था और कितनी रकम स्वीकृत की गई। और क्या जवाब दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि ३ लाख ६२ हजार पया देने के बाद कितना रुपया दिया गया और जिलाधीश ने कितना माँगा था ?

श्री बृजबिहारी—गोरखपुर के लिये ६ लाख ९० हजार रुपया स्वीकृत हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—उसमें से कितना भेजा गया ?

श्री बृजबिहारी—सम्भवतः सभी गया होगा। सूचना की जरूरत है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अभी दफा ५२ जो टैस्ट वर्क्स की मजदूरी के सम्बन्ध में सदन में था उस सिलसिले में मंत्रीजी ने बतलाया था जुलाई में, कि जनवरी के पहले का पैसा टेस्ट वर्क्स की मजदूरी का देना बाकी है जिसे अब भेज दिया गया है। ३ लाख से ऊपर जो रुपया भेजा गया क्या यह ६ लाख ९० हजार में शामिल है ?

श्री बृजबिहारी—देखना होगा। सूचना चाहिये ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

कानपुर में नहर की पटरी चौड़ी करने की मांग

*१—**श्रीमती सुशीला रोहतगी** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में कलेक्टरगंज रोडवेज के स्टेशन के पास दुर्घटनाओं को रोकने के लिये नहर की पटरी को चौड़ा करने की कोई योजना बन रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी नहीं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—क्या सरकार को मालूम है कि जहाँ वर्तमान कलेक्टरगंज बस स्टेशन है वहाँ सड़क ही पतली है और नहर की पटरी घिरी हुई है; इससे वहाँ दुर्घटनायें सुनने में आती हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह सच है कि वहाँ दुर्घटनायें होती हैं। लेकिन यह पुराने और बड़े शहरों की बदकिस्मती है कि जब वे बसाये गये थे तो टाउन प्लानिंग का कोई प्लान नहीं था कि कितनी चौड़ी सड़कें होनी चाहियें। इसके अलावा, बस स्टैंड आबादी के करीब भी रखना चाहते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि उस सड़क को चौड़ी कैसे किया जाय।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—पिछले सप्ताह यह आश्वासन दिया गया था कि अगर कानपुर नगरमहापालिका कोई योजना बनावेगी कि वह नहर रमणीक और सुन्दर बनाई जाय और उसमें नहर की पटरी को चौड़ा करना सम्मिलित है तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हाईपाथेटिकल सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता जब यह सवाल आवेगा तब देखा जायगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कलेक्टरगंज बस स्टेशन पर बच्चों की दुर्घटनायें होती हैं और स्टेशन के पीछे जो नाले की नीची जगह है उस पर पटरी बिछाने से जगह निकल सकती है और क्या सरकार नाले को पाटने पर विचार करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—हाईपाथेटिकल का नहीं लेकिन इम्पोरेटिव सवाल का जवाब तो दिया जा सकता है, तो क्या सरकार पहली फरवरी से कानपुर में रोडवेज की बसें चलाने के सम्बन्ध में कलेक्टरगंज बस स्टेशन को वहाँ से दूसरी जगह स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी टाउन प्लानिंग को ध्यान में रखते हुये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अपने सिस्टर डिपार्टमेन्ट से बात करके यह बात निश्चय होगी।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बस स्टेशन को हटाने के लिये सरकार ने कोई आश्वासन ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से दिया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ही बतला सकेंगे। मैं इतनी दूर से उनसे परामर्श कर नहीं सकता हूं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—कलेक्टरगंज बस स्टेशन पर कितनी बसें रोजाना आती हैं और जाती हैं और कितना एरिया वहाँ पर है ? मेरा ख्याल है कि वहाँ जितनी बसें आती हैं उनके खड़े होने तक के लिये जगह नहीं है। पिछले ३ महीने में वहाँ पर कितनी मृत्युयें हुईं?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न विचाराधीन है। कारपोरेशन से बातचीत चल रही है ?

श्री बलवानसिंह—कितनी बसें रोजाना आती जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह इम्पार्टेंट नहीं है।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—इस बारे में एक कानफ्रेंस हो चुकी है आफ़ीशल्स की। उसमें यह तय हो चुका है कि नहर को पाटकर वहाँ जगह निकाली जायगी।

नदी गांव विलीन क्षेत्र के अध्यापकों का वेतन

*२—**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नदी गाँव क्षेत्र के जिला जालौन में विलीन होने पर उस विलीन क्षेत्र के अध्यापकों को क्या विलीनीकरण के दिनाँक से उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का ग्रेड दिया गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

*३—क्या शिक्षा मंत्री को यह भी ज्ञात है कि बाँदा, झांसी, हमीरपुर में जो क्षेत्र विलीन हुये उनके अध्यापकों को यू० पी० के अध्यापकों का ग्रेड दिया गया और उनको विलीनीकरण के दिनाँक से एरियर भी दिया गया ? यदि हाँ, तो नदी गाँव विलीन क्षेत्र जिला जालौन के उसी प्रकार के अध्यापकों को विलीनीकरण के दिनाँक से एरियर क्यों नहीं दिया गया और अब सरकार उसकी क्या व्यवस्था कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—शिक्षा निदेशक से सूचना प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री विजयसिंह—यह प्रश्न मैंने २५-९-६२ को दिये थे और बीच में यह आश्वासन दिया गया था कि जल्दी उत्तर आ जावेंगे । विभाग की ओर उपेक्षा की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—मंत्रीजी, प्रश्न संख्या २ में क्या दिक्कत है ?

श्री अजीज इमाम—अभी सूचना नहीं आई है । आने पर फौरन बता दिया जायगा ।

श्री विजयसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जालौन के अध्यापक परेशान हैं और वहाँ के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—मुझे खेद है कि कभी-कभी इस प्रकार का उत्तर देना पड़ता है । मैं आपको और सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कोई मंशा सूचना छिपाने की नहीं है । लेकिन जब तक हमारे पास सही और पूरी सूचना न आजावे तक तब हम अधूरा उत्तर नहीं देना चाहते हैं ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई के कुएं तथा चकबन्दी के मामले

*४—**श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ से १९६० तक गाजीपुर जिले में सिंचाई का कुआँ बनाने के लिये चकबन्दी विभाग द्वारा या उनकी सिफारिश पर किन-किन लोगों को कुआँ बनाने के लिये रुपया दिया गया और उसमें कितने कुएं अब तक बनकर तैयार हो गये हैं ? क्या सरकार इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी—सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

*५—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग द्वारा कितने गाँवों के चक बनाये गये हैं, जिन पर पत्थर गाड़ा गया है और कितनों पर पत्थर गाड़ना बाकी है ?

श्री बृजबिहारी—जोत चकबन्दी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में कोई इस प्रकार का प्राविधान नहीं है कि चकों के कोनों पर चकबन्दी विभाग द्वारा पत्थर गाड़े जायं । अतः प्रश्न का आखिरी भाग नहीं उठता ?

*६—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चकबन्दी द्वारा जिलेवार कितने मुकदमें अपील तथा निगरानी दाखिल हुये और उसमें कितने मंजूर हुये और कितने बिना सुने खारिज किये गये, क्या उसकी एक तालिका १९६०-६१, १९६१-६२ को सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी—सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री कमलासिंह यादव—यह सूचना कब तक इकट्ठी हो जायगी ?

श्री बृजबिहारी—प्रयास किया जायगा कि शीघ्र से शीघ्र हो जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतलायेगी कि जब चकबन्दी के अधिनियम के अन्तर्गत कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि इस तरह के पत्थर लगाये जायं या उनके लिये किसानों से रुपया वसूल किया जाय तो फिर क्यों इस प्रकार के पत्थर लगाये गये हैं ?

श्री बृजबिहारी—ये चकबन्दी के विभाग की ओर से नहीं लगाये गये हैं। लोगों को यह राय अवश्य दी गयी थी कि अपने-अपने चकों के कोनों पर पत्थर लगवा लें।

श्री कमलासिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ये जो पत्थर लगाये गये हैं वे चकदन्दी विभाग की तरफ से लगाये गये हैं अथवा पब्लिक ने उनको लगाया है ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि चकबन्दी विभाग की तरफ से कोई पत्थर नहीं लगाये गये हैं गाँव वालों ने लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना है कि क्या चकबन्दी विभाग ने इन पत्थरों पर रुपया खर्च किया है ?

श्री बृजबिहारी—सरकार ने कोई रुपया खर्च नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—पूर्वी जिलों में खासकर गाजीपुर में छोटे-छोटे चक हैं जिनमें डांड और चकों के टूटने का डर रहता है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार ने पत्थर लगवाने की लोगों को सहूलियत दी और उनसे रुपया वसूल किया तथा क्या आगे भी सरकार इसको चालू रखने पर विचार कर रही है ?

श्री बृजबिहारी—मैंने निवेदन किया कि चकबन्दी विभाग की ओर से किसानों को इसके लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने चकों पर पत्थर लगवा लें। नाप तोल आदि में विभाग उनकी मदद कर देता है। इसका पैसा उन्हीं लोगों की तरफ से व्यय किया जाता है, विभाग की ओर से व्यय नहीं किया जाता।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्रीजी इस बारे में सूचना मंगायेंगे कि जितने भी पत्थर हैं वे सब सरकारी कर्मचारियों के द्वारा खरीदे गये हैं ? उसके लिये इन्डेन्ट भी काल किये गये थे और मिर्जापुर से इन पत्थरों को खरीदा गया ?

श्री अध्यक्ष—लेकिन मंत्रीजी कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन पर कोई पया खर्च नहीं किया गया।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चकबन्दी हमारे जिले में भी हो रही है और मथुरा में भी पत्थर गाड़े जा रहे हैं और हमको यही बताया गया है कि ये पत्थर सरकार की तरफ से लगाये गये हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ?

श्री बृजबिहारी—सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुवीर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो पत्थर गाड़े गये हैं उन पत्थरों की कीमत किसानों से सरकारी कर्मचारी पहले ही जमा करा लेते हैं ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर इसकी पुनः जांच करायेंगे कि पत्थरों के पैसे भी चकबंदी टैक्स की भांति किसानों से लिये गये ?

श्री बृजबिहारी—अगर कोई चीज इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष---क्या किसानों से रुपया लेकर पत्थर गाड़े जाते हैं ? अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है, तो जांच करा लें ।

श्री बृजबिहारी---जो सूचना मेरे पास थी वह मैंने बता दी कि हमारी तरफ से पत्थर की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच करा ली जायगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि किसानों की दिक्कतों को देखते हुये सरकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की सहूलियत उनको दे दी गयी है कि किसान पैसे इकट्ठा करके सरकारी अधिकारी को दे दें और वे टेंडर काल करें और ठेकेदार द्वारा वहां पत्थर गड़वा दें ?

श्री बृजबिहारी---श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इसके लिये किसानों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने-अपने चकों में पत्थर गड़वा लें । इसमें अगर कहीं नापने वगैरह में उनको दिक्कत पड़े तो उसमें सरकार सहायता देती है लेकिन हमारी तरफ से पत्थर गाड़ने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---इसके लिये कोई टेंडर उनके विभाग द्वारा मांगा गया है या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, मैं नोटिस देता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो इनफार्मेशन दी है, पत्थर लगाने के मुताल्लिक वह बिलकुल गलत है ।

श्री अध्यक्ष---यह तरीका गलत है ।

गोरखपुर जिले में कटावपीड़ित गांव

*७---श्री कल्पनार्थसिंह---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम गरमा कोल, वरडोहा तैवार पट्टी, डेरवा, डुमरी, सेमरा, बुजुर्ग, सेमरा खुर्द, मझवलिया असवनपार और बुढ़नपुरा में आबादी कटी है या नहीं ? यदि कटी है, तो कितने घर गत पांच साल में कटे हैं और उनको सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी गई है ?

श्री बृजबिहारी---सन् १९६१-६२ में उक्त दस ग्रामों में कटाव से आबादी को जो क्षति हुई है, और जो सहायता दी गई है, उसके आंकड़े संलग्न सूची में दिये गये हैं । चूंकि जिला गोरखपुर इस वर्ष अत्यन्त बाढ़पीड़ित रहा है अतएव अन्य चार वर्षों के आंकड़े अभी संकलित नहीं किये जा सके हैं । उनको एकत्रित करने में समय लगेगा ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८५३ पर)

श्री कल्पनार्थसिंह---जो तालिका दी गयी है १९६१-६२ की इसमें दिया गया है कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां सबसिडी भी नहीं दी गयी है और न तकावी ही दी गयी है, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

श्री बृजबिहारी---श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन-जिन गांवों में जितने घर गिरे हैं उनकी पूरी तालिका मेरे पास है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष---क्या कुछ गांव ऐसे हैं जहां की जमीन कटी है और कोई सहायता नहीं दी गयी ?

श्री बृजबिहारी---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनार्थसिंह---माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसके लिये कहीं से सूचना नहीं आनी है । मेरा यह पूछना है कि क्या कारण है कि उन गांवों को न तो सबसिडी ही दी गयी और न तकावी ही दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—माननीय राजस्व मंत्री जी, आपकी सूची में आइटम नं० ८ पर मझवलिया में गिरे हुये घरों की संख्या ४५ है, तादाद कुछ नहीं है और तकावी भी कुछ नहीं है। तो प्रश्न यह है कि यद्यपि वहां ४५ मकान गिरे हैं किन्तु उन्हें कुछ सहायता नहीं दी गयी है, इसका क्या कारण है ? नं० ५ पर बरडीहा के लिये ३७० रुपया है और तकावी में १२० रुपया है। नं० ६ पर सेमराखुर्द में ११ मकान गिरे हैं और सहायता के रूप में १२० रुपया दिया गया है।

श्री बृजबिहारी—जो सूचना मेरे पास तालिका में दी हुई है वही बतला सकता हूं, इससे अधिक नहीं।

श्री कल्पनार्थसिंह—मंत्री जी के बारे में मैंने पहले ही अर्ज किया, वह हमारी तरफ के रहने वाले हैं, हमारी मजबूरी है उत्तर नहीं मिलता है....

श्री अध्यक्ष—देखिये मजबूरी कोई नहीं है, आपको प्रश्न करने का अधिकार है उसको आप बरतिये, कोई टीका न करें।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैंने केवल यह जानना चाहा था कि जिन गांवों को आजतक कोई सहायता नहीं दी गई है उनको पुनः सहायता भिजवाने का माननीय मंत्री जी कष्ट करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—जिन गांवों को किसी कारण से सहायता नहीं दी गई है और वह अगर सहायता के मुस्तहक हैं तो उन्हें सहायता दी जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जो भी सवाल यहां होते हैं उनका क्लेरिकल जवाब न दिया जाय बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब हो ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मैनेजरसिंह—जब मंत्री जी को जानकारी है कि डेरवा में २५ और मझवलिया में ४५ घर गिरे और क्षतिग्रस्त परिवारों को कोई सहायता नहीं दी गई, न तकावी दी गई और न अहेतुक सहायता ही दी गई तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि यह किस अधिकारी की जिम्मेदारी है और वह उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—जांच करा ली जायगी कि किस कारण से सहायता नहीं दी गई।

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीय राजस्व मंत्री जी अपने उत्तर को देखने के बाद क्या बतायेंगे कि उनका सहायता देने का क्या आधार है और जिला अधिकारी ने क्या आधार बताया है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी तो उन्होंने सूचना चाही है।

देवरिया जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ के बाढ़ के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने उन्हें तथा एस० के० रुद्रपुर द्वारा जिले जिलाधीश देवरिया को क्रम से ६,१२ और १८ अगस्त, १९६२ को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बृजबिहारी—कानूनगो रूद्रपुर को केवल दिनांक १२ तथा १८ अगस्त का पत्र मिला था और उस पर आवश्यक जांच के बाद उचित कार्यवाही कर दी गई है।

*९—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला भर में घाघरा, राप्ती, नारायणी, छोटी गंडक, गोरी, बुर्ना, नकटा, बथुआ, भझने भवन जेठन, कोईलाड, खनुआ, बांसी आदि नद-नदी और नालों द्वारा किन-किन ग्रामों के कितने-कितने आदमी, मकान, बांध, सड़क, फसल और जानवर आदि का नुकसान हुआ है तथा गांव बाभूज की पीड़ित आबादी क्या है ? यह कानूनगोवाइज विवरण मय सहायता के सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी---ग्राम बभूज की पीड़ित आबादी कुल १,२१० है। जिला देवरिया एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहा है, अतः प्रश्न में पूछी गई विस्तृत सूचना संकलित करने में काफी समय लगेगा तथा इतनी विस्तृत सूचना को तैयार करने में जितना धन और समय लगेगा उसके अनुरूप उससे लाभ होने की आशा नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब बाढ़ग्रस्त देवरिया के जो आंकड़े मांगे गये थे और जो सूचनायें मांगी गयी थीं उनका अभी तक संकलन नहीं किया गया था, वह सूचना सरकार के पास नहीं है तो अभी तक सहायता का क्या आधार है ?

श्री बृजबिहारी---श्रीमन्, हर जिलाधीश को कुछ रकम दी गई है सहायता के लिये, जहां वह आवश्यक समझते हैं सहायता देते हैं और जिसके बारे में प्रश्न है उनसे सूचना संकलित की जा रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---क्या मंत्री जी सूचना संकलित कर के पुनः उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह कह रहे हैं कि एडहाक बेसिस पर एकमुश्त रकम दे दी जाती है और अगर मांग आयेगी तो विचार किया जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह---मेरा प्रश्न यह था कि किस जगह कितने लोग पीड़ित हैं, क्या सहायता दी गई, कितने जानवर मरे हैं, इस तरह की सूचना मैंने चाही थी और अगर वह सूचना नहीं है और नहीं मिल सकती है तो यहां से सहायता देने का उनका क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष---इस का उत्तर हो गया।

श्री चन्द्रबलीसिंह---इसकी हमें सूचना दिलाई जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मंत्री जी को मालूम है कि देवरिया जिले में जहां का यह प्रश्न है बाढ़ के सम्बन्ध में तो वहां की जो जिला बाढ़ कमेटी है जिस के फ्लड रिलीफ आफिसर जिम्मेदार अफ़सर होते हैं जो कि तमाम आंकड़े इकट्ठा करता है और सरकार के पास भेजा करता है कि इतने पशु मरे, इतनी जमीन का नुकसान हुआ, इतने मकान गिरे। तो क्या समझा जाय कि वहां कोई बाढ़ कमेटी नहीं है और कोई अफसर मुकर्रर नहीं है और जो सूचना दी जाती है उसके आधार पर नहीं दी जाती है बल्कि सरकार खुद मंगाती है ?

श्री बृजबिहारी---जैसा माननीय सदस्य ने कहा वहां बाढ़ कमेटी के जरिये से या सरकारी अधिकारियों के जरिये से जो भी क्षति होती है उसको संकलित किया जाता है और उसके अनुसार सहायता दी जाती है।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस आधार पर सूचना दे सकते हैं कि रोज-मर्रा की रिपोर्ट हर फ्लड पोस्ट से सरकारी अधिकारियों को आती है कि कितने जानवर मरे..

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न करें।

श्री कल्पनार्थसिंह---मैं जानना चाहता हूं क्या इस तरह की रिपोर्ट सरकार को या सरकारी अधिकारियों को.....

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी, आपके पास ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं या नहीं, जिलाधिकारियों और कमेटी के द्वारा ?

श्री बृजबिहारी---जिलाधिकारियों द्वारा समय-समय पर रिपोर्ट आती रहती है।

श्री कल्पनार्थसिंह---उस रिपोर्ट के आधार पर उक्त सूचना देने में मंत्री जी को कोई कठिनाई महसूस होती है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री बृजबिहारी—कब सूचना आती है और फिर उसके बाद कोई और क्षति हुई हो तारीख नहीं बता सकते। तो जो सूचना दी जायगी पूरी सूचना दी जायगी। अतः जब तक रिपोर्ट नहीं आ जायगी तब तक सूचना देना उचित नहीं होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—देवरिया जिले में कोई बाढ़ के लिये अफसर मुकर्रर है कि नहीं?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बाढ़ आये हुये कितने महीने बीत गये और अब तक सूचना नहीं आयी, इसका क्या कारण है?

श्री बृजबिहारी—संबंधित प्रश्न के बारे में पूछा गया है। यों तो सूचना आती रहती है।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, जो जवाब आ रहे हैं उनसे क्या आप संतुष्ट हैं?

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

श्री राधेश्याम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज सदन में माननीय राजस्व मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं वे बड़े भारी आपत्तिजनक उत्तर हैं जैसा कि आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे। आप इस पर व्यवस्था दें ताकि सही और ठीक उत्तर आ सकें।

ग्राम समाज नैनोल की भूमि

*१०—**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम समाज नैनोल बागवाला ब्लाक दहगवां जिला बदायूं में ग्राम समाज की कुल कितनी परती जमीन है और उसमें से कितनी भूमि सभापति ने खेती के अलावा अन्य काम के लिये दे रखी है?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—कुल भूमि १०४ एकड़ है। परती ५३ एकड़ है। खेती के अलावा अन्य काम के लिये ७ एकड़ भूमि दे रक्खी है।

टेक्निकल सेल पर व्यय

*११—**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला बहराइच)—अब तक कितना रुपया Technical cell के ऊपर व्यय हुआ है और कितना रुपया penalty के रूप में प्राप्त हुआ है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रयत्न करने पर भी वांछित सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है।

श्री विजयशंकरलाल को चकबन्दी विभाग में पेशी कानूनगो बनाने पर आपत्ति

*१२—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबंदी विभाग में पेशी कानूनगो बनाने के लिये कौन सी योग्यता होनी चाहिये?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पेशी कानूनगो के पद के लिये कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है। साधारणतया चकबंदी कर्ता इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं।

*१३—**श्री गेंदासिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बस्ती जिले में श्री विजयशंकरलाल को जो Collectorate के एक साधारण लिपिक थे किस आधार पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) का पेशी कानूनगो बनाया गया है? क्या उन्हें नियमानुसार योग्यता प्राप्त है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री विजयशंकर की पेशी कानूनगो के पद पर नियुक्ति उनके चकबंदी कार्य के अनुभव, शैक्षिक योग्यता एवं कार्यक्षमता के आधार पर की गयी थी।

*१४—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला बस्ती में विजयशंकर लाल को कुछ माह तक पेशी कानूनगो के पद पर रखने के पश्चात् जब सहायक चकबंदी अधिकारी बिना ट्रेनिंग लिये ही बना दिया गया था तो उस समय जिले में उनसे सीनियर और चकबंदी के कार्य में दक्ष क्या कोई अन्य चकबंदीकर्ता (Consolidator) था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विशेष परिस्थितियों में श्री विजयशंकर लाल को बिना ट्रेनिंग सहायक चकबंदी अधिकारी अस्थायी रूप से बना दिया गया था। वे चकबंदीकर्ता नहीं थे, इसलिये चकबंदीकर्ताओं की अपेक्षाकृत ज्येष्ठता का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले का बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र

*१५—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले की जो नदियों के किनारे घाघरा के रामनगर धौरहरा सोखार हाजीपुर महोली, सैदपुर आदि की डूबी हुई भूमि है उस की नाप के लिये कोई प्रबन्ध करके उन्हें क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर सकती है, तो क्या ?

*१६—क्या सरकार नदी गोमती के बाढ़ से पीड़ित फैजाबाद के दक्षिण भाग में घोड़वल के, पूरे लाल खां रुस्तम का पूरा, पूरा दहमेल अदिलपुर की आराजी की उचित जांच के लिये कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब और कैसे व्यवस्था होगी जब कि सारे घर और भूमि का संहार हो गया ?

*१७—क्या अभी तक ग्रामीणों के निकालने के लिये कोई नाव का प्रबंध नहीं है जब कि घर के चारों ओर कमर तक पानी आगया जैसा कि मैंने अपने आंखों से निरीक्षण किया है ?

श्री बृजबिहारी—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी कलेक्टरी में परिगणित जाति के कर्मचारी

*१८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिला कलेक्ट्रेट में कुल कितने अस्थायी, स्थायी क्लर्क व चपरासी हैं ? उसमें कितने परिगणित जाति के हैं ?

*१९—सन् १९६१ में उक्त कलेक्ट्रेट में मास रिटायरमेंट के समय कितनी जगहें रिक्त हुईं और उनकी पूर्ति किस प्रकार की गयी तथा कितने परिगणित जाति के लिये गये ?

श्री बृजबिहारी—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

[२ नवम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गांधी महाविद्यालय, मलय के सेवा मुक्त अध्यापक

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गांधी महाविद्यालय, मलय, जिला बलिया में सितम्बर सन् १९५९ को किन-किन अध्यापकों की नियुक्ति हुयी थी तथा मई, सन् ६० में किनको-किनको सेवा समाप्ति की नोटिस दी गयी ?

*२—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार के सेवा मुक्त अध्यापकों को वेतन मई, जून, जुलाई, १९६० को दिया गया कि नहीं ?

श्री अजीज इमाम—वांछित सूचना संलग्न तालिका "क" व "ख" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८५४ पर)

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ सितम्बर, १९६१ तथा १२ अक्तूबर, १९६१ का लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र उक्त सेवा मुक्त अध्यापकों का उनके कार्यालय में आया है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीज इमाम—श्री शिव शंकर श्रीवास्तव का एक प्रार्थना-पत्र १५-९-६१ का प्राप्त हुआ था। उस पर विचार कर उन्हें १५-५-६० से ७-७-६० तक का वेतन दे दिया गया है।

अन्य अध्यापकों का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं प्रतीत होता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि १९५९ का बकाया वेतन १९६० में दिया गया और इसके लिये सेवा मुक्त अध्यापकों ने सरकार के पास और जिला विद्यालय निरीक्षक के पास प्रार्थना-पत्र दिये हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सेवा मुक्त अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया ?

श्री अजीज इमाम—श्री शिवशंकर श्रीवास्तव ने प्रार्थना-पत्र दिया था और उनको वेतन दे दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सूची में १० अध्यापक हैं जिनमें से ३ को वेतन दे दिया गया है और इनमें श्री शिवशंकर श्रीवास्तव भी हैं और उनका प्रार्थना-पत्र जब आया तब उनको वेतन दिया गया। मेरा कहना है कि वेतन के लिये दरख्वास्त की आवश्यकता नहीं होती, और जब सरकार जानती है कि फलां अध्यापक सेवा मुक्त कर दिये गये तो उसके बाद क्या आवश्यकता पड़ी कि उनकी दरख्वास्त आये इंस्पेक्टर के यहां तब उनको वेतन दिया जाय ?

श्री अजीज इमाम—एजूकेशन कोड के पेरा १४३-एच के हिसाब से जिस आदमी की नियुक्ति ३१ अक्तूबर के पूर्व होती है उसकी पूरी तनख्वाह गर्मी की छुट्टियों की दे दी जाती है लेकिन जिनकी नियुक्ति इसके बाद होती है वे छुट्टी की तनख्वाह के मुस्तहक नहीं होते। इस तरह से बलिराम सिंह, मुक्तेश्वर प्रसाद तिवारी और बागीश पांडेय ये तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति ३१ अक्तूबर के बाद हुई इसलिये उनको तनख्वाह नहीं दी गयी। बकिया दो तीन को दे दी गयी और बकिया ४ आदमी ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तें सरकार के पास नहीं आई हैं। इसलिये उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैंने पूछा था कि दरख्वास्त देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जिस आदमी की तनख्वाह ड्यू हो गयी है उसकी तनख्वाह बगैर मांगे क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री अजीज इमाम—गांधी महाविद्यालय, मलय, बलिया, यह एक प्राइवेट स्कूल है और उसकी सारी सूचनायें हम लोगों को नहीं आतीं जब तक कि वहां का स्टाफ या मैनेजमेंट उनको हमारे पास न भेजे। इसलिये हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष—इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट स्कूल है इसलिये ?

श्री अजीज इमाम—जब यह प्राइवेट स्कूल है और हम को मालूम हो कि क्या गलती हुई है तो सुधार कराया जा सकता है और जो गलती आई उसका सुधार करा भी दिया और जो नहीं आये उसके लिये हम क्या कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवशंकरलाल श्रीवास्तव को तनख्वाह कब दी गयी ?

श्री अजीज इमाम—२८-८-६२ को गवर्नमेंट ऐडवाइस भेज दी गयी।

जूनियर हाई स्कूल, टोडरपुर के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के जूनियर हाई स्कूल टोडरपुर के मैनेजर ने ३० मार्च, १९६२ ई० को शिक्षा मंत्री को एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि कक्षा ६ की फीस का रुपया इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग मैनपुरी नहीं दे रहे हैं, इस कारण स्कूल बन्द होने की संभावना है ? वह रुपया अब तक न दिये जाने के कौन-कौन से कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, कथित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। किन्तु यह प्रश्न अदालत के विचाराधीन है कि स्कूल का मैनेजर कौन है ? इसलिये रुपया स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया और उसमें से रुपया निकाल कर अध्यापकों का वेतन दिया गया।

वाराणसी में शराब व स्प्रिट की दूकानें

*५—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दशाश्वमेध रोड पर तथा बंगाली टोला वाराणसी की शराब की दुकानें सन् ६०–६१ व ६१–६२ में कितने रुपये का ठेका तथा कितने रुपये की शराब सरकार की तरफ से दी गई ? इन दुकानों ने कितना सेल्सटैक्स दोनों वर्षों में अदा किया ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—दशाश्वमेध रोड पर स्थित बंगाली टोला देशी शराब की दुकान का ठेका सन् १९६०–६१ व १९६१–६२ में क्रमशः ९२,००० रु० व १,००,००० रुपये में नीलाम हुआ। उक्त वर्षों में इस दुकान को सरकार की ओर से दिये शराब का मूल्य क्रमशः रुपये १,२०,८५१.२५ नये पैसे एवं रुपये १,०१,०८९.५० नये पैसे था। उक्त दुकान ने दोनों वर्षों में कोई बिक्री कर नहीं दिया ?

*६—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी में कितनी स्प्रिट की दुकानें हैं उनमें होल सेलर कितनी हैं और होल सेलर को ६०–६१ व ६१–६२ में कितने-कितने गैलन स्प्रिट दिया गया और उन होल सेलरों ने कितना-कितना गैलन लाइसेंसियों को दिया ? क्या वाराणसी में एक स्प्रिट की दुकान एक्साइज कमेटी के सदस्य को दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—वाराणसी जिले में ३६ स्प्रिट की दुकानें हैं, जिनमें ३ होलसेलर हैं। शेष सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	स्प्रिट जो होल-सेलर ने डिस्टि-लरी से खरीदा	स्प्रिट जो होल-सेलरों ने होल-सेलरों से खरीदा
१	२	३
	(गैलन में)	(गैलन में)
१९६०–६१	२६,३५०	२५,१३०
१९६१–६२	२७,८०५	२८,५०२

जी हां।

नोट—तारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कालिकाधाम पुल व भोजूबीर-सिधौरा सड़क

*७—श्री ऊदल—क्या सरकार कालिका धाम पुल व भोजूबीर-सिधौरा कच्ची सड़क का एस्टीमेट तैयार करा रही है या करायेगी कि कितना रुपया इस पर खर्च होगा ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, जब तक यह पुल और सड़क के निर्माण का इरादा न हो जाये तब तक एस्टीमेट तैयार कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

नागर क्षेत्र जमींदारी उन्मूलन

*८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कितने जिलों में जमींदारी उन्मूलन का कार्य सम्पन्न हो गया है तथा कितने जिलों में सम्पन्न होना बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—११ जिलों में । ३६ जिलों में सम्पूर्ण होना बाकी है । ७ जिलों में कानून नहीं लगाया गया है ।

*९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन के कार्यों के सम्पन्न करने हेतु कितना रुपया सरकार ने अब तक मुआवजा के रूप में विभिन्न शहरी क्षेत्रों के जमींदारों को दिया तथा कुल कितना अदा करना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी मुआवजा निश्चित करने की कार्यवाही चल रही है । कुल ५.१२ करोड़ रुपये का मुआवजा दिये जाने का अनुमान है ।

सैदपुर तहसील में चकबन्दी

*१०—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में किन-किन गांवों की चकबन्दी हो चुकी है और उनका रिकार्ड आपरेशन भी तैयार है या हो चुका है, क्या सरकार एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे मालूम हो सके कि नियम ४२ का प्रकाशन किस तारीख को अलग-अलग हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२५९ ग्रामों में जिसकी तालिका मेरे कमरे में देखी जा सकती है।

नियम ४२ के अन्तर्गत प्रकाशन का प्राविधान संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है और सैदपुर तहसील के केवल ७६ ग्रामों में संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत कार्य हुआ है । नियम ४२ के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रामों की सूची, प्रकाशन की तिथियों सहित, हमारे कमरे में देखी जा सकती है ।

*११—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में चकबन्दी के सिलसिले में मुकदमों की कितनी फाइलें इस समय गायब हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल ४ निर्णीत मुकदमों की मिसिलें अप्राप्य हैं ।

*१२—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिविल जज, गाजीपुर के यहां चकबन्दी के कौन-कौन से मुकदमें हैं जिनमें चकबन्दी की फाइलें न आने के कारण मुकदमों में तारीखें पड़ रही हैं और सरकार इसके लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिविल जज, गाजीपुर के यहां कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें चकबंदी की मिसिल उपलब्ध न होने के कारण तारीखें पड़ रही हों ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इटावा जमुना राजघाट तथा ऊदी चम्बल घाट पुलों की निर्माण योजना

*१३—श्री घासीराम (जिला इटावा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जमुना राजघाट तथा ऊदी चम्बल घाट पुलों का निर्माण इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित हो गया है ? यदि हां, तो इन दोनों पुलों के निर्माण-कार्य कब से आरम्भ हो जावेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—अभी इन पुलों के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय की आशा है ।

*२५—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—[१६ अक्तूबर, १९६२ को प्रश्न १३० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

झांसी जिले के अमीन

*१५—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की प्रत्येक तहसील में लगान वसूली के कितने ऐसे अमीन हैं जो जूनियर हाई स्कूल पास नहीं हैं और ऐसे अमीनों के रक्खे जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—झांसी जिले की समस्त तहसीलों में ५ कलेक्शन अमीन ऐसे हैं जो जूनियर हाई स्कूल पास नहीं हैं । तहसीलवार सूची इस प्रकार है :—

तहसील	संख्या
मऊ	२
ललितपुर	२
महरौनी	१

ऊपर दिये गये अमीन जो सन् १९५५ के पूर्व से काम कर रहे हैं उस समय परिषद् की आज्ञानुसार ही नियुक्त किये गये थे ।

झांसी में आबकारी विभाग के पुराने कर्मचारी

*१६—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में एक्साइज सुपरिन्टेन्डेन्ट व इस विभाग के और कितने अधिकारी हैं जिनको झांसी जिले में तीन वर्ष हो चुके हैं ? इनके तीन वर्ष से अधिक रुकने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—इस विभाग के झांसी में दो ऐसे अधिकारी—एक गांजा एक्वायड के सुपरिन्टेन्डेन्ट एक्साइज तथा दूसरे द्वितीय सर्किल के आबकारी निरीक्षक हैं जिनको वहां तीन वर्ष से अधिक हो चुका है । ऐसा प्रशासकीय कारणों से किया गया है ।

*१७–१८—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—[हटा दिये गये ।]

हाई स्कूल परीक्षा फल का प्रकाशन

*१९—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा सन् ६० का परीक्षाफल दो वर्ष बाद अगस्त, १९६२ के गजट में प्रकाशित हुआ है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि सब परीक्षाफल गजट में ६ मास के अन्दर प्रकाशित हो जाया करें ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

शासन ऐसी व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

उन्नाव जिले में नई सड़कें तथा कानपुर में गंगा के नये पुल के लिये सर्वेक्षण

*२०—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत चकलवन्सी से गंगाघाट तक एक सड़क बनाने का प्रस्ताव उन्नाव जिले की तृतीय पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया था और इस सड़क को प्राथमिकता दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार इस महत्वपूर्ण सड़क को कब बनाने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—अन्तरिम जिला परिषद् ने अपने प्रस्तावों में इस मार्ग को पांचवी प्राथमिकता प्रदान की थी । नीची प्राथमिकता होने तथा धनाभाव के कारण इस मार्ग का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सम्भव न होगा ।

*२१—श्री गोपीनाथ दीक्षित—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार उन्नाव जिले में गंगानदी के समानान्तर हरदोई जिले की सरहद औधरपुर से नौबतगंज, जाजामऊ, रूपपुर, मरौदा, परियर, बंसघना, शंकरपुर गंगाघाट होती हुई बक्सर तथा रायबरेली जिले की सरहद भलेपुर तक एक सड़क बनाने का है जिससे गंगा की बाढ़ में यह सड़क बांध का काम दे सके ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय ऐसी सड़क के बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*२२—श्री गोपीनाथ दीक्षित—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में गंगाजी पर दूसरे पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह पुल किस स्थान पर बनेगा और कब तक इस पुल का बनना प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—उक्त योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि पुल किस स्थान पर बनेगा तथा उस पर कब कार्य आरम्भ होगा । अभी इसका सर्वे हो रहा है ।

पट्टे पर दी गई भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए सुझाव

*२३—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या राजस्व मंत्री ऐसा कोई आदेश तहसीलदारों व हाकिम परगनाधीशों को देने की कृपा करेंगे कि जब कोई आपत्ति ग्राम समाज द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर कब्जा न मिलने की बात उनके नोटिस में आवे तो उस पर वह विशेष प्रकार से ध्यान दें और कानूनी लड़ाई से लोगों को मुक्ति दें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । अगर कोई नागरिक कानूनी कार्यवाही करता है तो उसको रोका नहीं जा सकता ।

जालौन जिले में सड़कें

*२४—श्री विजयसिंह—क्या सरकार उरई-कोंच रोड को जो एक मात्र सदर व तहसील को मिलाने का रास्ता है तीसरी योजना में बनाने में प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल—सड़कों तथा पुलों की तृतीय पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण, इस सड़क का पुनः निर्माण कराना इस समय सम्भव नहीं है ।

*२५—श्री विजयसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जिला जालौन में कोंच व कैलिया के थाने को कनेक्ट करने कोंच से कैलिया तक एक पक्की सड़क की योजना पर विचार करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। धनाभाव के कारण, इस समय सड़क का निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

*२६—**श्री विजयसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में कोंच नदी गांव रोड तीन मील कच्चा रह गया है उसको पक्का कराने का कब तक विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—कोंच नदी गांव सड़क के कच्चे भाग को पक्का करने का कार्य सरकार ने स्वीकृत कर दिया है और कार्य प्रगति में है।

जिला परिषदों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

*२७—**श्री रामलखन वकील** (जिला वाराणसी)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में सरकार ने कोई आदेश निकाल कर एच० टी० सी० एवं जे० टी० सी० की ट्रेनिंग की शिक्षा योग्यता बढ़ा दी है? यदि हां, तो आदेश की एक प्रतिलिपि देने की कृपा करेंगे?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*२८—**श्री रामलखन वकील**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त आदेश में हरिजनों के संरक्षण को पूरा करने का कोई आदेश दिया गया है या नहीं?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता।

*२९—**श्री रामलखन वकील**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी सरकार ने आदेश भेजा है जिसमें हरिजनों एवं राजनैतिक पीड़ित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये कोई निर्देश नहीं दिया है? यदि हां, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, परामर्श रूप एक परिपत्र भेजा गया था और उसमें हरिजनों एवं राजनैतिक पीड़ित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए कोई निर्देश इस कारण नहीं दिया गया था क्योंकि इनकी नियुक्तियां एवं सुविधायें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

फर्रुखाबाद जिले में प्रशिक्षार्थी अध्यापकों की योग्यता

*३०—**डाक्टर सियाराम गंगवार** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष एल० टी०, जे० टी० सी० अथवा एच० टी० सी० के विद्यार्थियों के चुनाव में फर्रुखाबाद जिले में कितने विद्यार्थी लिये गये हैं? उनमें दलितवर्ग और पिछड़े वर्ग का क्या अनुपात है?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३१—**डाक्टर सियाराम गंगवार**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्राइमरी पाठशालाओं में कक्षा ३ से अंग्रेजी भाषा बच्चों को सिखाने की योजना स्वीकार की गई है? इसी आधार पर एच० टी० सी० के चुनाव में हाई स्कूल से कम योग्यता के विद्यार्थी प्रतिबन्धित किये गये हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, प्रदेश में ९,००० प्रारम्भिक पाठशालाओं में कक्षा ३ से अंग्रेजी पढ़ाने की योजना स्वीकार की गई थी, इस आधार पर हाई स्कूल से कम योग्यता के अभ्यर्थियों को एच० टी० सी० के चुनाव से प्रतिबन्धित नहीं किया गया किन्तु हाई स्कूल पास विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गई है।

*३२—**डाक्टर सियाराम गंगवार**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में सरकार द्वारा नामजद किये गये एच० टी० सी० विद्यार्थियों की संख्या क्या है और उनकी अलग-अलग योग्यताएं शिक्षा सम्बन्धी क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—२४ अक्तूबर, १९६२ तक सरकार द्वारा कुल ३४ अभ्यर्थी मनोनीत किये गये हैं। इनमें से ३ इन्टरमीडियेट पास और ३१ हाई स्कूल पास हैं।

प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों का मुख्यावास

*३३—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री विजयसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में लखनऊ मंडल के अन्तर्गत ६ जिलों के प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों को उपशिक्षा निदेशक से आदेश मिले हैं कि १ अक्तूबर से उनका मुख्यावास विकास खंड कार्यालय पर रहेगा ? यदि हां, तो क्यों और उनके कार्य करने के सम्बन्ध में क्या नियम बने हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। यह आदेश क्षेत्रीय समिति अधिनियम को लखनऊ कमिश्नरी में लागू करने की दृष्टि से किये गये हैं उनका निरीक्षण कार्य यथावत चलता रहेगा। स्थानान्तरण के कारण जो परिवर्तन हुये हैं उस सम्बन्ध में नियम बनाये जा रहे हैं।

गोंडा में बलरामपुर कोठी का क्रय

*३४—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** तथा **श्री विजयसिंह**—राघवेन्द्रप्रतापसिंह द्वारा विधान सभा में पूछे गये दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५० में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में जो बताया गया है कि रेन्ट कंट्रोल अफसर (गोंडा) ने उक्त भवन सामान्य निर्वाचन कार्य के लिये १० जनवरी, १९६२ से २७ मार्च, १९६२ तक के लिये प्रयोग किया, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कथित सामान्य निर्वाचन कार्य किस प्रकार का था तथा उस इमारत में कौन सरकारी कार्यालय या कौन गैरसरकारी व्यक्ति या गैर सरकारी संस्था रही ?

*३५—यदि इमारत में कोई गैर सरकारी व्यक्ति या गैरसरकारी संस्था रही तो वह किस के आदेश से उसे रहने को दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले में शराब की दुकानों का ठेका

*३६—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के वर्तमान सत्र के प्रश्न संख्या ११२-११३ जो नवें शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न के रूप में निर्धारित था यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर शहर की देशी शराब की दुकान अलहदापुर, हासपुर, हजारी पुर, जटेपुर, जफराबाजार, नखास और उर्दू बाजार सन् १९५८ से लेकर सन् १९६२ तक प्रायः उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में रही है तथा यही हालत नौतनवां और निचलौल की भी रही है। इसका क्या कारण है कि सन् १९५९-६०, ६०-६१, ६१-६२ तथा ६२-६३ में भी प्रायः एक ही या दो फर्मों ने उपरोक्त दुकानों के ठेके एक आध नाम बदलकर या बढ़ा घटा कर लिये ?

*३७—इसका क्या कारण है कि उपरोक्त दुकानों पर सम्बन्धित वर्षों में प्रायः उतने ही रुपये की बोली हर वर्ष रही अगर सब का जोड़ देखा जाय ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस

*३८--श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई ऐसा आदेश सरकार की तरफ से हुआ है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय ? यदि हां, तो क्या यह आदेश शिक्षा विभाग को दे दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---फीस माफी के सम्बन्ध में कोई आज्ञा नहीं दी गई, किन्तु विशेष रूप से बाढ़ पीड़ित ८ जिलों के विद्यार्थियों को आपदाकालीन छात्रवृत्ति देने एवं पुस्तकों के क्रय करने हेतु सहायता देने के संबंध में शिक्षा विभाग की सहमति से सम्बन्धित जिलाधीशों को दिनांक ११-१०-६२ को आदेश निष्क्रान्त किये गये। उक्त आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा विभाग को भी दे दी गई है।

अधिशासी अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही

*३९--श्री कल्पनाथसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने अधिशासी अभियंता ऐसे हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो चुकी है और ये लोग इस वक्त कहां-कहां नियुक्त हैं ?

श्री गिरधारीलाल---अधिशासी अभियन्ताओं, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो चुकी है, उनके नाम तथा उनकी वर्तमान नियुक्ति का स्थान संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ८५५ पर)

नई रेलवे लाइनें

*४०---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेशीय सरकार ने किन-किन रेलवे लाइनों को प्रदेश में निर्माण करने के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग की है ?

श्री गिरधारीलाल---वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५६ पर)

*४१---श्री माताप्रसाद---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री उक्त रेलवे लाइनों में शाहगंज, खुटहन घनश्यामपुर, बदलापुर, महराजगंज, मछलीशहर- जंघई होकर इलाहाबाद जाने वाली रेलवे लाइन को प्रमुखता देने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---राज्य सरकार ने शाहगंज से जंघई तक रेलवे लाइन के निर्माण को चौथी प्राथमिकता अपने प्रस्तावों में दी है।

गोरखपुर क्लब में शराब की दुकान

*४२---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में गोरखपुर क्लब में शराब की दुकान का कोई लाइसेंस है ? यदि हां, तो वह किसके नाम से है और क्या वहां जो शराब दी जाती है उसका दर बाजार दर से कम है ?

डाक्टर सीताराम---गोरखपुर क्लब में शराब का कोई लाइसेंस नहीं है, किन्तु क्लब विदेशी शराब आबकारी मैनुअल भाग १ के नियम ५६४ बी० के अन्तर्गत केवल सदस्यों को बिना लाभ लिए वितरण करता है जिससे शराब का दर बाजार भाव से कम पड़ता है।

*४३---श्री जगदीश (जिला बस्ती)---[१८वें गुरुवार के लिये प्रश्न १०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४४—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—[१९ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के विद्यार्थियों की मांगें

*४५—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या यह सत्य है कि आजकल कानपुर स्थित डी० ए० वी० कालेज तथा वहां के अनेक अन्य कालेजों के विद्यार्थी अपनी कुछ मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तथा हड़ताल भी की है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा सरकार उस बढ़ते हुये जनक्षोभ तथा उत्तेजनात्मक वातावरण को शान्त करने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—१२-९-१९६२ से १७-९-१९६२ तक डी० ए० वी० कालेज के कुछ छात्रों ने अपनी कुछ मांगों का आश्रय लेकर हड़ताल और प्रदर्शन किया। उनकी स्पष्ट मांगें निम्न थीं:—

(१) क्रीड़ा समिति तथा मैगजीन समिति का पुनर्गठन।

(२) विद्यालय एवं छात्रावास की स्वच्छता के लिये उचित प्रबन्ध हो।

(३) क्रीड़ा मैगजीन, लाइब्रेरी तथा प्राक्टोरियल बोर्ड में विद्यार्थियों का और प्रतिनिधित्व हो।

अब वातावरण शांत है। इसके अतिरिक्त कानपुर नगर महापालिका के कुछ इन्टरमीडिएट कालेजों के छात्रों ने भी २६-९-६२ को हड़ताल और प्रदर्शन किये, इनकी मांगें यह थी कि उनके प्रिंसपल जो नगरपालिका के प्रस्ताव द्वारा एक संस्था से दूसरी संस्था को स्थानान्तरण कर दिये गये हैं अपनी पुरानी संस्थाओं में ही रहें और उनका स्थानान्तरण निरस्त किया जाये। इस विषय में स्वायत्त शासन मंत्री ने एक वक्तव्य सदन में ५-१०-१९६२ को दे दिया है।

राज्य संग्रहालय में श्री एल० डब्लू० बेकर की नियुक्ति

*४६—श्री जगदीश—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग में कोई ऐसे अंग्रेज अधिकारी हैं जिनके पास कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है तथा उनको कितना वेतन दिया जाता है ? इतना अधिक वेतन दिये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—पुरातत्व विभाग में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है। हां, राज्य संग्रहालय को लगाने और सजाने के लिए श्री एल० डब्लू० बेकर ऐसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, जिनके पास योग्यता का प्रमाण है। इनको १२०० रुपया प्रति मास वेतन के तौर पर दिया जा रहा है जो कि इनकी योग्यता को देखते हुए कम है। इसके अधिक होने का प्रश्न नहीं उठता। म्यूजियम एडवाइजरी कमेटी ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि श्री बेकर को संग्रहालय के निर्माण का कार्य दिया जाय और सरकार ने सोच समझ कर उनको यह कार्य दिया है।

*४७—श्री जगदीश—राजपुरातत्व विभाग में कुछ ऐसे कारपेट और बर्तन खरीदे गये हैं जिनकी खरीद संदेहात्मक है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—कोई ऐसी खरीदारी नहीं हुई। जो भी सामान संग्रहालय में लिया गया है वह संग्रहालय की इक्विजिट्स परचेज कमेटी के सुझाव से लिया गया है जिसके सदस्य प्रसिद्ध कला अनुभवी हैं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांदा में चित्र

*४८—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांदा के हाल से श्री राम व कृष्ण जी आदि के चित्र हटा कर औरंगजेब आदि के चित्र लगाये गये हैं ? अगर यह सत्य है तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

फतेहपुर जिले में पुनर्वास अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र

*४९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले की प्रत्येक तहसील के ऐसे मध्यवर्तियों की संख्या क्या है जो पुनर्वास अनुदान के लिये पुनर्वास अनुदान अधिकारी को प्रार्थना-पत्र नहीं दे सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फतेहपुर जिले के मध्यवर्तियों की संख्या, जो पुनर्वासन अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र न दे सके, तहसीलवार निम्न प्रकार है:—

फतेहपुर	..	..	..	१,५१६
बिन्दकी	..	..	..	१,५२९
खागा	..	..	..	१,२०२
			योग ..	४,२४७

*५०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अधिकतर ग्रामीण मध्यवर्तियों को अशिक्षित जानते हुये भी उन्हें प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि बताने की घोषणा प्रत्येक गाँव में डुग्गी पिटवाकर क्यों नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अन्तिम तिथि की घोषणा तथा जानकारी प्रत्येक गाँव में स्थानीय समाचार-पत्रों, पंचायत पत्रिका तथा लेखपालों और अमीनों के द्वारा करा दी गई थी । डुग्गी पिटवाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

*५१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या यह सही है कि अधिकतर मध्यवर्ती यह जानते ही नहीं थे कि पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र देने की अन्तिम तिथि ६ नवम्बर, १९६१ थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार एक तिहाई के लगभग वंचित मध्यवर्तियों को अब प्रार्थना-पत्र देने हेतु एक वर्ष का समय बढ़ाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मध्यवर्तियों को अन्तिम तिथि का ज्ञान विभिन्न साधनों से करा दिया गया था । समय बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

तहसीलदार, हसनपुर

*५२—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस बात की शिकायत आई है कि तहसीलदार हसनपुर स्थानीय पार्टीबाजी में खुल कर भाग लेते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके हटाने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*५३—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया ।]

कांधला नोटीफाइड एरिया में अध्यापकों का महंगाई भत्ता

*५४—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—जिला मुजफ्फरनगर में नोटीफाइड एरिया कांधला के अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिलवाने के बारे में विधान सभा के प्रथम सत्र १९६२ के ५वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विचाराधीन विषय पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्नगत महंगाई भत्ता दिलाये जाने के पक्ष में निर्णय किया जा चुका है।

*५५—श्री बलवानसिंह—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

प्रारम्भिक विद्यालय

*५६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद), श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के प्रत्येक जिले में अलग-अलग कितन-कितने बालिकाओं और बालकों के प्रारम्भिक विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिलेवार †तालिका संलग्न है।

*५७–५८—श्री चन्द्रबलीसिंह—[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बापू विद्यालय, सलेमपुर के हिसाब-किताब में गड़बड़ी

*५९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या शिक्षा मंत्री को मुख्य मंत्री द्वारा मेरा अगस्त, १९६२ का पत्र इस आशय का मिला है कि बापू विद्यालय सलेमपुर (देवरिया) में १०,००० रुपये का गबन है ? यदि हाँ, तो उसकी जाँच कर कौन सी कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ। इस पर जांच की गई। १०,००० रुपये के गबन का स्पष्ट उदाहरण नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु विद्यालय के हिसाब-किताब में कुछ गड़बड़ी प्रतीत होती है जिसका पूरा हिसाब-किताब विद्यालय के अधिकारियों से मांगा गया है।

*६०–६२—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

एल० टी० ट्रेनिंग

*६३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलावेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में एल० टी० की ट्रेनिंग हेतु स्कूल हैं तथा ६०–६१, ६१–६२ में कितने छात्र तथा छात्राएं इन स्कूलों में उत्तीर्ण हुये तथा कितने असफल हुये ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिन स्कूलों में एल० टी० की ट्रेनिंग दी जाती है उनमें पढ़ने वाले छात्रों तथा छात्राओं का चुनाव १९६२–६३ में किस आधार पर किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

---

†छापी नहीं गई।

*६५—**श्री मैनेजरसिंह** तथा **श्री सत्यदेव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि तहसीलदार कीछा, जिला नैनीताल के द्वारा माल मुकदमा नं० २५/२ सन् १९५८ के संबंध में कागजात दुरुस्ती का आदेश हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि उक्त आदेश का पालन माल विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसीलदार कीछा ने माल मुकदमा नं० २५/२ सन् १९५८ के संबंध में कागजात दुरुस्ती के आदेश दिये थे और उसके अनुसार कार्यवाही की गयी।

मालपुरी ग्राम के थारुओं की भूमि

*६६—**श्री मैनेजरसिंह** तथा **श्री सत्यदेव**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजाज्ञा के विरुद्ध मालपुरी मौजे के थारुओं की भूमि माल विभाग के अधिकारियों की पेशबन्दी से बिक्री की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मालपुरी मौजे के थारुओं की भूमि माल अधिकारियों की पेशबन्दी से बिक्री नहीं की गई।

*६७—**श्री मैनेजरसिंह** तथा **श्री सत्यदेव**—क्या सरकार बतलायेगी कि उन्हीं थारुओं के नाम लालर खास मौजे के काश्तकारों की भूमि पर जमन १० कैसे लिखा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन थारुओं के नाम लालर खास मौजे में काश्तकारों की भूमि पर जमन १० नहीं लिखा गया है।

मड़ियाहू तहसील में चारे की कमी

*६८—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में २४ जुलाई, १९६२ से लगातार पानी अधिक पड़ने के कारण ग्रामों में खरीफ की सारी फसल नष्ट हो जाने के कारण पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा चारा पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अवधि में अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल को क्षति पहुंची है और चारे की भी कुछ कमी हुई पर स्थिति ऐसी न थी कि कोई विशेष प्रबन्ध किया जाता। वैसे चारे की समस्या हल करने के संबंध में सरकार द्वारा सब ही जिलाधीशों को आदेश दिये जा चुके हैं कि जिले में चारे का अभाव होने पर वे शासन द्वारा नियुक्त किये गये ठेकेदार से सस्ते तथा निर्धारित दर पर चारा मंगा कर जरूरतमन्द लोगों को उपलब्ध करें।

बिसवां में रोलर क्लीनर की मृत्यु

*६९—**श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा** (जिला सीतापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माणमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोड रोलर से बिसवाँ जिला सीतापुर में पिछले तीन मास के अन्दर कुचल कर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है ? यदि हाँ, तो किस परिस्थिति में यह दुर्घटना घटी तथा दुर्घटना का समय क्या था ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ, श्री इब्राहीम रोलर क्लीनर की मृत्यु २५ मई, १९६२ को संध्या के ७ और ८ बजे के बीच रोड रोलर से कुचल कर हुई। वह रोड रोलर के आगे आगे बच्चों को हटाते हुये चल रहे थे, अकस्मात उनके पैर उखड़ जाने से वह गिर पड़े और रोलर के नीचे दब गये। अन्धेरा होने के कारण रोलर ड्राइवर यह न जान सका कि क्लीनर रोलर के नीचे दब गया है।

*७०—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त रोलर ठीक हालत में था और क्या उक्त रोलर का इस्तेमाल विभागीय काम से हो रहा था या अनधिकृत रूप से किसी दूसरे के काम में लाया जा रहा था ?

श्री गिरधारीलाल—रोलर की हालत पुरानी होने पर भी संतोषजनक है । दुर्घटना के समय रोलर अनधिकृत रूप से म्युनिसिल बोर्ड के काम में इस्तेमाल हो रहा था ।

*७१—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बिसवाँ में पी० डब्लू० डी० मार्ग पर अनधिकृत कब्जा उनके १० अगस्त, १९६२ के प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर में दिये गये आश्वासन के बाद भी निरन्तर होता जा रहा है ? यदि हाँ, तो अब तक इन encroachments को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ । कुछ अनधिकृत कब्जे और होते जा रहे हैं । उनको हटाने की कार्यवाही शीघ्र ही की जायगी ।

*७२—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—[हटा दिया गया ।]

*७३—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कालपी में यमुना पर पीपों का पुल

*७४—श्री बसंतलाल (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कालपी में यमुना नदी पर बने पीपों के पुल को हटा कर उन्हीं पीपों द्वारा पुल, शेरगढ़ पर जो जालौन व औरय्या मार्ग पर है, निर्माण कराकर यह पुल आम जनता के लिये फ्री घोषित कर दिया जायगा ? अगर हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं । यह पुल केन्द्रीय सरकार की निधि है और उसके निस्तारण का अधिकार उन्हीं को है । शेरगढ़ घाट एक प्रान्तीय सड़क पर स्थित है । जब कभी यहाँ किसी पुल का निर्माण होगा उसके ऊपर पथकर प्रदेशीय सरकार के नीति के अनुसार लगाया जायगा ।

माध्यमिक विद्यालय, पयागपुर के विरुद्ध आरोप

*७५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पयागपुर, जिला बहराइच की प्रबन्धकारिणी समिति ने दिनाँक ७ दिसम्बर, १९५९ को एक पत्र द्वारा कुछ स्थायी अध्यापकों को निलम्बित कर दिया था और जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच द्वारा २८ जून, १९६१ को उस आज्ञा के रद्द किये जाने का आदेश दिये जाने और उप-शिक्षा निदेशक गोरखपुर द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश का अनुमोदन किये जाने पर भी उक्त विद्यालय के अधिकारियों ने निलम्बित अध्यापकों को २९ जून, १९६१ को नौकरी से निकाल दिया ? यदि हाँ, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ, एक अध्यापक श्री दान बहादुर पाठक को । विद्यालय के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*७६—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या उप-शिक्षा मंत्री को उपरोक्त निष्कासित अध्यापकों के दिनाँक ३ मई, १९६२ तथा १७ मई, १९६२ के कोई पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जैतपुर चकबन्दी कार्यालय

*७७—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के जैतपुर के चकबन्दी कार्यालय में कर्मचारियों को १५ अगस्त को छुट्टी नहीं दी गई थी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सहायक चकबन्दी अधिकारी, क्षेत्र जैतपुर, जिला बाराबंकी के कार्यालय में १५ अगस्त, १९६२ को छुट्टी थी ।

*७८—श्री उल्फतसिंह—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सुरजन नगर गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल के खिलाफ शिकायत

*७९—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुरजननगर गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, जिला मुरादाबाद के खिलाफ कोई शिकायती-पत्र मई सन् १९६२ में तथा दिनाँक १० सितम्बर, १९६२ को सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—कथित शिकायती पत्र दिनाँक १ सितम्बर, १९६२ का प्राप्त हुआ था । इसकी मुख्य बातें और इस पर की गई कार्यवाही का वर्णन संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८५७ पर)

जौनपुर जिले में बागों की जमीन का लगान

*८०—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की प्रत्येक तहसील के किसानों पर बागों की उस जमीन पर जिसमें पेड़ मौजूद हैं गलती से जो आठ साल तक का लगान लिया जा रहा है या लिया गया है या लिया जाने वाला है उसके लिये सरकार द्वारा किसी प्रकार की जाँच शुरू करके फिर से लेखपालों की खतियोनी से दर्ज लगान निकाला जा रहा है ? यदि हाँ, तो कितने दिन में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, क्योंकि तथाकथित अशुद्धियों के निवारण के लिये किसानों द्वारा आवश्यक प्रार्थनापत्र संबंधित अधिकारियों को दिया जा सकता है जिस पर जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हो सकती है ।

रहीमाबाद में मुसलमानों की गुप्त मीटिंग

*८१—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार को पता है कि ६ या ७ अगस्त, १९६२ को शहर लखनऊ में रहीमाबाद में मुसलमानों ने एक गुप्त मीटिंग करके निश्चय किया है और मांग की है कि पाठ्य पुस्तकों से हिन्दू महापुरुष के लेख अगर न निकाले जायं तो मुसलमान अपने-अपने लड़कों को स्कूलों से निकाल कर अलाहिदा स्कूल खोलें ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

*८२—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*८३—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

संस्कृत अध्यापकों का वेतन-क्रम

*८४—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के सहायया प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों के लिये सरकार ने कोई वेतन-क्रम निश्चित किया है ? यदि हां, तो क्या ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

जौनपुर कलेक्टरी के अस्थायी कर्मचारी

*८५—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कितने कर्मचारी हैं जो कि खाद्य एवं पूर्ति विभाग से १९५३ में निकाल दिये जाने के कारण कलेक्ट्रेट, जौनपुर में खाली स्थानों पर अस्थायी रूप से रख लिये गये थे और अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्यारह ।

*८६—श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार इन कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में कुछ विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । दो ने सेवा निवृत्ति प्राप्त कर ली है तथा शेष नौ का स्थायीकरण बारी आने पर हो जायगा ?

राप्ती पर पुल

*८७—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वित्तमंत्री ने ३०-३१ अगस्त, १९६२ को बस्ती जिले के दौरे के सिलसिले में डुमरियागंज में वहां के निवासियों को यह आश्वासन दिया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत ही डुमरियागंज में राप्ती पर और मुंहचुरुवा में बूढ़ी राप्ती पर पक्के पुल बनवा दिये जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

*८८—श्री भानुप्रतापसिंह—यदि हां, तो उपरोक्त आश्वासन का क्या आधार है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली जिले में चकबन्दी

*८९—श्री भगवानदीन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नाम मझगांव, जमरावां, परगना सेयरौता, तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली में चकों के गलत बंटवारे के सिलसिले में फरवरी व मार्च, १९६२ में कितने मामले चकबन्दी अधिकारी के सामने आये तथा उनमें से कितने चकों का सुधार संतोषजनक रूप में हो गया और कितने मामले अब भी बिना फैसले के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम मझगांव व जमरावां में कोई उजरदारी फरवरी व मार्च, १९६२ में चकबन्दी अधिकारी के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई थी । उक्त स्थिति में प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*९०-९१—डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ६४-६५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर जिले में बाढ़

*९२—श्री रघुबीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में गंगा नदी, नंगई, बेसों, तमसा तथा जिले की नौ नदियों में बाढ़ का काफी प्रकोप है और बाढ़ का पानी खतरे के बिन्दु को पार कर रहा है ? यदि हां, तो जिले में कुल कितने धन, मकान, पशु और मनुष्यों की जानें गईं और सरकार की तरफ से अब तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को क्या-क्या मदद पहुंचाई गई ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। उक्त स्थिति के कारण प्रश्न के अन्य भागों के उत्तर देने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

*९३-९४—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—[हटा दिये गये।]

*९५—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—[हटा दिये गये।]

*९६-९७—श्री रामप्यारे—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९८-१००—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—[१५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ६६-६८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*१०१—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—[१५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

वासिल बाकी नवीस

*१०२—श्री जगन्नाथ राव—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व-कर संग्रही विभाग स्थायी होने पर अमीन स्थायी हो गये, परन्तु सहायक वासिल बाकी नवीस का पद न तो स्थायी हुआ न उनके लिये पदोन्नति का मार्ग ही रह गया, क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, एकीकृत संग्रह योजना के अन्तर्गत ५३८ सहायक वासिल बाकी नवीसों के पद स्थायी घोषित कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त २७२ पदों को १-४-६२ से स्थायी किया जा रहा है। इन स्थायी पदों पर नियुक्ति के संबंध में भी आवश्यक आदेश जारी किये जा रहे हैं।

रामगंगा पुल, अफजलगढ़

*१०३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा पुल, अफजलगढ़ में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ है और टैक्स लगा कर कितने समय में रुपया वसूल किया जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल—पुल तथा उससे संबंधित कार्यों को निर्माण करने की लागत लगभग ४५,५६,००० रुपये आयी है। इस पुल पर पथकर उस समय तक लिया जायगा जब तक कि उस पर व्यय की गई धनराशि न वसूल हो जाय या २० साल तक जो भी अवधि कम हो।

*१०४—श्री श्रीराम—इस पुल के स्थान पर नाव का पुल बनाने पर टैक्स लेने की क्या दर थी और आमदनी प्रतिवर्ष कितनी होती थी ?

श्री गिरधारीलाल—पथकर की दरों की सूची, जो सुवाला नौकाघाट (ferry) पर लिये जाते थे, सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है। उक्त नौकाघाट पर ठेके से प्रतिवर्ष ४९,००० रुपये की आय थी।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८५८-८५९ पर)

खुदागंज-बदायूं सड़क

*१०५—श्री महरासिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के रामगंगा व गंगा के बीच के क्षेत्र में खुदागंज से बदायूं तक की जिला परिषद् की सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर पक्की बनाने का मामला उनके विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कितने मील वह बनेगी ?

श्री गिरधारीलाल—खुदागंज जिला शाहजहांपुर में स्थित है। वहां से बदायूं के लिये किसी सीधी सड़क के निर्माण का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। जिला फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा के बीच के क्षेत्र में बदायूं से उसावां होती हुई जरीनपुर सड़क निर्माण हो रही है। जरीनपुर से राजापुर सड़क का ६ मील के भाग का निर्माण भी सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है। शेष ४ मील के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

अस्थायी कलेक्शन अमीन

*१०६—**श्री महरार्मसिंह तथा श्री सूबेदारसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय बेंच के कलेक्शन अमीनों के कनफरमेशन सरकार कब तक करने का विचार कर रही है? इस समय उनके कनफरमेशन के संबंध में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१ अप्रैल, १९६२ से कलेक्शन अमीनों के १,७७१ अस्थायी पदों को स्थायी करने का निर्णय कर लिया गया है और आवश्यक आदेश जारी किये जा रहे हैं। इन पदों पर स्थायी नियुक्ति के संबंध में जिलाधीश यथासमय आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

*१०७—**श्री महरार्मसिंह तथा श्री सूबेदारसिंह**—मैनपुरी जिले में तहसीलवार पृथक्-पृथक् कितने कलेक्शन अमीन हैं जिनके कन्फरमेशन अभी तक नहीं हो पाये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८६० पर)

*१०८—**श्री महरार्मसिंह तथा श्री सूबेदारसिंह**—क्या सरकार इस बात को दृष्टिकोण में रखते हुये कि अमीनों के पास वसूली का काफी सरकारी पैसा जमा हो जाता है उनकी एवं धन की सुरक्षा के लिये कोई विशेष सुविधाएं देने पर विचार कर सकेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, इस संबंध में जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि ऐसे स्थायी तथा अन्य कलेक्शन अमीनों को, जो काफी समय से कार्य कर रहे हैं और जो अपने पैसे से बन्दूक खरीदना चाहते हों आवश्यक लाइसेन्स देने में उदारता की नीति अपनायें।

*१०९-१११—**श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी)—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली तहसील में चकबन्दी

*११२—**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रायबरेली तहसील में जो चकबन्दी होने जा रही है वह कब तक प्रारम्भ हो जायगी और जहां पर चकबन्दी होने जा रही है वहां जो भूमि नदी के किनारे है और ऊंची-नीची है उसके चक किस भांति बनाये जायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रायबरेली तहसील में चकबन्दी कार्य सितम्बर, १९६२ से प्रारम्भ कर दिया गया है। ऐसी भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो चकबन्दी अधिनियम की धारा ३ (२) के अनुसार चकबन्दी योजना में सम्मिलित नहीं की जाती। अतः ऐसी भूमि में चक बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

*११३—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[१५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*११४-११५—**श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)—[१५वें शुक्रवार के लिय प्रश्न ७०-७१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*११६-११७—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—[१५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

आनन्दनगर-उस्का सड़क पर कूड़ ब्रिज

*११८—श्री जगदीश—बस्ती जिले की आनन्दनगर-उस्का सड़क पर पड़ने वाले कूड़ ब्रिज के संबंध में रेलवे से क्या तै पाया गया है ? रेलवे पुल ही सड़क के काम में आयेगा या दूसरा पुल बनाना पड़ेगा ?

श्री गिरधारीलाल—यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

*११९—श्री दयाराम शाक्य—[१५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ७२ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*१२०—श्री दयाराम शाक्य—[१५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२० के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

सिकन्दरपुर-दहताल सड़क

*१२१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरपुर-दहताल रोड, जिला बलिया का निर्माण करने के लिये ९ से १७ मील तक का एग्रीमेंट किन-किन तिथियों और किन-किन ठेकेदारों को किन-किन मीलों का करने के लिये हुआ था ?

श्री गिरधारीलाल—इस का विवरण सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८६१ पर)

*१२२—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रोड का निर्माण करने हेतु भूमि कब ऐक्वायर की गयी और उसका मुआवजा कब दिया गया ? क्या इस सड़क की लाइन ग्राम बहपुरा में बदली गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल—भूमि ४-४-६० को ऐक्वायर किया गया था, भूमि का एवार्ड १९६१-६२ में घोषित किया गया था और मुआवजा भी बांटा गया और बांटा जा रहा है । इस सड़क की लाइन १९६० में बदली गई थी ।

*१२३—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ और १६वें मील का एग्रीमेंट कब हुआ और कितनी मिट्टी का तथा प्रत्येक ठेकेदारों का फाइनल पेमेंट एवं काम कब-कब खत्म हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—मील १२ से लेकर १६ तक मिट्टी भराई का एग्रीमेन्ट १२-८-५९ को श्री अमीर चन्द सिंह के नाम हुआ था । उनको ४१,९१,६०० घनफुट मिट्टी का काम करना था और उनका अन्तिम भुगतान अगस्त, १९६१ में हुआ था । इस के अलावा मील १६ में श्री अमीर चन्द सिंह ने जो काम छोड़ दिया था उसको श्री बलेश्वर राम को अगस्त, १९६१ में दिया गया और उनका अन्तिम भुगतान मार्च, १९६२ में किया गया ।

चकबन्दी ग्रामों में हरिजन आबादी

*१२४—श्री लखीसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समस्त प्रदेश में चकबन्दी होने के बाद हरिजनों को ग्रामों की आबादी में मकान बनाने की सुविधा देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हरिजनों की आबादी के लिये चकबन्दी ग्रामों में आवश्यकतानुसार अलग से भूमि जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा १४ (२) (क) के अधीन सुरक्षित की जा रही है। उक्त भूमि को केवल हरिजनों की ही आबादी के लिये उठाने का कार्य संबंधित ग्रामों की प्रबन्धक समितियां कर सकेंगी।

*१२५--**श्री लखीसिंह**--क्या सरकार को ज्ञात है कि पंजाब के समस्त हरिजन व जाटवों के लिये चकबन्दी अधिकारियों ने आबादी में मकानों की जमीन छोड़ दी थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार को इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

*१२६--**श्री लखीसिंह**--क्या सरकार चकबन्दी में उसी तरह की नीति को निर्धारित करेगी जैसे पंजाब प्रान्त में की गई तथा जिला मथुरा के छाता क्षेत्र के चकबन्दी अधिकारियों को इस व्यवस्था का आदेश देने का कष्ट करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पंजाब राज्य में क्या नीति निर्धारित की गई है, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। तथापि यदि हरिजनों के लिये आबादी में मकान बनाने की व्यवस्था का मंतव्य है, तो जैसा प्रश्न १२४ के उत्तर में बतलाया गया है आवश्यकतानुकसार इसके लिये चकबन्दी ग्रामों में उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम प्राविधानों तथा वैभागिक निर्देशों के अनुसार अलग से भूमि सुरक्षित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

गौरीगंज-मानमलीपुर सड़क

१--**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह** (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष के बजट में सुल्तानपुर की किस पुरानी सड़क को अधूरी छोड़कर नई सड़क को बजट में लिया गया है? यदि वह गौरीगंज-मानमलीपुर रोड है, तो उसे न लेने का क्या कारण है जबकि उस क्षेत्र में एक भी सुविधाजनक सड़क नहीं है?

श्री गिरधारीलाल--जिला सुल्तानापुर में किसी भी पुरानी सड़क को अधूरी छोड़ कर नई सड़क नहीं ली गई है। गौरीगंज-मानमलीपुर सड़क ७ मील लम्बी है तथा बनकर तैयार हो गई है।

२--**कुंवर रुद्रप्रतापसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गौराजामों तथा जगदीशपुर की कौन-कौन-सी सड़कों में कार्य प्रारम्भ तथा पूर्ण होगा? यदि एक भी नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल--गौराजामो तथा जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी सड़क को बनाने की योजना नहीं है। इसका कारण धन की कमी और अन्तरिम जिला परिषद्, सुल्तानपुर द्वारा उक्त क्षेत्र की सड़कों को नीची प्राथमिकता देना है।

रामगंगा के कटाव में मूढ़ा ग्राम

३--**श्री हेमराज** (जिला बरेली)--क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम मुढ़ा, तहसील दातागंज, जिला बदायूं १९५८ से रामगंगा नदी से बराबर काटा जा रहा है जिससे गांव के सब पक्के मकान कट गये हैं और इस वर्ष बचे-खुचे मकान व एक पचास हजार रुपये से अधिक लागत की कोठी भी लगभग कट चुकी है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उन ग्रामीणों को क्या सहायता दी है और मकान जिनके कट चुके हैं उन्हें क्या क्षतिपूरक दिया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, यह सही है कि ग्राम मूढ़ा की लगभग कुल आबादी रामगंगा नदी के कटाव से प्रभावित हुई है, जिसमें कि उक्त पक्की कोठी तथा अनेक कच्चे-पक्के मकान शामिल हैं ।

अब तक कटाव पीड़ित व्यक्तियों को सहायतार्थ ९९ रुपये के खाद्य पदार्थ, १६० रुपये अहेतुक सहायता, ४०५ रुपये की हाउस-सबसीडी, और १८० रुपये की तकावी वितरित की जा चुकी है ।

क्षति पूर्ति करने का न तो कोई प्राविधान है और न ऐसा करना शासन के लिए सम्भव ही है ।

४—श्री हेमराज—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त ग्रामवासियों ने १९५८ में अलग बसने के हेतु भूमि प्रदान करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार व अन्य अधिकारियों को दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर कोई कार्यवाही न होने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, अलग बसाये जाने के लिए सन् १९५८ में अधिकारियों के पास प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे और उसके फलस्वरूप २८-३-१९५९ को फ्लड-रिलीफ ऐक्ट, १९४८ की धारा ३ के अन्तर्गत भूमि लेने के लिए नोटिसें जारी की गईं, परन्तु कृषकों ने उस पर बार-बार आयुक्त, रुहेलखंड डिवीजन, बरेली के पास आपत्तियां पेश कीं । आपत्तियों को सुनने के पश्चात् आयुक्त ने सम्बन्धित कागजातों को जिलाधीश के पास आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश भेज दिया है ।

त्रिवर्षीय हायर सेकेंडरी कोर्स

५—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेंडरी स्कीम कब लागू हो रही है और इसके अन्तर्गत प्रथम परीक्षा किस सन् में होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—सम्प्रति त्रिवर्षीय हायर सेकेंडरी कोर्स लागू करने का कोई विचार नहीं है ।

६—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—क्या सरकार का विचार माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कक्षा ११ कृषि (इन्टर प्रथम वर्ष) की परीक्षा में अंग्रेजी के दो परचे करने का है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—माध्यमिक शिक्षा परिषद् कक्षा ११ इन्टर प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं लेता । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

७—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—क्या सरकार का विचार माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इन्टर वैज्ञानिक में कक्षा ११ की परीक्षा को भी परिषद् की परीक्षा निकट भविष्य में करने का है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष नहीं आया ।

छपिया-मंझरिया ग्राम अग्निकांड

८—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार को पता है कि तहसील बस्ती, परगना बहूली पश्चिम, तथा कपरी के अन्तर्गत छपिया-मझरिया नामक ग्राम में अगस्त के पहिले पक्ष में एक भयंकर आग लग गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—छपिया-मंझरिया ग्राम में आग अगस्त के पहले पक्ष में तो नहीं लगी थी, पर १०-६-१९६२ को अवश्य लगी थी ।

९—श्री श्यामलाल—कितने धन-जन की क्षति हुयी, क्या सरकार इसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस अग्निकांड से श्रीमती भगवान देई का घर जला जिससे ३०५ रुपये की अनुमानित क्षति हुई और श्रीमती भगवान देई जो कि एक बूढ़ी स्त्री थी जल कर मर गई, और साथ ही इनके भांजे का लड़का शिवपूजन, जिसकी आयु ५ वर्ष थी वह भी जल कर मर गया ।

बाराबंकी जिले में जूनियर हाई स्कूल

१०—**श्री द्विजेन्द्रनारायण**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में जुलाई, १९६२ से अब तक कितने जूनियर हाई स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—जुलाई, १९६२ से अब तक बाराबंकी जिले में ९ जूनियर हाई स्कूल जिला परिषद् द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर खोले गये :—

१—दहिला	४—बड़ेल	७—मवई
२—मेलवल	५—करपिया	८—किठौया
३—नेवाजपुर	६—सरसवां	९—खेता सराय ।

११—**श्री द्विजेन्द्रनारायण**—क्या इन स्कूलों के स्थान निश्चित करने में किसी सिद्धान्त या नियम का पालन किया गया है ? यदि हां, तो कौन-सा ?

आचार्य जुगलकिशोर—निम्नलिखित सिद्धान्तों का विशेष रूप से पालन किया गया:—

(१) १९५७ का शिक्षा सर्वेक्षण,
(२) अधिक से अधिक जनता का लाभ,
(३) जनता की मांग,
(४) जन-संख्या,
(५) उपयुक्त स्थान ।

१२—**श्री द्विजेन्द्रनारायण**—जिला बाराबंकी के बीकोडर ब्लाक के ग्राम टिकरा-बाजार-बबुरी गांव के लोगों के प्रार्थना-पत्र देने पर भी अन्तरिम जिला परिषद्, बाराबंकी ने स्कूल इस गांव में क्या नहीं खोला जबकि इसी के पास अन्य स्थान पर स्कूल खोला गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—टिकरा ग्राम, शिक्षा सर्वेक्षण के अन्तर्गत निर्धारित नियमों की पूर्ति नहीं करता है ।

लखनऊ क्षेत्र में प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों के चपरासी

१३—**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रीजन के शिक्षा विभाग में प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों के मातहत जो चपरासी कार्य करते थे उनकी सेवायें समाप्त करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

डेरापुर ग्राम में पुल निर्माण का स्थगन

१४—**श्री नित्यानन्द पांडेय** (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत डेरापुर ग्राम में जो तहसील का सदर मुकाम भी है, उसमें जो सेंगुर नदी का पुल बन रहा था उसका कार्य विगत २, ३ महीनों से सहसा क्यों रोक दिया गया ? क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकारी विशेषज्ञ उस पुल को न बनाकर रपटे का पुल बनाना चाहते हैं, जो सार्वजनिक हित के विरुद्ध और वर्षाकाल में, आवागमन को अवरोध कर देगा ?

श्री गिरधारीलाल—१९६१ की बाढ़ का स्तर बहुत ऊंचा होने के कारण कथित पुल का डिजाइन बदलना आवश्यक हो गया। अतः पुल का निर्माण-कार्य रोक देना पड़ा। पुल के स्थान पर रपटे के पुल बनाने का कोई विचार नहीं है।

घाटों का ठेका

१५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतलावेगी कि प्रदेश में उन घाटों की संख्या क्या है जिन घाटों का ठेका (नाव चलाने का) सरकार प्रत्येक वर्ष नीलाम करती है ?

१६—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश में घाटों का नीलाम १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में कितने-कितने धन का हुआ और वह घाट किन-किन जिलों में हैं तथा नदियों में पड़ते हैं ?

१७—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इन घाटों पर कितने कर्मचारी रक्खे गये हैं और उनको वेतन भत्ता १९६०–६१, १९६१–६२ में कितना दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

बहजोई में लड़कियों के लिये हाई स्कूल न होना

१८—**श्री विशनलाल यादव** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कस्बा बहजोई (जिला मुरादाबाद) में लड़कियों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध करने हेतु हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

गुरबख्शगंज थाने में मादक वस्तुओं का विक्रय

१९—**श्री रतीपाल**—क्या सरकार ने रायबरेली जिला थाना गुरबख्शगंज के अन्तर्गत ग्राम पूरे आशाराम, पाहो, रहवां, भीतर गांव, खीरों में शराब, गांजा व अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री का विशेष आदेश दे रक्खा है जबकि रायबरेली जिला dry area घोषित है ? यदि नहीं, तो वहां शराब-गांजा आदि क्यों खुले आम बिकती है ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

२०—**श्री मैनेजरसिंह**—[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

सार्वजनिक निर्माण कार्यालय, बलिया

२१—**श्री मैनेजरसिंह**—सार्वजनिक निर्माण विभाग बलिया के कार्यालय प्रांगण के पश्चिमी किनारे पर निर्मित भवन बजट के किस मद से और किस प्रयोजन हेतु बनाया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—सार्वजनिक निर्माण विभाग के बलिया के कार्यालय के प्रांगण में निर्माण-सामग्री रखने के हेतु दो गोदामों का निर्माण किया गया था जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

एक गोदाम का निर्माण बजट शीर्षक "८१—नागरिक निर्माण-कार्य—मूल निर्माण कार्य—भवन—नागरिक निर्माण-कार्य" से किया गया था तथा दूसरे गोदाम का निर्माण बलिया—बैरिया—रेलवेगंज सड़क के आगणन से बजट शीर्षक "८१—नागरिक निर्माण-कार्य—मूल निर्माण-कार्य—यातायात के साधन" से किया गया था।

२२—श्री मैनेजरसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भवन का पूरा विवरण, नक्शा, एस्टीमेंट टेन्डर नोटिस की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—उक्त भवन का पूरा विवरण, नकशा, एस्टीमेट और टेंडर नोटिस की एक एक *प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

२३—श्री मैनेजरसिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त भवन में सार्वजनिक निर्माण विभाग, बलिया दो सहायक अभियन्ता द्वितीय व तृतीय निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितना भाड़ा (किराया) देते हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां । यह लोग क्रमशः ४६ व ३२ रुपये प्रतिमास किराया देते हैं ।

अन्तरिम जिला परिषद्, कानपुर के अध्यापकों का वेतन

२४—श्री बेदराम (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि अन्तरिम जिला परिषद्, कानपुर के अध्यापकों को जुलाई तथा अगस्त, १९६२ का वेतन दिनांक १२ सितम्बर, १९६२ तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि दे दिया गया है, तो किस तिथि को ?

आचार्य जुगलकिशोर—शिक्षा संबंधी नियत अनुदान (Contract Grant) के द्वितीय आवर्ती (Second Instalment) की पेमेन्ट औथौरिटी देर में प्राप्त होने के कारण अध्यापकों का जुलाई मास का वेतन २२ सितम्बर, १९६२ को भुगतान किया गया । अगस्त तथा सितम्बर, १९६२ के वेतन का भुगतान अक्तूबर, १९६२ के अन्तर्गत पूर्णतया हो चुका है ।

राजकीय आदर्श विद्यालय, मैनपुरी तथा दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाचार्य का चुनाव

२५—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी राजकीय दीक्षा विद्यालय के अध्यापकों को अपने राजकीय आदर्श विद्यालय जो दीक्षा विद्यालय के अन्तर्गत चल रहा है उसमें अपने बालक, बालिकाओं का दाखिला कराने का अधिकार है या नहीं ? यदि है, तो उन अध्यापकों के बच्चों का दाखिला क्यों नहीं किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

किन्तु सभी अध्यापकों के बच्चों को जो प्रवेश के इच्छुक थे दाखिल कर लिया गया है ।

२६—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी आदर्श विद्यालय में कितने अध्यापकों के बालक, बलिकायें दाखिल नहीं की गई हैं जो अध्यापक उसी नार्मल स्कूल मैनपुरी में अध्यापक हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के अनुसार यह प्रश्न नहीं उठता ।

२७—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय दीक्षा विद्यालय के प्रधानाचार्य (हेडमास्टर) का चुनाव कितने प्रतिशत विभाग द्वारा होता है और कितने प्रतिशत पब्लिक सरविस कमीशन द्वारा होता है ? क्या प्रधानाचार्य के चुनाव में गुप्त चरित्र लेखा पर भी कोई ध्यान दिया जाता है या नहीं ?

---

*छापी नहीं गई ।

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय दीक्षा विद्यालय के प्रधानाचार्य की भर्ती निम्न प्रकार होती है :—

४० प्रतिशत सहायक अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा,

४० प्रतिशत विद्यालय निरीक्षकों से पदोन्नति द्वारा,

१० प्रतिशत ट्रेनिंग कालेज के व्याख्याताओं से पदोन्नति द्वारा,

१० प्रतिशत पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा खुली भर्ती से।

पदोन्नति द्वारा दीक्षा विद्यालयों के लिये प्रधानाचार्यों के लिये चयन के समय चरित्र पंजिकाओं पर ध्यान दिया जाता है।

बड़हलगंज ब्लाक निर्माण का ठेका

२८—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या निर्माण मंत्री १४ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या ८१ के क्रम में यह बतायेंगे कि—

(क) काम करने का आदेश किस तिथि को दिया गया ?

(ख) बान्ड किस तिथि को दिया गया ?

(ग) काम की कोई डिजाइन थी ?

(घ) यदि हां, तो उक्त डिजाइन कब-कब ठेकदारों को दी गई ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों ? बान्ड की तिथि कब समाप्त हुई या हो रही है या ठेकेदारों का समय बढ़ाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—(क) ४ अगस्त, १९६१ को।

(ख) बान्ड की प्रतिलिपि ३१ जनवरी, १९६२ के पत्र के साथ दी गई।

(ग) जी हां।

(घ) डिजाइन व नकशा कार्य-स्थल पर था जिसको ठेकेदार आवश्यकतानुसार बराबर देखता था। तिथि ३ जून, १९६२ को समाप्त हो गई। ११ जुलाई, १९६२ को पत्र द्वारा ठेकेदार से कार्य आगे बढ़ाने को कहा गया परन्तु उसने ऐसा नहीं किया।

२९—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या यह सही है कि बान्ड की तिथि समाप्त होने के पश्चात् ठेकेदारों पर जुर्माना किया गया है ? यदि हां, तो बान्ड की किस धारा के अनुसार ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। बान्ड में संलग्न जी० पी० डब्लू० (G. P. W.) फार्म नम्बर ९ की धारा २ के अनुसार।

फूलपुर तहसील के कछार क्षेत्र में लगान माफी की प्रार्थना

३०—**श्री बंशीलाल** (जिला इलाहाबाद)—क्या राजस्व मन्त्री दिनांक ७ सितम्बर, १९६२ ई० के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या २१, २२ और २३ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि क्या दोनों किस्तों की मालगुजारी एक में करने के पहले दोनों किस्तों की अलग-अलग मालगुजारी क्या थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दोनों किस्तों की मालगुजारी एक में करने के पहले, मालगुजारी दो किस्तों में यानी ५०-५० प्रतिशत के हिसाब से वसूल की जाती थी।

३१—**श्री बंशीलाल**—[हटा दिया गया।]

बिसन नारायण इंटर कालेज, लखनऊ में बढ़ी फीस

३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हजरतगंज बिसन नाराण इंटर कालेज में फीस माफी वाले छात्रों की डी० ए० (बढ़ी हुई) फीस माफ नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—फीस नियमानुसार माफ कर दी गई है। केवल जुलाई १९६२ की डी० ए० (बढ़ी हुई) फीस गल्ती से सभी छात्रों से ले ली गई। प्रधानाचार्य को आदेश दे दिया गया है कि जुलाई की जो अधिक फीस ले ली गई है उसे वापस कर दें या अगले महीने की फीस में लगा लें।

३३—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या शिक्षा मंत्री को उस कालेज के संबंध में यह भी ज्ञात है कि कनफर्म अध्यापकों का प्रावीडेन्ट फंड कनफर्म होने के कई साल बाद कटता है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। विचाराधीन विद्यालय के १४ स्थायी अध्यापकों में ८ अध्यापकों का फंड कनफर्म होने की तिथि से कटता है। केवल ५ अध्यापकों का फंड कुछ विलम्ब से कटना शुरू हुआ। इन पाँच अध्यापकों के कागजात उपलब्ध न होने से विलम्ब का कारण नहीं बताया जा सकता।

हां, इधर विद्यालय की असावधानी से एक अध्यापक का फंड चालू नहीं किया गया जिसके लिये उचित आदेश दे दिये गये हैं।

मुरादाबाद जिले में तहसीलदार

३४—श्री विशनलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में कितने तहसीलदार हैं जिनको एक ही तहसील में रहते हुये ३ वर्ष से अधिक समय हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक भी नहीं।

३५-३७—श्री विशनलाल यादव—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

तिलपुरा ग्राम समाज की सम्पत्ति

३८—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक ६ मई, १९६२ को जिलाधीश सीतापुर को प्रधान व कई पंच तिलपुरा का एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ ग्राम समाज तिलपुरा की सम्पत्ति के दुरुपयोग होने के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।
प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

मैनपुरी नगरपालिका के अन्तर्गत बालिका विद्यालय

३९—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी नगरपालिका के अन्तर्गत कितने बालिकाओं के विद्यालय हैं और कहां-कहां पर ?

आचार्य जुगलकिशोर—मैनपुरी नगरपालिका के अन्तर्गत ५ बालिका विद्यालय हैं जो निम्नांकित स्थानों पर हैं :—

१—गोला बाजार, कन्या पाठशाला, गोलाबाजार ।
२—पुरानी मैनपुरी कन्या पाठशाला मुहल्ला सोतियाना ।
३—स्त्री सुधार विद्यालय, मुहल्ला गाड़ीवान ।
४—शिशु उद्यान कन्या विद्यालय, शिशु उद्यान देवी रोड ।
५—कन्या विद्यालय, मोहल्ला पिरोहताना।

४०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[हटा दिया गया ।]

डी० ए० वी० इंटर कालेज, वाराणसी के प्रिंसिपल का चुनाव

४१—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डी० ए० वी० इन्टर कालेज, वाराणसी के प्रिंसिपल का चुनाव नियुक्ति अवैधानिक ढंग से की गई है और उसको पुलिस के बल पर चार्ज दिलाया जा रहा है जिस से उक्त कालेज के विद्यार्थी, स्टाफ तथा जनता में घोर असन्तोष है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । उक्त असंतोष का कारण कालेज की प्रबन्ध समिति में दलबन्दी का होना है ।

४२—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार के पास डी० ए० वी० इन्टर कालेज, वाराणसी के प्रिन्सिपल के चुनाव के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व मैनेजर तथा अन्य लोगों द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो इसमें क्या सत्यता थी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । उसमें किया गया प्रत्यावेदन सत्य नहीं था क्योंकि शासन के विचार से गुलाबानन्द पांडे का चुनाव वैधानिक ढंग से किया गया था ।

४३—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार को मालूम है कि पिछले दो साल से डी० ए० वी० कालेज, वाराणसी के दो मैनेजमेंट कमेटियां चल रही थीं, जिसका समय काल खत्म होने पर इस साल एक नया चुनाव हुआ है तो क्या सरकार कालेज की व्यवस्था को ध्यान में रख कर कमेटी को रिकगनाइज करेगी या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । शासन ने श्री विमलानन्दन वाली प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान की थी । इस वर्ष ९ सितम्बर को एक नई प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ । परन्तु श्री विमलानन्दन की प्रबन्ध समिति ने ८—९—६२ को ही सिविल जज, वाराणसी से निषेधात्मक आदेश प्राप्त कर लिया । अतः जब तक मामला न्यायालय के विचाराधीन है तब तक किसी अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मिश्रिख तहसील में फसल को क्षति

४४—**श्री अवधेशकुमार सिनहा** (जिला सीतापुर) तथा **श्री मुहम्मद रफी खां** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर के बरेठी कलहवा, अरबापुर, आंट, तिलयानी, सआदतनगर, मिरहन, साहबनगर, जाजमऊ, मिर्जापुर शिवयान, नीमसार, औरंगाबाद और अकबरपुर वगैरह गांवों में भारी वर्षा और सैलाब से खरीफ की ७० प्रतिशत से लेकर ९० प्रतिशत तक फसल बिल्कुल तबाह हो गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कथित ग्रामों में खरीफ की फसल को रुपये में ४० नये पैसे से कम की हानि पहुंची है ।

४५—श्री अवधेशकुमार सिनहा तथा श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार इन गांवों के काश्तकारों को कुछ छूट के साथ-साथ उन पर हर किस्म के वाजिबुल अदा (Govt. dues) मतालबात को अदा करने के लिये एक साल की मुहलत देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हानि की मात्रा कम होने के कारण कथित ग्रामों में खरीफ १,३७० फसली की मालगुजारी में नियमों के अन्तर्गत कोई छूट नहीं दी जा सकती है, और न उनमें सरकारी मतालबों की वसूली ही रोकी जा सकती है ।

४६-४७—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—[१६ वें बुधवार के लिये प्रश्न १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

विदेशों में अध्ययन के लिए सहायता

४८—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नान-टेक्निकल विषयों में विदेश में अध्ययन हेतु विद्यार्थियों को वह कोई सहायता देती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, मार्ग व्यय के लिये कुछ सहायता दी जाती है ।

बांदा जिले के लिये नवीन पुल

४९—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार जिला बांदा की नरैनी-कालींजर पक्की सड़क जो पी० डब्लू० डी० की है उस पर एक पुल बांधे नदी पर कब तक बनायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है ।

५०—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार बांदा से फतेहपुर-कानपुर जाने वाली सड़क जो पी० डब्लू० डी० की है उस पर यमुनानदी में पुल बनवाना सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण इस समय इस पुल का निर्माण कराना सरकार के लिये सम्भव नहीं है ।

फैजाबाद जिले में राजस्व

५१—श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फैजाबाद के प्रत्येक तहसील का लगान मालगुजारी १९५२ ई० से लगायत १९६२ ई० तक प्रत्येक वर्ष का कितना है ?

५२—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५२ ई० से लगायत सन् १९६२ तक प्रत्येक वर्षों का लगान कितना वसूल हुआ है और कितना लगान वसूल करने को शेष है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजस्व वर्ष १९५४ से लेकर १९६२ तक की सम्बन्धित सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८६२-८६३ पर)

५३-५४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[१६वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर तहसील में चकबन्दी के मुकदमे

५५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—प्रथम सत्र १९६२ के ११वें शुक्रवार, दिनांक २१ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १०८, १०९ तथा ११० के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ सितम्बर, १९६१ से अब तक जिला फतेहपुर की तहसील फतेहपुर के कितने चकबन्दी के मुकदमें सी० ओ० तथा ए० सी० ओ० द्वारा फैसल हुये और उनका निर्णय किस स्थान पर किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिनांक ११-९-६१ से अब तक जिला फतेहपुर की तहसील फतेहपुर के ९४९ चकबन्दी के मुकदमें सी० ओ० और ए० सी० ओ० द्वारा फैसल हुये और उनका निर्णय बहेलियन टोला, शहर फतेहपुर में कलारन कोठी के सामने स्थित मैदान एवं समय विशेष पर कोठी के फाटक में किया गया है ।

५६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अभी कितने मुकदमें तहसील फतेहपुर के निर्णय होने शेष हैं और उनकी सुनवाई श्री जगदीश मित्रा, सी० ओ० एवं श्री जितई राम, ए० सी० ओ० किस कार्यालय में करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी ४९२ मुकदमें तहसील फतेहपुर के फैसल होने को हैं और उनकी सुनवाई श्री जगदीश मित्रा सी० ओ० व श्री जितई राम ए० सी० ओ० उपर्युक्त स्थान पर करते हैं ।

५७-५८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—[१५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न २८-२९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

५९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या माल मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा सन् १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में तथा चालू वर्ष में दाखिल-खारिज के कितने मुकदमें निर्णय किये गये तथा कितनों के अमल-दरामद हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला फतेहपुर की तहसील बिन्दकी तथा सदर में चकबन्दी अधिकारियों (Consolidation Officers) द्वारा वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में ७१० तथा चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर के अन्त तक ३५२ मुकदमों का निर्णय किया गया तथा १,०६२ मुकदमों के अमलदरामद हुये ।

६०-६२—श्री रामस्वरूप (जिला प्रतापगढ़)—[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३०-३२ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

६३-६४—श्री बंशीलाल—[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

६५-६७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३३-३५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

६८—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)-[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

६९—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—[हटा दिया गया ।]

७०-७१—श्री जगदीशप्रसाद—[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

७२-७३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

तुलसीपुर नोटीफाइड एरिया में शराब की भट्ठी

७४—सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर नोटीफाइड एरिया के तुरतपुर मुहल्लों में कोई देशी शराब बनाने की भट्ठी चलाई जा रहा है जिसकी गंदगी से जन स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसे शीघ्रातिशीघ्र हटाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—तुलसीपुर नोटीफाइड एरिया के अन्तर्गत देशी शराब की कच्ची भट्ठी की दूकान नीलाम प्रणाली के अनुसार चल रही है। इस भट्ठी के द्वारा जनस्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभावों के विषय में समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं जिनमें गन्दे पानी के फैलने से मच्छरों की उत्पत्ति तथा उससे फैलने वाली बीमारियों से जनस्वास्थ्य को हानि पहुंचने का प्रधान कारण बताया गया है। इस गंदगी को दूर करने के लिये स्थानीय राजकीय अधिकारियों से परामर्श लेकर समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अब इस भट्ठी द्वारा गंदगी फैलने के विषय में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हो रही है। अतः अब इसे किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

७५–७६—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ४०–४१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

७७–७९—श्री मदनपालसिंह—[१६ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

हरदोई-बावन सड़क

८०—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई से बावन जाने वाली सड़क को बावन से आगे बढ़ाने की कोई योजना है या नहीं ? यदि है, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

बस्ती जिले में सड़कों की मरम्मत

८१—श्री सोहनलाल धुसिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ के जनरल इलेक्शन में बैलेट बाक्स ले आने और ले जाने हेतु बस्ती जिले की कितनी मील कच्ची और पक्की सड़कों की मरम्मत कराई गई है ?

श्री गिरधारीलाल—General election में Ballot Box ले आने और ले जाने हेतु किसी सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। प्रत्येक वर्ष जो सड़कों की साधारणतया मरम्मत की जाती है वह ही की गई।

८२—श्री सोहनलाल धुसिया—उपरोक्त सड़कों की मरम्मत के लिये कितने रुपये की स्वीकृति दी गई उसमें कितना रुपया खर्च किया गया और कितना शेष है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता।

८३—श्री सोहनलाल धुसिया—वह कौन सी सड़कें और स्थान हैं जहां बैलट बाक्स ले जाने और ले आने की सुविधा हेतु यह मरम्मत कराई गई है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता।

८४–८५—श्री विजयसिंह—[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ४२–४३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

जालौन जिले के कार्यालयों के कर्मचारी

८६—श्री विजयसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि जालौन जिले में जिले तथा तहसील कार्यालयों में कितने स्थायी और कितने अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं? उनकी सूची दिये जाने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८६४ पर)

८७—श्री विजयसिंह—[१५ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

८८—श्री हरीगैनराम—[१५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र

८९—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में इस वर्ष कब से कब तक बाढ़ रही और किस-किस गांव की कितनी-कितनी आबादी प्रभावित हुई है तथा प्रत्येक गांव में कितने लोगों को कितने-कितने दिनों के लिये, अन्न, नमक, तेल आदि की सहायता दी गई और दूसरी कौन सी सहायतायें की गयीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया जिले का रुद्रपुर क्षेत्र इस वर्ष ३ अगस्त, १९६२ और ३ अक्टूबर, १९६२ ई० के बीच की अवधि में समय-समय पर बाढ़ से प्रभावित रहा है। प्रश्न के शेष भाग से सम्बन्धित सूचना कार्यालय में देखी जा सकती है।

९०—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में विकास क्षेत्र वाइज कितने ग्राम तथा कितनी आबादी किन-किन नद-नदी एवं नालों की बाढ़ से पीड़ित हैं तथा कितनी-कितनी किस-किस मद में सहायता दी गई है? प्रत्येक गाँव के क्षति के विवरण को क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा होगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रथम खंड—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

द्वितीय खंड—जिले के लगभग १,३५६ ग्रामों में बाढ़ आदि से क्षति पहुंची है। इतने ग्रामों के बारे में आवश्यक सूचना एकत्र करने तथा उत्तर तैयार करने में जितना धन, समय तथा श्रम लगेगा उससे उतने लाभ की आशा नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८६५–८६७ पर)

९१—श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले में सन् १९६२ की बाढ़ सहायता मद में मंत्रियों, अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों को भत्ते सफर व्यय पर कितना खर्च हुआ तथा शुद्ध सहायता मद में कितना खर्चा हुआ? क्या मंत्री जी उक्त ढंग का विवरण सभी बाढ़ पीड़ित जिलों का देंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस प्रश्न के बारे में भी आवश्यक सूचना एकत्र करने और उत्तर तैयार करने में जितना धन, समय तथा श्रम व्यय होगा उससे उतने लाभ की आशा नहीं है।

सेण्ट एण्ड्रूज कालेज, गोरखपुर

९२—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सेण्ट एन्ड्रूज कालेज के विधान में आज भी यह दर्ज है कि उस कालेज का प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल क्रिश्चियन ही होगा? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—इस विषय में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

९३—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि उपरोक्त कालेज में गत जून मास में जो ११ अस्थायी अध्यापक हटाये गये उसमें से दो क्रिश्चियन्स को तो बगैर सेलेक्शन कमेटी के सामने हाजिर हुये रख लिया गया और बाकी गैर ईसाई मजहब वाले अभ्यर्थियों को जिनमें प्रथम श्रेणी के मास्टर डिग्री के अनुभवी अध्यापक थे, नहीं लिये गये ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—३० जून, १९६२ को केवल दस अध्यापकों का कार्यकाल समाप्त हुआ। बिना साक्षात्कार के किसी को नहीं लिया गया। दस अध्यापकों में से दोनों जिनमें एक प्रथम तथा दूसरी द्वितीय श्रेणी उपाधि प्राप्त था ने आवेदन-पत्र नहीं भेजा। शेष ८ में से, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र भेजे थे, ६ को रखा गया।

९४—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि उपरोक्त कालेज में छात्रों से D. A के नाम पर जो फीस ली जाती है उससे अध्यापकों को D A. नहीं दिया जाता और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की हिदायत के बावजूद उपरोक्त कालेज रिसर्च कार्य को प्रोत्साहन नहीं देता ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—छात्रों से प्राप्त डी० ए० की सम्पूर्ण धनराशि मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत कुछ धनराशि को मिलाकर २०० रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में बांट दी जाती है। कालेज के २० प्रतिशत अध्यापक शोध कार्य में संलग्न हैं।

अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर के लिए अध्यापक

९५—श्री जगन्नाथ राव—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर के अध्यक्ष ने इस वर्ष जुलाई-अगस्त में कितने अध्यापकों की माँग राज्य सरकार से की है तथा राज्य सरकार ने उसे क्या उत्तर दिया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—१,०३० अध्यापकों की माँग शिक्षा निदेशक से की गई थी। इस सम्बन्ध में इन्हें कोई उत्तर नहीं दिया गया है। परन्तु १७० अध्यापकों को रखने हेतु अनुदान स्वीकार किया गया है।

९६—श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार ने १९६०-६१ में अन्तरिम जिला परिषद्, जौनपुर के अध्यक्ष से कहा था कि अन्ट्रेन्ड अध्यापक रख लें ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

९७—श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष सन् १९६२-६३ में जौनपुर जिले में कितने प्राइमरी पाठशालायें लड़कों व कन्याओं के लिये खुलने वाले थे और कितने अभी तक प्रारम्भ हो सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस वर्ष १९६२-६३ में जौनपुर जिले में २० मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल तथा १७ कन्याओं के जूनियर बेसिक स्कूल (१५ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा २ शहरी क्षेत्र में) १ अक्तूबर, १९६२ से खोलने के आदेश दिये गये हैं।

महेवा विकास खण्ड में चकबन्दी

९८—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की भ्रष्टाचार विरोध समिति ने मई, १९६१ में महेवा विकास खंड के ग्राम नागरो, लोलपुर तथा नगलिया बुजुर्ग में चकों के गलत नापे जाने तथा गलत नक्शा बनाये जाने की शिकायतें जिलाधीश से की थीं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—शिकायतें केवल चकों के गलत नापे जाने के विषय में थी।

९९—श्री सहदेवसिंह—क्या यह सच है कि जिलाधीश के हस्तक्षेप से तथा ए०डी०एम० (चकबंदी) के आदेश से लेखपालों ने दोनों गाँवों के सभी चकों को निरन्तर ५ महीने तक नापा और कमी बेशी की विस्तृत रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया था कि ९५ प्रतिशत चक या तो कम नापे गये या अधिक ? यदि हाँ, तो उन चकों को नाप तथा नक्शों को दुरुस्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो क्यों नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दो लेखपालों द्वारा एक सहायक चकबंदी अधिकारी की देख-रेख में उक्त दोनों ग्रामों के सभी चकों की पैमाइश कराई गई थी। अधिकांश चकों के क्षेत्रफल में कमी या बेशी पाई गई थी। सम्भवतः इन ग्रामों में खेतों के रकबे बन्दोबस्त में दर्ज रकबों से भिन्न थे, लेकिन कागजात को दुरुस्त कराने का कोई उजरदारी कृषकों के न तो दुरुस्ती कागजात के समय की और न प्रस्तावित चकों के परचे बटने पर ऐसे ग्रामों में नये चकों पर कब्जा दिलाते समय केवल उन्हीं खेतों की पैमाइश की जाती है जो कट कर एक से अधिक चकों में जाते हैं। यह पैमाइश इन ग्रामों में की गई लेकिन तब भी सम्पूर्ण चकों में क्षेत्रफल की न्यूनता की कोई शिकायत नहीं हुई थी। अब जब कृषक गण तीन चार फसलें नये चकों पर बो चुके हैं और पुराने खेतों के मेड़ के चिन्ह मिटा चुके हैं तथा इन ग्रामों के अन्तिम अभिलेख भी बन चुके हैं, कोई वैधानिक कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं हो सकती है। आपसी समझौते से यथासम्भव सुधार करने के प्रयासों से भी कोई सफलता नहीं मिल सकी है।

प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नों का उत्तर देने के सम्बन्ध में जो हालत मंत्रियों की रही है उसको आप देखें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान खास तौर पर इस ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि एक तरफ तो वे विरोधी पक्ष के लोगों से सहयोग करने की अपील करते हैं और दूसरी तरफ स्वयं उनके मंत्री ही उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं जबकि हम लोग पूर्णतया सहयोग कर रहे हैं। अगर इस तरह की हालत इस सदन में रही.....

श्री अध्यक्ष—आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री कल्पनार्थसिंह—इसीलिये मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि वे जरा स्पष्टीकरण कर दें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—कल्पनाथ सिंह जी की मंशा यह है कि मुख्य मंत्री जी ने जो मंत्रियों का चुनाव किया है वह किस बेसिस पर.....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मुझे दुःख है कि जो उत्तर आज हमारे राजस्व मंत्री जी के सचिव महोदय ने दिये उन उत्तरों ने हमारे उधर बैठने वाले साथियों को संतोष नहीं दिया। दुर्भाग्य से आज राजस्व मंत्री जी बीमार हो गये और इस सदन में उपस्थित नहीं हो सके। यह सही है कि जो व्यक्ति स्वतः फाइलों का अध्ययन करता है और जानकारी रखता है वह बहुत सी चीजों पर अधिक प्रकाश डाल सकता है बनिस्बत हमारे उस साथी के जिसको उस विषय की सारी नीतियों तथा अन्य चीजों की जानकारी उतनी नहीं। यद्यपि मैं यह कह सकता हूं कि राजस्व मंत्री जी के जो सचिव हैं वे अपनी बुजुर्गी के रहते हुये ३–४ बजे सवेरे उठते हैं और जो कार्यभार उनके ऊपर डाला जाता है उसका वे अध्ययन करते हैं। फिर भी यदि कोई ऐसे उत्तर रहे हों जिससे हमारे उधर के साथियों को संतोष न हुआ हो तो मैं राजस्व मंत्री जी की तरफ से यह

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

दुख: प्रकट करता हूं कि जो प्रकाश उत्तरों से मिलना चाहिये वह नहीं मिला । इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्व मंत्रीजी अस्वस्थ हो गये और मुझे इसका दुःख है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—मैं आपका ध्यान अतारांकित प्रश्नों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने एक दिन और आप से निवेदन किया था कि हमारे बहुत से प्रश्न जो महत्व के होते हैं वे भी अतारांकित कर दिये जाते हैं । यह शिकायत अलग है । मैं निवेदन करना चाहता हूं अतारांकित प्रश्न २१, २२, २३ के संबंध में । सार्वजनिक विभाग के बजट से दो गोदाम बनाने के लिये रुपया मंजूर हुआ था । उन दोनों गोदामों का रुपया लेकर इंजीनियरों ने खूबसूरत बंगला बना लिया । मेरा यह प्रश्न अतारांकित कर दिया गया । और मैंने नक्शा ऐस्टीमेट मांगा था । जवाब मिला है कि उक्त भवन का पूरा विवरण-नक्शा ऐस्टीमेट और टेन्डर नोटिस की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । वह मुझे मिली नहीं है । एक तो शिकायत यह है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके विषय में गड़बड़ घोटाला हो....

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है । मैं बता दूं कि मिसल यहां पर रखी हुई है । आप कृपा कर यहां देख लें । दूसरा तरीका यह है कि सब प्रश्न तो रोज नहीं हो सकते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो और आपको उत्तर ठीक नहीं मिला है तो हम और आप बैठकर उसको देख सकते हैं और जैसा कि मैं करता आया हूं कि नियम ५० के अन्तर्गत आधे घंटे का समय दे देता हूं, बशर्ते कि आप टिप्पणी दे दें कि किस तरह से वह महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी बातें ज्ञातव्य हैं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ सूचनाएं मेरे पास आई हैं । जहां तक मैं समझता हूं कि आज हम अपना कार्य समाप्त करके चले जायेंगे, तो मैंने उनके संबंध में यह आदेश दिया है कि वे संबंधित मंत्रियों के पास उचित कार्यवाही के हेतु भेजी जायं ।

फर्रुखाबाद में दीनी तालीम कान्फ्रेंस में परिवहन मंत्री के सभा सचिव, श्री शाहिद फाखरी द्वारा दिये गये भाषण के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—अब कुछ सूचनायें मैं आपको दे दूं । एक हमारे सामने माननीय शाहिद फाखरी के विरुद्ध नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना आई थी कि जिसके संबंध में मैंने निवेदन किया था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आ गया है । अब चूंकि हम उठ रहे हैं तो वह नहीं आ सकेगा । माननीय शाहिद फाखरी ने पत्र लिखकर भेजा है जिसको मैं आपको सुना दूं—

"माननीय स्पीकर महोदय,

मैं आपकी सूचना के लिये मुख्य मंत्री जी को लिखे गये पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करता हूं, एक प्रतिलिप कंट्राडिक्शन की भी संलग्न है जो अखबार को भेजी गई है ।"

वह इस प्रकार है कि—

'सम्पादक, स्वतंत्र भारत, लखनऊ ।

मैंने २० अक्तूबर को फर्रुखाबाद में दीनी तालीम कांफ्रेन्स में लगभग पौने दो घंटे भाषण दिया था । आपके सम्मानित पत्र में २५ अक्तूबर के प्रकाशन में पृष्ठ ५ पर मेरे भाषण से संबंधित कुछ वाक्य लिखे हैं जो सही नहीं है । आपके संवाददाता ने लिखने में गलती की है । मैं पूरी याद और ईमानदारी के साथ लिखता हूं कि निम्नलिखित वाक्य बिलकुल गलत हैं और मेरी जुबान से अदा नहीं हुये—

"अगर कोई सरकार मुसलमानों की दीनी तालीम पर मदद नहीं करती तो वह नालायक है ।"

"कौम की तामीर के लिये अगर कोई चीज. . .डंडे के जोर से लेगा" "जापानी खिलौने" आदि।

मैंने यह कहा था कि हमारी सरकार सेकुलर सरकार है। वह दीनी तालीम का हरगिज इन्तजाम नहीं करेगी। इस मामले में सेकुलर सरकार की पालिसी सही है। सरकार को किसी के मजहब की तालीम का प्रबन्ध भी नहीं करना चाहिये। यह स्वयं हमको करना है। आगे चलकर भाषण करते हुये मैंने कहा था कि और मुसलमानों को मश्विरा दिया था कि हमारी सरकार तालीम को आम कर रही है और तमाम संसार में तालीम पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे कौम की तामीर होगी। मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुये मैंने कहा कि आपको दुनिया की तालीम भी हासिल करना है और साइन्स की तालीम भी हमारे देश के लिये जरूरी है। कौम की तामीर के संबंध में यदि आप (मुसलमान) रोड़ा बनेंगे तो ताकत के द्वारा रोका जायगा और लाजमी तालीम जारी होने के बाद जो बच्चा भी तालीम हासिल नहीं करेगा उसको स्कूल में भेजा जायगा। अतः आप (मुसलमान) अपने बच्चों को देश की सेकुलर तालीम भी दीजिये और खाली समय में मजहबी तालीम की तरफ भी तवज्जह दीजिये।

मैंने पैगम्बर साहब के समय में एक साहब जो मदीने में अपने को मुसलमान कह रहे थे लेकिन एक यहूदी के खेत सींचने को मुवाहदा करने के बावजूद रोक दिया था, इसका विवरण करते हुये मैंने कहा था कि वह सही मुसलमान न थे जो एक यहूदी को, यद्यपि वह इस्लाम का विरोधी था, मगर उसके शहरी अधिकार को छीन लेना चाहते थे। मगर पैगम्बर की अदालत से यहूदी के पक्ष में और जापानी किस्म के मुसलमान के विरुद्ध फैसला हुआ। इसकी मिसाल देते हुये मैंने कहा था कि आज कांग्रेस एक अवामी जमात है। अगर इसमें चन्द आदमी कपड़े पहन कर और चन्द आने की टोपी लगा कर कांग्रेसी बन कर कांग्रेस के उसूलों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वह कांग्रेस के उसूलों से दुश्मनी करते हैं। सच्चे कांग्रेसी ऐसा नहीं कर सकते। वह जापानी किस्म के बने हुये कांग्रेसी हैं जिनके दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और इसी की वजह से हमें जमहूरियत में होते हुये भी बाज दफा इन्साफ का मिलना दुश्वार हो जाता है. . .।'

यह बातें हैं। उन्होंने जनसंघ के बारे में यह लिख दिया है कि जनसंघ के बारे में भी मैंने बात नहीं कही थी। अगर आप सुनना चाहें तो मैं उसको पढ़ दूं।

(किसी सदस्य ने पढ़ने के लिये नहीं कहा)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, इसी बारे में मुझे एक जरा-सा निवेदन करना था। मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था। उसमें मैंने यह लिखा था कि इस प्रश्न को हाउस में मैं इसलिये नहीं उठाना चाहता क्योंकि इससे कटुता फैलेगी। लेकिन जब यह प्रश्न स्वयं यहां आ गया है तो एक प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी जांच करवा ली है क्योंकि यह पब्लिक मीटिंग थी, उसको सी०आई०डी० के रिपोर्टर ने नोट किया होगा, और उन्होंने जो नोट किया है वह क्या वही है जो पढ़ कर सुनाया गया है या जो अखबार में निकला है वह नोट किया है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, जब माननीय श्रीपालसिंह जी का पत्र और किसी एक और साहब का पत्र जो इसी विषय में लिखा था, आया, कल ही मुझे उन पत्रों को देखने का अवसर मिला था, मैंने माननीय शाहिद फाखरी के पास भेजा। यद्यपि जब आज उनसे बातचीत हुई और मैंने जानना चाहा कि मेरा पत्र मिला था तो शायद रात्रि को पत्र वह प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि जो अखबार में निकला है वह बिल्कुल गलत निकला है। उन्होंने इसका खंडन अखबार में भेज भी दिया, उन्होंने कहा। यद्यपि मैंने देखा नहीं, शायद वह "स्वतन्त्र भारत" में छप भी गया है। इस विषय में एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार का भाषण नहीं दिया तो मैं नहीं समझता कि जो हमने परम्परा बना रखी है, उस विषय में हम ज्यादा जांय और इस विषय में और जानकारी प्राप्त करने की अभिलाशा प्रदर्शित करें। इसलिये मेरा माननीय श्रीपालसिंह से आपके द्वारा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसको स्वीकार करना चाहिये, यही हमारी परम्परा और मर्यादा रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब कुछ और सूचनायें हैं। माननीय राघवेन्द्रप्रताप सिंह मातृभूमि की सेवा के हेतु कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। वह लिखते हैं कि, "जब तक देश पर वर्तमान संकट है मैं अपने विधान सभा से प्राप्त वेतन में से आधा वेतन प्रति मास देना चाहता हूं। कृपया सचिवालय को आदेश दे दिया जाय कि १ नवम्बर से आधा वेतन स्वतः काट कर कोष में जमा कर दें और आधा ही मुझे दिया जाय।"

दूसरा लिखते हैं—"मैं अपनी खेती की पैदावार में से २०० (दो सौ) मन आलू फौज के इस्तेमाल के लिये देना चाहता हूं।"

"तीसरी बात उसके अतिरिक्त मैं अपनी निजी सेवायें मुख्य मंत्री जी को अर्पण करता हूं कि देश की रक्षा में जिस प्रकार और जिस काम के लिये चाहें मेरी सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।"

माननीय मुरलीधर कुरील का है—

"निवेदन है कि मैं अपनी विधान सभा के सदस्य की हैसियत से जो वेतन मिलता है उसमें से ५ रुपया प्रति सैकड़ा के हिसाब से प्रत्येक माह १ दिसम्बर, ६२ से जब तक चीनी बर्बर आक्रमणकारी भारत की पवित्र भूमि से बाहर न खदेड़ दिये जांय, भारत सुरक्षा निधि के लिये सहर्ष देता हूं और यह धनराशि मेरे वेतन बिल से प्रति माह सीधे जमा हो जाने की व्यवस्था करवा लें।"

माननीय धर्मसिंह जी ने लिखा है—

"मैंने अपने एक मास का वेतन मुख्य मंत्री जी के रक्षा कोष में जवानों की भलाई हेतु देना निश्चय किया है। अतः मैंने ७५० रु० का चेक मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया है।"

माननीय कन्हैयालाल (मथुरा) ने लिखा है—

"मैं अपने वेतन का चतुर्थांश अर्थात् ५० रुपया मासिक राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में, उस तिथि तक, जब तक कि चीनी आक्रान्ताओं को देश की सीमाओं से बाहर नहीं खदेड़ दिया जाता है अथवा युद्ध बन्द नहीं हो जाता है, देना चाहता हूं। कृपया ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करें कि हर मास मेरे वेतन बिल में से ५० रुपया काटकर मुख्य मंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा हो जाया करे। यह व्यवस्था दिसम्बर, १९६२ से आरम्भ होगी।"

माननीय केदारनाथ भार्गव ने लिखा है—

"मैं अपने वेतन का चतुर्थांश अर्थात् ५० रुपया मासिक राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में उस तिथि तक, जब तक कि चीनी आक्रान्ताओं को देश की सीमा से बाहर नहीं खदेड़ दिया जाता है अथवा युद्ध बन्द नहीं हो जाता है, देना चाहता हूं। कृपया ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करें कि हर मास मेरे वेतन बिल में से ५० रुपया काटकर मुख्य मंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा हो जाया करे। यह व्यवस्था दिसम्बर, १९६२ से आरम्भ होगी।"

माननीय जगदम्बा प्रसाद ने अपनी परसनल सेवायें दी हैं। "देश की रक्षा के लिये सीमा पर जाकर युद्ध लड़ने को तैयार हूं। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बुलाया जा सकता हूं। इसके अतिरिक्त १ सितम्बर, सन् १९६२ से जब तक कि युद्ध समाप्त न हो जाय, मेरे पांच दिन के वेतन की धनराशि प्रतिमास राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा होती रहे।"

माननीय गिरधारी लाल (वाराणसी) ने लिखा है---

"निवेदन है कि मैंने अपना अक्तूबर, सन् १९६२ का पूरा वेतन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में, वाराणसी स्टेट बैंक के माध्यम से, जमा कर दिया है तथा नवम्बर तथा दिसम्बर मास का भी पूरा वेतन उक्त कोष में जमा करना चाहता हूं। कृपया आप इसकी व्यवस्था कर दें ताकि नवम्बर एवं दिसम्बर, ६२ का मेरा वेतन सुरक्षा कोष में जमा हो सके।"

माननीय बालोजी अग्रवाल का पत्र इस प्रकार है---

"देश की संकटाकलीन स्थिति में प्रत्येक देशवासी का यह कर्त्तव्य है कि वह तन-मन-धन से, सरकार का सहयोग करे। अतः मैं आपको सूचित करता हूं कि भविष्य में मैं अपने वेतन का आधा हिस्सा (१०० रु०) ही लूंगा और आधा रक्षा कोष में दूंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में आप मेरा वेतन संबंधी बिल केवल १०० रुपये का बनवायें और १०० रु० रक्षा कोष में भेजने की व्यवस्था करें।"

माननीय शिवमंगल सिंह ने लिखा है---

"देश में चीन के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये, मैं अपने वेतन में से १०० रुपया प्रतिमास राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में देता हूं।"

और हमारे असेम्बली के कर्मचारी और अधिकारी वर्ग ने भी एक दिन का वेतन देने का प्रस्ताव पास किया है।

माननीय कृष्णा ने लिखा है---

"मैं, कृष्णा राय, निवेदन करना चाहता हूं कि १ नवम्बर से जब तक लड़ाई चलेगी मेरे वेतन का चौथाई, जो ५० रुपया होता है, काटकर मुझे वेतन दिया जाय।"

२१ सितम्बर, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ४७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---अध्यक्ष महोदय, दिनांक २१ सितम्बर, १९६२ को श्री चन्द्रबली द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के संबंध में श्री चन्द्रबली ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बागों पर लगान लगा हुआ है?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि इस समय बागों परकोई लगान नहीं है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है---

"इस समय बागों पर कोई नया लगान नहीं है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८६८ पर)

१९६२-६३ के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

***श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)**---अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सदन का वातावरण ऐसा है कि दिल नहीं कहता कि कोई ऐसी बात कहूं जो कटुता का रंग लिये रहे, क्योंकि सरकार को सच्चे सहयोग की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि मेरा दल नम्बर २ नहीं बल्कि अब नम्बर १ पर है। इस बजट पर कुछ कहने के पहले सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो अपनी लिस्ट पर विरोधियों में हम लोगों को नम्बर १ पर रखती थी उसके लिये आज अवसर आ गया है वह इस बात की परीक्षा ले कि दरअसल हम लोग सरकार की सहायतार्थ कहते हैं या केवल आलोचना की नीयत से। एक लाइन याद आ गई जो एक साहब ने एक बार कही थी कि :---

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

"हर रोज नहीं एक महवर पर, एक रोज इधर एक रोज उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद कि मुहब्बत कर जाये"। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार के यदि अवगुण ही देखा करें और उसमें आलोचना करते रहें तो यह आज अवसर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्रकार की कोई बात छेड़ना नहीं चाहता हूं जो इस वातावरण में अच्छी न लगे। आज सप्लीमेंटरी बजट हमारे सामने है। जैसी परिस्थिति है उसमें देश पर संकट है और जिस प्रकार का चेंज है उसमें मैं किसी के बारे में विरोध नहीं करता किन्तु केवल सुझाव के रूप में कुछ कहूंगा। यह जो सप्लीमेंटरी बजट आया है इसके पूरे विवरण को मैंने नहीं पढ़ा है। मैं उस पर कोई आलोचना की नीयत से कहना नहीं चाहता हूं परन्तु सुझाव रखना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि सरकार अपने खर्चे में कमी करे। जहां तक संभव हो, सरकार को सब खर्चों में कमी करनी चाहिये। जब हम नित्यप्रति देखते हैं कि हमारे सदस्यगण कोई १०० रुपया, कोई ५० रुपया और जितना जिसकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक चीज है कि खास चीजों पर ही खर्च किया जाय और जो खर्च हो रहा है जहां तक संभव हो उसको वहां तक काटा जाय। देश की जो आज स्थिति है उसमें यदि आप पैसा बचाकर विभिन्न परपज के लिये या फौज के लिये खर्च करते हैं तो इससे सब को खुशी होगी और किसी प्रकार की आलोचना का अवसर नहीं होगा।

अब इसको श्रीमन्, देखा जाय कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिये मैं प्रार्थना करता हूं, आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता हूं बल्कि निवेदन करता हूं कि इनको, यदि संभव हो तो, जरूर काटा जाय और इस तरह के खर्चे पर जरूर विचार किया जाय, जैसे कि इसमें १६०० रुपये राज्यपाल को सज्जा भत्ते के भुगतान के संबंध में होनेवाले व्यय को पूरा करने के लिये है। ३९ हजार रुपया मंत्री महोदयों की तीन गाड़ियों के लिये हैं। मैं यह इसलिये कहता हूं कि अगर और मंत्री महोदय केपास जो कार है उससे यदि काम निकल सकता है तो ऐसे खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। इस्टेट डिपार्टमेंट के पास कार हैं उनका उपयोग किया जा सकता है जिससे यह खर्चा बच सकता है।

इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग के लिये वाटरकूलर की खरीद के लिये पैसा रखा गया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से मैंने इसमें एक और जगह पढ़ा है कि लगभग ७५ हजार रुपया लिया जा रहा है कदाचित् राज्य भवन के एक हिस्से को एयर कंडीशन्ड करने के लिये। वह भी इस समय उचित नहीं है। अभी हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है और वह इसलिये स्थगित कर दिया है कि जो रुपया खर्च होगा उसको बचाया जाय। इसलिये अपने हृदय को भी यह अच्छा नहीं लगता है कि ७५ हजार रुपया एयर कंडीशन्ड करने के लिये खर्च किया जाय, जब कि सारा देश संकट में है। इसमें ३५ हजार रुपये से पुरानी लिफ्ट हटा कर नयी लिफ्ट लगायी जा रही है। अगर पुरानी लिफ्ट को ही रिपेयर करके काम चलाया जा सके तो अच्छा हो। इसी प्रकार की बात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी मदों के बारे में है। एक सुझाव कचहरियों के संबंध में है जिस पर अगर मुख्य मंत्री जी ध्यान दें तो सरकार की लाखों रुपयों की बचत हो सकती है। मैं कई बार इस संबंध में निवेदन कर चुका हूं, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी सप्लीमेंटरी बजट में मैंने देखा कि कुछ रुपया डिग्रियों का लोगों को वापस करना है या देना है और इसमें खर्च लगता है। हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष दफा ८० की नोटिसें आती हैं और हमारे सरकारी वकील बिना प्रयोजन उनका विरोध करके भेजे देते हैं। सरकार का इसमें दोष नहीं, सरकार लड़ती है और खर्च सैंक्शन करती है और वह सरकार को देना पड़ता है। प्रमाणतः मैं दो मुकदमे पेश करना चाहता हूं। मुकदमा नं० ३३४ जो १९५८ का है और दूसरा मुकदमा नं० ३५। यह भी १९५८ का है। पहला है रामजियावन वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार .....

श्री नेकराम शर्मा (जिला बस्ती)--इसमें किसी को विशेष दिलचस्पी नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--यह मैं इसलिये कह रहा था कि यह एक ऐसा खर्च है कि जिसमें सरकार का काफी रुपया बच सकता है। वकीलों को इसका जिम्मेदार बनाना चाहिये।

हजारों नोटिसें महीने में आती हैं वफा ८० की और सरकार पर दावे होते हैं और डिग्रियां होती हैं । दूसरी बात, प्लानिंग में बचत हो सके इसके लिये आप फैमली प्लानिंग पर जो ८५ या ८७ हजार रुपया खर्च कर रहे हैं उसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है । उसमें भी जीप, कार्स आदि खरीदी जा रही हैं । अगर जांच के बाद पता लग सके कि उनकी आवश्यकता नहीं है तो वह भी न खरीदी जायं । इसके बाद डी० आई० ओ० एस० के यहां फोन लग रहा है, उसे रोका जा सकता है । एजूकेशन कांफ्रेंस के लिये कहना चाहता हूं और विशेष कर उस पर शिक्षा मंत्री जी ध्यान दें कि जिलों में हर वर्ष यूथ रैलीज होती हैं जिन पर हर जिले में २५, २६ हजार रुपये के लगभग खर्च हो जाता है । इन रैलियों में लड़कों के गेम्स फंड का रुपया खर्च किया जाता है और उनमें कोई विशेष काम नहीं होता । आधाधुन्ध खर्च होता है । अगर सरकार उन रुपयों को बचा कर सदुपयोग करे अथवा इस संकट के समय सुरक्षा के उपयोग में लाये, तो अच्छा होगा । इसके अतिरिक्त एक नयी मशीन लगायी जा रही है ३ लाख ८९ हजार की । उसे टाला जा सकता है । मेरा अनुरोध है कि सरकार वकीलों के बारे में विशेष ध्यान दे और योग्य वकीलों को नियुक्त करे । अभी लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति को हटा कर दूसरे को रखा गया लेकिन फिर भी पता लगा कि डी० जी० सी० का काम अच्छा नहीं है और उसका नतीजा होता है कि केसेज बिगड़ते हैं और रुपया अधिक खर्च होता है । मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । यह सुझाव भी मैंने इसलिये दिये कि सरकार इन बातों पर ध्यान दें और अगर वह अपना यह खर्च बचा सके तो अच्छा होगा केवल इतना ही मुझे कहना है ।

श्री अध्यक्ष--ब्रह्मदत्त जी, आप दो मिनट में समाप्त कर दें तो अच्छा होगा ।

***श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर),---

मुहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पायी जाती है,
तबीयत और घबराती है, जब बहलायी जाती है ।

मतलब यह कि हम तो हर तरह से आत्मसमर्पण कर चुके और करने के लिये तैयार हैं, लेकिन हम उसके साथ-साथ सरकार से यह विश्वास चाहते हैं कि जितना रुपया आप के हाथों में जा रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिये । मैं तो यह महसूस करता हूं और ईमानदारी से महसूस करता हूं कि जितनी रिश्वत और जितना दुरुपयोग हमारे रुपये का जिलों में हो रहा है अगर १ दिन का रोक दिया जाय तो कम से कम २५ करोड़ इस देश के अन्दर से निकल सकता है जोकि रिश्वत के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में दिया जाता है । आप पुलिस को देखिये, प्लानिंग को देखिये, और दूसरे मुहकमों को देखिये, कचहरियों को देखिये, जहां कि सवा रुपये या ढाई रुपये लिये बगैर कागज आगे नहीं चलता है । इसी संबंध में एक एन्टी करप्शन कमेटी बनी थी परन्तु उसको भी तोड़ दिया गया । इस तरह जो थोड़ा बहुत विश्वास था वह भी खो दिया गया । यह वक्त तो कटु आलोचना का नहीं है । मैं यह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जितना दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाय । आज हमको समय की मांग देखते हुए डिफेन्स के बारे में सहयोग के लिये रुपये की आवश्यकता है, इन्सानों के लिये खाने-पीने की जरूरत है । यह सब बातें इसी प्रान्त और देश से होनी हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा । इसलिये आज ऐसी भावनायें जाग्रत करनी चाहिये कि सरकार सही तरीके से जनता के धन का इस्तेमाल कर सके । हमारा रुपया ज्यादा से ज्यादा डिफेन्स के कामों में लगाया जाय ताकि हम दुश्मन के खतरे को बाहर कर सकें । जो बजट हमारे सामने है उसमें जो कमरे ठंडे करने के लिये धन की मद रखी गई है और दूसरी खुशामद परस्ती के लिये है तो इस तरीके के कामों के लिये आज हमारा वक्त नहीं मांग कर रहा है । इससे मुझे बड़ा अफसोस होता है । जो हमारी आशायें हैं वह पूर्ण होती नजर नहीं आती हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्मदत्त माथुर]

आज मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे समय को देखते हुए एक छोटी से कैबिनेट का निर्माण करें और इतनी बड़ी भीड़ मिनिस्टरों की लगाने की आज जरूरत नहीं है। इनका जो दौरा और भत्ता बनता है वह बचाया जाना चाहिये और उस धन का सदुपयोग डिफेन्स के कामों में होना चाहिये। वे यदि ६–७ आदमियों की कैबिनेट बना लें और सब काम अपने हाथ में लेलें तो देश और सारे प्रान्त की जनता आपके साथ और भी कदम से कदम मिलाने को तैयार होगी।

हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज मिनिस्टरों की बड़ी भारी भीड़ है और लोग उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं। जिले में काम करने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। मेरा कहने का मकसद है कि आज रूपये बचाने की जरूरत है, इसलिये इन लोगों को छुट्टी दी जाय। जब फिर कभी जरूरत होगी तो उनको बुला लिया जायगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज हम अपने देश के लिये खून और पसीना देने के लिये तैयार हैं। लेकिन इसके लिये सबसे पहले आपकी तरफ से उदारता बरती जानी चाहिये और लोगों का विश्वास कायम रखने के लिये अच्छे ढंग से कार्य करना चाहिये, जिससे लोग यह महसूस करें कि आप जो कुछ करेंगे वह हमारे हित में और प्रान्त के हित में तथा देश के हित में करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)––अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि आज का समय किसी प्रकार की आलोचना का नहीं है और हम लोग जितना मिल कर, साथ-साथ कदम बढ़ायेंगे उतना ही देश का भला होगा। इस समय बजट पास हो रहा है और उम्मीद है कि आज वह पास भी हो जायगा क्योंकि हम लोग विरोध की भावना से खड़े नहीं हुए हैं। हमको इस बात को देखना है कि बजट में जो फिजूलखर्ची की मदें हैं और अनावश्यक धनराशियां रखी गई हैं वह तो हमारे पूर्ववक्ता माननीय सदस्यों ने कह दिया है। इसलिये मैं अब पुन: कह कर सदन का और समय नहीं लेना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और देश के प्रधान मंत्री जी ने इस बात की अपील की है और जनता से उनके सहयोग और बलिदान की मांग की है।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत ही सूझबूझ का काम किया है और वह यह कि किसानों के ऊपर लगने वाले एक बड़े कर को उन्होंने वापस ले लिया। इसके बदले में वे देखेंगे कि ९० फीसदी किसान का बच्चा बच्चा आज सैनिक का कार्य करने के लिये तैयार है और वह करता भी है। माननीय मंत्री जी को इस उदार हृदयता के लिये और विचार धारा के लिये इस प्रांन्त का किसान उनका अभारी है। मैं आपको बताऊं कि किसान भी इसके एवज अपने खून से देश की रक्षा करेगा। आज नैपाल जैसी छोटी सी बादशाहत भी हिन्दुस्तान के ऊपर अपनी नजर उठा रही है और आप देखें कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी हालत में मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वह फिजूल खर्चियों को रोक दें क्योंकि कोई नहीं जानता कि लड़ाई कैसी करवट ले। हम लोग उस दिन के मुन्तजिर हैं कि जिस दिन भारत भूमि में उस स्थान पर जहां चीनी आक्रमणकारियों के कदम हैं उस जगह चीनियों के सिर के टुकड़े दिखाई दें यह तभी संभव हो सकता है कि जब देश में कोई राजनीतिक पार्टी का अलग-अलग रूप न हो। न जाति या मजहब का सवाल हो आज सबसे पहले हिन्दुस्तान का रहने वाला हिन्दुस्तानी है। हम मुख्य मंत्री को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सही मानों में तन मन-धन देने के लिये जिस समय जिस-की आवश्यकता हो। तैयार हैं। मैं झांसी का रहने वाला हूं और देश की आजादी की रक्षा....

श्री अध्यक्ष––बजट के सिलसिले में कहिये।

श्री लखपतराम शर्मा––मैं यही कह रहा हूं। अगर वर्तमान परिस्थितियों में नौजवानों की जरूरत हुई तो हमारा शहर पीछे नहीं रहेगा और मुख्यमंत्री अगर एक सर का बलिदान मांगेंगे तो हजार सर बलिदान के लिये तैयार हैं लेकिन निवेदन यह है कि फिजूल-खर्चियों

को अवश्य रोका जाय । हम आज कोई ऐसी आलोचना नहीं करना चाहते जिससे आपसी मत भेद हो और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि बेईमानियों और भ्रष्टाचारों तथा ब्लैक के तरीकों को रोकने के लिये सरकार कदम उठाये, उससे देश की रक्षा के लिये आवश्यक सामग्री जुटा सकती है । इसलिये आज हम इस बजट को पास कर दें । कोई राजनीतिक भेदभाव का यह समय नहीं है । हम हर तरह से मुख्य मंत्री को सहयोग देना चाहते हैं । झांसी की रानी शहीद हुई तो उनके साथ आखरी बूंद खून की पठानों की थी। तो हमें विश्वास है कि चीन जैसा दुश्मन यह पहिचान नहीं कर सकेगा कि हिन्दू का कौनसा खून है, मुसलमान का कौनसा, ईसाई का कौनसा या पारसी सिक्ख का कौनसा है, हमारा सबका खून एक रास्ते पर होगा लेकिन उसके साथ आप फिजूल खर्चियों को शीघ्र बन्द कर दें, यह हमारा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष---एक बात सुन लीजिये । माननीय लखपतराम की भावनाएं बहुत ऊंची है और देशभक्ति से परिपूर्ण है लेकिन अगर ४०० आदमी बोलने लग जायगें तो काम नहीं चलेगा । हम लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है, ज्यादा अच्छा होगा कि हम अपनी भावनाओं को संयम से प्रतिष्ठित करें ताकि यह कार्य जल्दी से जल्दी समाप्त हो ।

***श्री राधेश्याम शर्मा** (जिला मथुरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय चूंकि हम लोग सदन में है । यहां पर जो भी बात कही जाय भावनात्मक अधिक न हो । वह तो हम जनता में ही कहें तो अच्छा है । इसमें कोई शक व शुबहा की बात नहीं कि जितने सदन के मेम्बर हैं उनमें देश भक्ति की धारणा बहुत अधिक है । यह हम भी जानते हैं कि सरकार ऐसी स्थिति में जो भी खर्च करेगी वह बहुत सोच विचार कर और सुरक्षा की दृष्टि से ही करेगी । इस बजट के पास कराने के बाद भी उसके सामने सुरक्षा का प्रश्न सबसे पहले होगा । इसलिये यह बात अगर माननीय मंत्री जी कह दें और इस सदन को उसका आश्वासन दे दें तो फिर कोई विवाद नहीं होगा और यह बजट पास हो जायेगा ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस अनुपूरक अनुदान के अवसर पर हमारे देश में जो इस समय संकट है उसके प्रति बड़ी भावुकता के साथ अपने विचारों को प्रकट किया गया । श्रीमन्, जब यह अनुपूरक अनुदान तैयार किया गया और इसका खाका तैयार किया गया उस समय हमारे देश में यह संकटकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी । मान्यवर, मैंने स्वयं सारे बजट को देखा है और हम सब लोगों ने उस पर विचार किया है । हम जानते है कि आज की स्थिति में हमें इस बात को देखना है कौन से व्यय ऐसे हैं जिनको रोका जा सकता है और जिनको रोकने से कोई हानि होने वाली नहीं है । यह भी देखना है कि कौन से व्यय ऐसे हैं जिनको आगे के लिये टाला जा सकता है । कौन से व्यय ऐसे हैं जिनमें कमी की जा सकती है और किस बड़ी से बड़ी सीमा तक की जा सकती है। यह देख कर ही हमने स्वयं यह निश्चय किया है कि इस आदरणीय सदन की इस पर स्वीकृति मिलने के बाद भी हम उन खर्चों के बारे में बहुत ही तीव्रता के साथ विचार करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की स्थिति में हमको एक-एक पाई बचाना है । बजट स्वीकृति के बाद संविधान के अनुसार हमें अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करना पड़ता है और वह आपके सामने है । आज की स्थिति में हमारे विकास के कार्यों में भी बड़ी सीमा तक रुकावट पड़ेगी । बहुत से ऐसे खर्चे होंगे जिनको स्वीकृति हमें मिल चुकी है लेकिन उनको रोकना पड़ेगा । आपकी स्वीकृति मिल जाने के बाद भी हमारा वित्त विभाग उसकी पूरी छानबीन करेगा और एक-एक पाई बचाने की त उसको आवश्यक कार्यों में लगाने की चेष्टा करेगा । इस समय यह तो एक जाब्ते से स्वीकृत लेने की बात है ।

एक और निवेदन कर देना चाहता हूं । हमारे प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों से कुछ अधिक भिन्न है जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया। हमारी सारी सीमा इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

समय एक प्रकार से उलझी हुई है जो दूसरे कई प्रदेशों से दूर है। अन्य प्रदेशों के लिये तो कुछ और सोचने विचारने की बात हो सकती है पर हमारे प्रदेश के लिये तो सिवाय इसके और कोई बात सोचने की हो ही नहीं सकती कि हम अपने प्रदेश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा का भरपूर प्रबन्ध करें और जितनी बातें हैं इस समय वे सब गौण हैं। तो जब आपने इस सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली है कि वह यहां की रक्षा में अपना योगदान दे तो आप विश्वास रखें कि वह बहुत ही दृढ़ता के साथ प्रदेश के समस्त साधनों को सुनियोजित करके उसको अपने सुरक्षा के प्रबन्ध में लगायेगी और आपके सहयोग और कृपा से अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने में समर्थ होंगी। इसके अतिरिक्त और क्या आश्वासन दिया जासकता है। यह दृष्टि ही ऐसी है जिसके अनुसार हम काम करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ में इन अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि जैसे-जैसे विभागों की मांगे प्रस्तुत की जायेगीं उनको जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जायगा ताकि आगे चल कर जो आवश्यक कार्य है, उनको हम पूरा कर सकें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---मैं अभी बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जिन माननीय सदस्यों को, जिस मांग के संबंध में, बोलना हो उसके प्रस्तुत होने पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री मैनेजरसिंह---मैं पूरी मांगों पर बोलना चाहता हूं। आप हमें ५ मिनट का ही मौका दें दें, ४ ही मिनट दे दें।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है, उस संबंध में कुछ जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष---जब सामान्य प्रशासन की मद आये तब बोल लीजिये .....

१९६२-६३ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या---१---वृहत जोत कर तथा अनुदान संख्या २-भू-राजस्व (मालगुजारी)

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---श्रीमान्, राज्यपाल महोदय की सिपारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १---वृहत जोतकर, के अन्तर्गत ३६,५०० पयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिपारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २-भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत १,००,००० रुपये की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढवाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं कि ये मांग नंबर १ व २ स्वीकार की जायं बल्कि मेरा तो यह प्रस्ताव है कि सारी मांग ८, ९ और १० एक दम पुटअप कर दी जायं और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारा सारा सदन बिना विरोध के इन मांगों को पास कर देगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि.....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---यह क्या तरीका है कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष---क्या आप इस मांग पर बोलना चाहते हैं? इसमें कोई कटौती का प्रस्ताव तो था नहीं और आप खड़े नहीं हुए.....

श्री मैनेजरसिंह––आपने इसको ले लिया । अगर समय पर इसको लिया होता और हमें समय मिला होता तो कटौती का प्रस्ताव भी हम उसके ऊपर देते । एक काम चलाऊ व्यवस्था आपने कर दी और हमने उसमें अपना सहयोग किया तो इसके माने यह नहीं है कि हमको बोलने का समय ही नहीं दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष––जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं । केवल मुकन्दीलाल जी खड़े हुए थे उनको मैंने मौका दे दिया । आप उस समय खड़े नहीं हुए । माननीय वित्त मंत्री जी के जवाब में आप कुछ कहना चाहते थे उसके बारे में मैंने कहा था कि आप सामान्य प्रशासन पर बोल लें ।

श्री मैनेजरसिंह––मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––तो आप बोलें ।

***श्री मैनेजरसिंह**––माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि देश में संकट है और इस वातावरण की वजह से इस आदरणीय सदन में कुछ ऐसा हो गया है कि हम बहुत ही सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं । ऐसी विकट स्थिति में हमको और गम्भीरता से विचार करना है और जो अनुपूरक मांगे पेश की गयी हैं इस सम्बन्ध में भी इस आदरणीय सदन से और माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यदि भावना में बह कर हमने इस पर पूर्णरूपेण विचार नहीं किया और इनको ऐसे ही पास होने दिया तो इससे जिस भावना की वजह से हम चाहते हैं कि इस पर विचार न हो उस भावना को भी ठेस पहुंचेगी । जो यह ३६, ५०० रु० की मांग पेश की गयी है आखिर यह बला है क्या । कहा गया है कि राजा वीरेन्द्रशाह और कुछ जगीरदारों से जो बृहत जोतकर टैक्स लिया गया है वह नहीं लेना चाहिये । आपके भू-राजस्व बोर्ड ने फैसला किया था कि इन जागीरों पर टैक्स न लगना चाहिये । उसके बाद वह हाईकोर्ट को रेफर किया गया और हाईकोर्ट ने खिलाफ निर्णय दिया । तो मैं कहना चाहता हूं कि मामले की पैरवी करने में भी तो कुछ धन लगा होगा । यदि इस तरह से धन का दुरुपयोग किया गया तो जो कर्मचारी इसके लिये जिम्मेदार हो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? मेरा कहना तो यह है कि जिस अधिकारी ने गैरजिम्मेदारी से इस रुपये का दुरुपयोग किया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये ताकि भविष्य के लिये इससे लोगों को सबक मिल सके । मैं आपके द्वारा विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज की विषम परिस्थिति में एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिये और फजूलखर्ची और नाजायज खर्च बिलकुल बन्द होने चाहिये । इस सिलसिले में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आवश्यक खर्च के लिये धन नहीं दिया जाता । उदाहरण के लिये मैं एक ही बात पेश करना चाहता हूं । यहां पर अंधों का एक स्कूल है जहां कक्षा ७ तक की पढ़ाई होती है ।

श्री अध्यक्ष––जब शिक्षा सम्बन्धी अनुदान आये तो आप कह देंगे ।

श्री मैनेजरसिंह––यह तो मैं यहां केवल उदाहरण के तौर पर ही पेश करना चाहता हूं उस अंध विद्यालय में कक्षा ७ तक ही पढ़ाई होती है जो एक विचित्र सी बात है क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में तो कक्षा ५ तक की पढाई होती है माध्यमिक स्कूलों में कक्षा ८ तक और हाई स्कूलों में कक्षा १० या १२ तक पढ़ाई होती है लेकिन वहां कक्षा ७ तक की ही पढाई होती है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तथा और कई मंत्री व विधायक उस स्कूल को देख आये हैं। समाज कल्याणमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि कक्षा ८ तक की वहां पढ़ाई की व्यवस्था की जायगी । अनेकों बार मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिला तथा सम्बन्धित अधिकारियों से भी मिला और सब ने आश्वासन दिया कि कक्षा ८ तक उस स्कूल को कर दिया जायगा । लेकिन मुझे खेद और अफसोस है कि अभी तक उस आश्वासन की पूर्ति नहीं की गयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--यह बात आप शिक्षा विभाग वाले अनुदान पर कह सकते हैं ।

श्री मैनेजरसिंह--यह तो मैंने एक उदाहरण दिया । मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को चाहिये कि पहले फजूलखर्ची बन्द करें और आवश्यक सुझावों पर विचार करें और आवश्यक सुझावों को मानें । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि विचार करके कुछ सही चीजें हमारे सामने आवें । माननीय मुख्य मंत्री जी जो सबसे जिम्मेदार हैं वे आज इस बात का आश्वासन दें कि जो आवश्यक खर्चे बतलाये गये हैं उसकी वे व्यवस्था करेंगे । जब मैं डाइरेक्टर के यहां जाता हूं तो वे मिलते नहीं हैं . . .

श्री अध्यक्ष--इसी अनुदान पर बोलें ।

श्री मैनेजरसिंह--मैं तो सरकार और उसके कर्मचारियों की अदूरदर्शिता और लापरवाही की बात बतला रहा हूं जिनकी वजह से आज यह पैसा देना पड़ रहा है । यह बिलकुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं ।

***श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)--श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि अभी जो आश्वासन उन्होंने दिया है कि ऐसी बचतों पर विचार किया जायगा कि जो बजट में आगे की जा सकती हैं । जहांतक मैं समझ सका हूं इस अनुदान संख्या १ में इस का कान्ट्रेडिक्शन है क्योंकि इस का यह पैसा तो पहले ही खर्च हो चुका है और इस सरकार की यह परम्परा आज भी है जो पहले से ही चली आ रही है कि रुपया पहले खर्च कर लो और बाद में बजट में पास करा लो । इसी में नहीं बल्कि और अनुदान भी ऐसे हैं आगे जिनके बारे में स्पष्ट लिखा है कि संचित निधि से यह खर्च हो । अधिकांश मदें ऐसी हैं कि जो पहले ही व्यय हो चुकी है ।

(इस समय माइक फेल हो गया)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, कल से यह खराब हो रहा है, आजतक इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हुई ?

श्री कल्पनार्थसिंह--मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर वित्त मंत्री जी इस अनुदान के संबंध में भी कोई आश्वासन दे सकें कि वह किस तरह से अब इस में कटौती करेंगे, यह विचार वह बता दें तो अच्छा है ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, मुझे कुछ ऐसा भय होता है कि हमारे माननीय मैनेजरसिंह जी किसी कारण से रुष्ट अथवा नाराज हो गये हैं

श्री मैनेजरसिंह--जी हां, गलत आश्वासनों के कारण ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह किसी कारण से भी नाराज हों मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यह जो पहला आइटम है वह एक चार्ज्ड आइटम है, माननीय कल्पनाथ जी भी समझ लें कि वह एक डिक्रिटल आइटम है, इन पर लेजिस्लेचर वोट नहीं करता वे केवल यहां स्वीकृति के लिये आते हैं । अब केस जो लड़ा गया उसके बारे में यह है कि सरकार ने किसी पर टैक्स लगाया और उसे वसूल किया लेकिन वह लड़ गया कि हम से टैक्स गलत वसूल किया गया है । उस में हम क्या करते उनकी आपत्ति पर अदालत से हुक्म हुआ कि सारा रुपया सरकार वापस करे, केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया, डिग्री हुई और डिक्रिटल अमाउन्ट देना है । पहले से कोई नहीं जानता कि तुरन्त डिग्री हो जायगी । अब यू० पी० कंटिन्जेंसी फंड ऐक्ट है उसके अनुसार प्रदेश की सरकार का रुपया कन्टिन्जेंसी फंड में रहता है और जब आकस्मिक व्यय आते जिनका बजट में प्राविजन नहीं होता है और रुपया लेना होता तो कंटिंजेंसी फंड से रुपया ले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिया जाता है, ऐसी परम्परा है। उस रकम को फिर बाद में स्वीकृति के बाद रिकूप कर देते हैं। इसी तरह के बहुत से आइटम्स इसमें ऐसे हैं कि जो वस्तुतः खर्च हो चुके हैं। और जो खर्चा हो चुका उनकी स्वीकृति आपसे ले कर उस रुपये को फिर कंटिन्जेंसी फंड में डाल देंगे ताकि ४ करोड़ रुपया बना रहे। बहुत सा खर्चा ऐसा है जो नहीं हुआ या जो नये प्रस्ताव हैं जिनकी नई मांग की गई है उन सब की एक-एक पाई स्क्रूटेनाइज की जायगी और इस दृष्टि से होगी जो आज परिवर्तित स्थिति है उसमें हम अपने समस्त साधनों को जितना भी लगा सकते हों उन सब को एक विशेष कार्य के लिये लगावें जिसका उत्तरदायित्व इस सदन पर और सरकार पर आ गया है।

अब सिवाय इसके और क्या कह सकता हूं जब खाका बना अगर आज बना होता तो दूसरे किस्म का होता, पहले बन चुका है, जो खर्च हो चुका वह तो हो गया, जो होने वाला है उसको रोकने की कोशिश करें और जो आरम्भ हो गया है उसमें भी कटौती करने की कोशिश करें। मैं समझता हूं इसमें कोई आश्वासन की बात नहीं है बल्कि एक कर्त्तव्य की भावना से आपके सामने निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर के अन्तर्गत ३६,५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत १,००,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—मैं राज्यपाल महोदय, की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ६०,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १०,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, वैसे तो सदन में जिस तरह का वातावरण है और जिस आकस्मिक परिस्थिति को ले कर यह वातावरण पैदा किया गया है मैं समझता था उस वातावरण के रूप में यह अनुदान पेश किया जायगा। लेकिन मैं देखता हूं कि जो इसमें खर्चे दिये हुये हैं उनको देख कर दुख होता है और यह बात सही है जिस भावना को ले कर यह अनुदान पेश किया गया है उस भावना में क्या भावनायें छिपी हैं और आज जिस तरह की स्थिति है उसका समावेश इस अनुदान में है कि नहीं। मैं मोटी मोटी रकमें बताता हूं, गवर्नर के इक्विपमेंट एलाउन्स पर १,६०० रु० का खर्च हो रहा है, ऐडीशनल लिफ्ट का खर्च शामिल है, सरकार का रेस्ट हाउस बनाया जा रहा है वी० आई० पीज० के लिये जिसमें कूलर लगेंगे जिस पर १ लाख ५० हजार रुपया खर्च होगा।

एक रेस्ट हाउस गवर्नर के यहां बनाया जायगा जिस पर ७५ हजार रुपया खर्च होने को है, मिनिस्टरों के लिये ३ कारें खरीदी जायंगी जिन पर ३९,००० रु० खर्च होगा। जो सामान्य प्रशासन पर खर्चा है और जिस प्रकार से खर्च किया जा रहा है, उससे करें, एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है और उसके लिये बजट पेश किया जाता है। अगर

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

माननीय वित्त मंत्री जी बात मान लें तो मेरी समझ में यह बात आ सकती है कि यह बजट पहले बनाया गया था जो अब पेश किया जा रहा है और अब इसमें संशोधन की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो मांगें पेश की गयी हैं और जिस तरह का यह बजट है यह पेश ही नहीं होना चाहिये क्योंकि इसमें फिजूलखर्ची के अलावा कोई चीज नहीं है और सदन के सामने ऐसी विषम परिस्थिति में क्यों पेश किया जा रहा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह यह दुहाई इस बात की जरूर है कि बड़ा बढ़िया वातावरण है। हमसे माननीय नरसिंहनारायण तथा और लोगों ने एक आश्वासन मांगा और मैंने एक बात कही कि इसकी पूरी ऊपर से ले कर नीचे तक जांच होगी और जहां काटने की जरूरत होगी काटेंगे, जो टाला जा सकता है टाला जायगा। लेकिन इस आश्वासन के मिलने के बाद पुनः वही गवर्नर का प्रश्न उठाना और यह कहना कि इसे पेश ही नहीं करना चाहिये था यह कहां तक तर्कसंगत है। मैंने निवेदन किया कि जाब्ते से पेश करना होता है। फिर गवर्नमेंट सैंक्शन देती है और तब वह इस बात को देखेगी कि कौन-सी मदें ऐसी हैं जिनमें कमी की जा सकती है या किनको टाला जा सकता है। अब अगर वही बातें फिर दोहराई जाती हैं तो आपका कहना और मेरा आश्वासन देना बेकार हो गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिस भावना को माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यक्त किया उसका मैं आदर करता हूं और मैं समझता हूं कि वे ऐसा करेंगे। लेकिन सदन की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया बड़ी विषम परिस्थिति में गुजर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी उससे आगाह हैं। सदन में मैंने प्रश्न भी उपस्थित किये और सरहद की घटनाओं के बारे में भी मैं कह चुका हूं। पता नहीं फिर कब सदन बैठेगा? मैं पुनः कहना चाहता हूं कि वहां की स्थिति बड़ी भयंकर हो गयी है। सरहद के किनारे खाइयां खोदी जा रही हैं। खम्भे हमारे उखाड़े जा रहे हैं और इस तरह का घृणित प्रचार किया जा रहा है जिस प्रचार से हमारी सीमा पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। सामान्य प्रशासन के जो वहां अधिकारी हैं उनका क्या रुख है और किस तरह से वह सुरक्षा का इन्तजाम कर रहे हैं यह भी एक मौलिक प्रश्न है। जो अधिकारी इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थान पर रखे गये हैं वे इस असमान्य स्थिति के लिये बहुत कुछ जिम्मेदार हैं। वे अपनी सेवाओं को ठीक तरह से देश की परिस्थिति को देखते हुये प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं। आज स्थिति तो यह है और यह बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस समय हमारे देश पर राष्ट्रीय संकट आया हुआ है उस समय गोरखपुर के मजदूरों तथा विद्यार्थियों पर जिस अधिकारी ने गोली चलवाई वही अधिकारी आज भी वहां उपस्थित है। चार बार और भी स्थानों पर वह लाठीचार्ज और गोलीचार्ज करा चुका है और जब देश तथा राष्ट्र के सामने विकट परिस्थिति आती है तो इस तरह की घटनायें जहां भी वह इंचार्ज बनाये गये किया करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री इस पर ध्यान दें और इसका निराकरण फौरन करने की कोशिश करेंगे और हमारे सरहदी जिलों की विशेष व्यवस्था अनुपूरक बजट में करने की कोशिश वह करेंगे।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ विशेष निवेदन नहीं करना है, केवल एक बात यह कहनी है कि जब माननीय वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दे दिया और कह दिया कि यह बजट जो इस समय परिस्थिति है इसके पहले इसकी रूपरेखा तैयार हुई थी और उन्होंने स्वयं कबूल किया कि इसमें बहुत सी काटछांट की जा सकती है और उसे करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया तो मेरी समझ में अब इसके ऊपर बहस करना मनुष्यता के बाहर की चीज होगी। वैसे माननीय सदस्यों की जो इच्छा हो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मेरा निवेदन यही है कि एक बार उनके ऊपर विश्वास करके देखें तो सही, न वह कहीं चले जायेंगे, न हम कहीं चले जायेंगे और न यह सदन कहीं चला जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक महीने बाद हम फिर बैठेंगे और तब उन्होंने जो आश्वासन आज दिया है उसके मुताबिक कार्यवाही नहीं होगी तो हम उन्हें पकड़ सकेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) क्या यह प्रार्थना स्वीकार नहीं है?

*श्री मैनेजर सिंह—माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। यदि अपने आश्वासनानुसार उन्होंने काट छांट की तो निश्चय ही हम उनको और धन्यवाद देंगे। एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि लखनऊ के अंध विद्यालय में कक्षा ८ शुरू करने के लिये पैसे की आवश्यकता है। इस संबंध में मंत्री महोदय ने, डायरेक्टर महोदय ने और वित्त विभाग के सचिव महोदय ने भी कहा था कि अनुपूरक में इसकी व्यवस्था हो जायगी हालांकि उन्होंने कांटिन्जेन्सी में व्यवस्था की थी लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस कार्य को मंत्री जी उचित समझते हैं जिसका उन्होंने आश्वासन दिया था, जिसको आपके विभागीय अधिकारी भी आवश्यक समझते हैं उसकी व्यवस्था आप इसमें कर दें, ५-७ हजार रुपये का मामला है। इसका मैं आश्वासन आपसे चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। उनका अनुदान जब आयेगा तब आप पूछ लीजियेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—यह सही है कि जो वातावरण इस सदन में है वह कायम रहना चाहिये और माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि वे काट छांट करेंगे लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि अगर माननीय सदस्यों के विचार उनको इस सदन के अन्दर मालूम हो जायं तो उनको अपने काम में सहूलियत होगी नहीं तो वित मंत्रीजी को कुछ दिक्कत होगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो कुछ न कहना चाहे वह न कहे लेकिन जो कुछ कहना चाहे उसको बोलने दिया जाय।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जो यह सामान्य, प्रशासन का अनुपूरक बजट पेश है इस का मुझे विरोध नहीं करना है, मैं इसका समर्थन करता हूं। जो वातावरण आज पैदा किया गया है उसमें दो, तीन चीजों के कारण कठिनाई पड़ रही हैं और पड़ सकती हैं इसलिये यह आवश्यक है कि मैं आपके सामने उनको रख दूं। मैं यह चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि अबतक जो शासन में ढिलाई रही है, पुलिस विभाग के थाने जो घूसखोरी के अड्डे रहे, वे तहसील लेखपालों के अत्याचार के अड्डे रहे हैं, वे न रहें। इस शासन को टाइटेन अप करने की जरूरत है क्योंकि विनोबा जी ने कहा है कि जब तक जनता सुखी और संतुष्ट नहीं होगी तब तक युद्ध का संचालन ठीक से नहीं हो सकेगा। मेरा इतना ही अनुरोध है कि जो जनता राजस्व कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारियों के कारण पीड़ित है उनको टाइटिन अप करने की जरूरत है जिससे जनता की परेशानी दूर हो जाय। आज भी मैं आपको उदाहरण बताऊं कि इलाहाबाद जिले में एक हफ्ते में ४-४ डकैतियां पड़ रही हैं.....

श्री अध्यक्ष—माननीय सत्यनारायण जी, पुलिस विभाग की मांग आती, उस समय आप कहते।

श्री सत्यनारायण पांडेय—यह सामान्य प्रशासन की बात थी इसलिये मैंने समझा कि कह दूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—माननीय कल्पनाथसिंह जी कह रहे थे कि सुझाव ही देंगे, भाषण नहीं देंगे ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि मुख्य मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें कि ला एन्ड आर्डर के मेन्टेन करने की जरूरत है और जिन कर्मचारियों से जनता पीड़ित है उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय । इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय कि जब जनता सुखी होगी तभी युद्ध में सहायता मिलेगी ।

*श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट के ऊपर कोई नुक्ता चीनी नहीं करनी है न इसके खिलाफ कोई बहस करनी है सिर्फ एक संकेत आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी और सरकार को करना चाहते हैं कि हमारा गोंडा जिला एक सिरे से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक.....

श्री अध्यक्ष—कौन-सी मांग पर आप बोल रहे हैं ?

श्री नवरंगसिंह—सामान्य प्रशासन पर ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, बोलिये ।

श्री नवरंगसिंह—हमारे जिले के किनारे किनारे नैपाल की सरहद है और कल परसों से उनके कानों में भी ऐसी आवाज पड़ी है कि वहां कुछ कार्यवाही नैपाल की तरफ से हो रही है । लेकिन हमारी तरफ से उस जगह पर अभी तक कोई सजगता नहीं हो पाई । वहां लोग किस्म किस्म की अफवाहें फैलाते हैं, उनका खंडन करना, लोगों को भरोसा देना और जो कार्यवाही वहां कर रहे हैं कि किनारे-किनारे खाई खोद रहे हैं, जगह-जगह पर सरहद के खम्बे उखाड़े जा रहे हैं इन हालात को देखते हुये, हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम यहां अपने सदन में वातावरण अनुकूल बनाने की कोशिश में हैं उसी तरह से सूबे भर में और विशेष कर गोंडा जिले में यह हिदायत होनी चाहिये कि हर आदमी मिलकर इन चीजों को दूर करने की कोशिश करे । मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे विभागीय कर्मचारियों और कांग्रेस वालों से कहें कि वे हमारा सहयोग लें और हमें सहयोग दें उन कामों में जिससे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हो और इसके साथ साथ हमने प्रण किया है कि जो कुछ हमारे पास है वह सब कुछ राष्ट्र के लिये है । हम अब तक सब कुछ राष्ट्र के लिये देते आये हैं और आज भी देने के लिये तैयार हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि मैं अपने सुझाव को कार्यान्वित करा सकूंगा या नहीं ; लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारे प्रदेश को कुछ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार को देना चाहिये । हमारी तनख्वाहों की कटौती से काम नहीं चल सकता है । इस बजट के बाद दूसरा बजट आयगा और किस तरह से व्यवस्था करेंगे, यह तो माननीय वित्त मंत्री जी बता सकेंगे । लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है ।

दूसरा सुझाव पुलिस के बारे में है । यद्यपि ४१–४२ में वार नहीं हो रही थी, मिलिटरी के बहुत से स्ट्रैटेजिक प्वाइन्ट्स को पुलिस के संरक्षण में कर दिया था और पुलिस ने उनकी रक्षा की थी । तो कम से कम अपनी पुलिस को हद तक ट्रेन्ड करें कि अगर सैन्य सहायता की जरूरत पड़े तो हमारी पुलिस काम आये । यह दो सुझाव हैं । ये कैसे कार्यान्वित होंगे यह तो वह बतायें लेकिन इस समय कुछ करोड़ रुपया अन्य प्रान्तों की भांति केन्द्रीय सरकार को सहायता के रूप में दिया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—वित्तमंत्री के आश्वासन के बाद एक-एक मांग पर बहस होगी तो ३३–३४ मांगें हैं बहुत समय लगा जायगा । सारी मांगों को एक दफा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रख दें। जो बात टम्बेश्वरी जी ने कही है उसके बारे में मैं समझता हूं कि हमार उत्तर प्रदेश की खुद सीमा लगी हुई है। इसलिये केन्द्र को पैसा देने के बजाय हमें खुद केन्द्र से पैसा लेना चाहिये। क्योंकि एक तरफ केन्द्र को लड़ना है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को भी लड़ना है। इसलिये इस सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं। तो दो-तीन मिनट में सब मांगों को पेश कर दें, यह मैं आप से निवेदन करूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जो आलोचनायें विभाग की की गयीं वह वैसी ही हैं जो कि समय-समय पर सदन के सामने होती रहती हैं। कुछ आलोचनायें ऐसी होती हैं जिनमें तथ्य होता है। कुछ आलोचनायें ऐसी भी होती हैं जो कभी जरा ज्यादती की तरफ होती हैं। पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जो आलोचनायें कीं, यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी पुलिस के विषय में हम सब को जो एक दृष्टिकोण आज बदले हुये जमाने में, जब से हम स्वतंत्र हुये, अपने देश के मालिक बन गये, अपनाना चाहिये वह दृष्टिकोण अभी हमारे बीच में उत्पन्न नहीं हुआ।

एक सदस्य—सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह कह रहा था कि जहां तक पुलिस विभाग की आलोचनाओं का सम्बन्ध है वे आलोचनायें समय समय पर सदन के समक्ष होती रहती हैं। उनमें कहीं-कहीं वास्तविकता और तथ्य का स्वरूप होता है कहीं कहीं अधिक बढ़ा कर भी वह चीजें हमारे यहां उपस्थित होती हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि अभी सारे देश में पुलिस के विषय में वह हमारा दृष्टिकोण नहीं बन पाया जो दृष्टिकोण बदले जमाने में बनना चाहिये। मैं यह तो कहता नहीं, न मैंने कभी दावा किया कि पुलिस के सारे अधिकारी उन्हीं प्रवृत्तियों से प्रेरित हो कर कार्य करते हैं, जिनको उन्हें अपनाना चाहिये। परन्तु सरकार कम से कम इस बात की चेष्टा में रहती है कि वह पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों में स्वतः उन विशेषताओं और परम्पराओं को पैदा करे जिनके अन्तर्गत पुलिस के अधिकारीगण और कर्मचारीगण जनता के विश्वासपात्र बन सकते हैं। आज ही मुझे प्रदेश की जनता के समक्ष एक ब्राडकास्ट करना है और उसमें भी मैंने उन बातों की तरफ पुलिस कर्मचारियों का और अन्य कर्मचारियों का ध्यान उस दिशा में आकर्षित करने के लिये खींचा है और मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज के समय में तो अधिकारियों का चाहे वह पुलिस विभाग के हों चाहे अन्य विभाग के हों, उनका अधिक उत्तरदायित्व बढ़ गया है क्योंकि कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है जब तक कि जनता के बीच में ऐसा वातावरण न बढ़े और फैले कि जिसके द्वारा अधिकारीगण अधिक से अधिक जनता का सहयोग पा सकें और वह तभी सम्भव हो सकता है कि जब अधिकारीगण चाहे पुलिस विभाग के हों चाहे किसी अन्य विभाग के हों, उस दृष्टिकोण को अपनाते हुये काम करें उस वातावरण में चलने की चेष्टा करें जो सारे देश में इस अवसर पर पैदा हुआ है। मैं इतना ही उत्तर में कह सकता हूं। अभी डकैतियां की चर्चा की गई, ऐसे तत्व लड़ाई के इस अवसर पर उभरेंगे और आज इन तत्वों से बचने के लिये जहां पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी कार्य करेंगे वहां इस बात की भी आवश्यकता होगी कि जनता के बीच में वह तत्व पैदा हों जो कि इस प्रकार के लोगों का मुकाबिला कर सकें। आज इसीलिये हमने कल ही अपना फैसला लिया है कि जो हमारा प्रान्तीय रक्षक दल है उसमें जो कार्य अब तक होता रहा है उस कार्य के दायरे को अधिक बढ़ायें और उस दायरे को छोटे-छोटे शहरों में और कस्बों में भी क्योंकि अब तक उसका दायरा महज देहात के क्षेत्र में ही सीमित था। हमने सिविल डिफेंस के लिये भी कुछ निर्णय लिये हैं जिनके विषय में जब ब्योरे से बातें हम तय कर लेंगे तो वह बातें आपके सामने स्वतः आयेंगी।

जहां तक नैपाल के विषय में चर्चा की गई और उस बार्डर के विषय में चर्चा की गई हमारे मंत्रिपरिषद् ने और हमारे साथियों ने इस विषय के ऊपर भी गम्भीरता से विचार किया और विचार करके कुछ ऐसे निर्णय लिये हैं कि जो कदाचित उन क्षेत्रों के निवासियों को सन्तोष प्रदान

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]
कर सकेंगे और उन कार्यों में मदद पहुंच सकेगी कि जिन कार्यों में मदद पहुंचने की तरफ अभी हमारा ध्यान खींचा गया है।

यह सही है कि लड़ाई के जमाने में यह आवश्यकीय होता है कि पुलिस के द्वारा बहुत-सी उन चीजों की सुरक्षा भी की जाय, जैसे पुल हैं, सड़कें हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के स्थान हैं, उनकी रक्षा करना पुलिस का कर्त्तव्य होता है और आज उस कर्त्तव्य को पूरा करने के लिये हम प्रदेश में पुलिस को आमंत्रित कर रहे हैं और उसके सिलसिले में अगर हमें अधिक पी०ए०सी० की बटालियन और कम्पनियों की नियुक्ति करनी पड़े तो हम उस दिशा में भी विचार कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार से सलाह लेकर और उनसे सहायता प्राप्त करके हम उस दिशा में कार्य करना चाहते हैं। अभी उधर से हमारे माननीय सदस्य टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने जो सुझाव दिया और जो उस विषय में उधर से माननीय मिश्र जी ने अपनी आलोचना की, मैं उस आलोचना से थोड़ा सहमत हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश आज अन्य और प्रदेशों की भांति नहीं है जिसकी चर्चा अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने की थी। उत्तर प्रदेश तो खुद अब बार्डर स्टेट होने के कारण आज उस लड़ाई के घेरे में स्वतः आ गया है। हम नहीं जानते कि वह चीनी जिन्होंने हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में हमारे साथ विश्वासघात किया है वह कब और कहां उसी नीति को अपनाकर हमारे प्रदेश के उन सीमान्त क्षेत्रों में घुसें और घुसने की चेष्टा करें। हम इसलिए चाहते और मैं आपके द्वारा यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम प्रदेश की जनता को उस जिम्मेदारी के लिये तैयार करना चाहते हैं और इसीलिये जगह-जगह पर गांव-गांव में और टाउन एरियाज और छोटे-छोटे कस्बों में हम सिविल डिफेंस की योजना को चालू करना चाहते हैं और एक कंट्रोलर आफ डिफेंस जिसकी कि व्याख्या उस आर्डिनेंस में की गई जो कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से शाया हुई है और जिसके तहत में केन्द्रीय सरकार ने कुछ अधिकार लिये हैं, उसकी भी हम नियुक्ति करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कमियों और कमजोरियों की चर्चा सदन में की गई, वे कमियां और कमजोरियां हमारी नजर के सामने हैं। और आज उन कमियां और कमजोरियों से हम सब को मिल जुलकर लड़ना है। जनता के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से, विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक दलों के सहयोग से आज के वातावरण में हमें जनता को उस पैनिक से ऊंचे उठाकर ले चलना है जो ऐसे अवसरों पर जनता के बीच में पैदा हो जाती है।

हमारा यह सौभाग्य है कि आज चीन का हमला हुआ परन्तु उस चीन के हमले ने हमारे सीमान्त क्षेत्रों के निवासियों को विचलित नहीं किया है अपितु उनमें एक जोश और उमंग पैदा की। आज उन क्षेत्रों के निवासियों में भी वही जोश और उमंग पैदा होनी चाहिये जिन क्षेत्रों के निवासियों के सिलसिले में आज कोई बार्डर प्राबलेम नहीं समझा जाता। आज बार्डर प्राबलेम उन क्षेत्रों में, जो नैपाल के नजदीक बसे हुये हैं, ऐसा बताया जाता है कि पैदा हो रहा है। उन क्षेत्रों के निवासियों को उन बहादुर गढ़वालियों की तरह से अपने बीच में उस वतावरण को पैदा करना है कि जिस वातावरण में उमंग के साथ उन क्षेत्रों में उस परिस्थिति से लड़ते रहें जो परिस्थिति आने वाले समय में कदाचित् हमारे बीच में आ सकती है। हम सब मिल जुलकर प्रदेश की सुरक्षा के हित में केन्द्रीय सरकार के आदेश का पालन करते हुये, उसे पूरी-पूरी मात्रा में सहयोग प्रदान करते हुये प्रदेश में अपनी ओर से ऐसी व्यवस्था लाने की चेष्टा करेंगे जिससे हम फौज को सहायता कर सकें और फौज की मदद कर सकें और उस मदद में सहयोगी बन सकें और थोड़ा बहुत भार उनका अपने कंधों पर उठा सकें। इस विचार को लेकर हम इस ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे साथी गण, हमारे सदस्य गण और इस प्रदेश की जनता हमारे उन उद्देश्यों को अपनाते हुये हमें पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी इसी विषय पर धन एकत्रित करने के सिलसिले में हमने यह तय किया है कि अब धन जनता में जगह-जगह पर इकट्ठा हो रहा है और विभिन्न कार्यकर्ता गण उसको ले रहे हैं तो उसके लिये हम यह चाहते हैं कि उसकी रूपरेखा ऐसी बनाई जाय जिससे धन का दुरुपयोग न हो और कुछ ऐसे लोग चन्दा इकट्ठा न कर लें जो कि उस कार्य के लिये चन्दा न दें। इसलिये आज जो मैं ब्राडकास्ट दे रहा हूं उसमें

जो हमारी नीति इस विषय में है वह घोषित होगी। मुझे विश्वास है कि उस नीति को अपनाते हुये हमारे प्रदेश के नागरिक हमें पूरा पूरा सहयोग प्रदान करेंगे जिससे हम सब मिल कर उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें जिनकी अभिलाषा हम सब के हृदय में है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ६०,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत १०,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—केवल यह निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार से यदि हम चलेंगे तो दो दिन लग जायेंगे।

(नहीं-नहीं की आवाजें)

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

समस्त अनुदानों को एक साथ लेने के लिये प्रार्थना

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—माननीय मैनेजर का एक सुझाव था। उसके लिये यदि समाज कल्याण मंत्री जी आश्वासन दे दें तो बाकी जितने हैं उनको एक साथ लेकर यह सब बिना विरोध के समाप्त हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं यूं कर रहा हूं कि नम्बर ५ से ३१ तक जो मदें हैं वह सब प्रस्तुत समझ जायं और उस के बाद इन पर जो माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहते हों...

श्री हरिनाथ तिवारी—प्रश्न का सवाल कोई पैदा नहीं होता। वह केवल आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है। तो यह ५ से ३१ तक की सभी मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं।

[(५) श्रम मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या १२—गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जायं।]

(६) कारागार मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल) के अन्तर्गत १,६७,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(७) मुख्य मंत्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत ६,७४,५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(८) रसद मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १,७०,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

[] माननीय अध्यक्ष के आज्ञानुसार ५ से ३१ तक की सभी मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी मानी गयीं।

(९) शिक्षा मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत १,९०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(१०) मुख्य मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(११) स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २०—जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत १५,१४,५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(१२) कृषि मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २१ —कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(१३) कृषि मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २३—पशुपालन के अन्तर्गत १,२०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(१४) सहकारिता मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २४—सहकारिता के अन्तर्गत ३०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(१५) मुख्य मंत्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत ६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(१६) नियोजन मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत २०,८७,६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(१७) श्रम मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३के लिये स्वीकार की जाय ।

(१८) सूचना मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत २२,४०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(१९) सिंचाई मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(२०) मुख्य मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ३३—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत ९,४९,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(२१) सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ३७—संचार–साधनों का सुधार के अन्तर्गत ८०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(२२) स्वायत्त शासन मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ३८,४०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(२३) परिवहन मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ४० ---परिवहन के अन्तर्गत ३०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(२४) माल मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ४१---दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत २५,००,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(२५) वन मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ४५---वन के अन्तर्गत १३,८०,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(२६) स्वायत्त शासन मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ४६---प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १,९०,६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(२७) मुख्य मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ४८---औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २,५०,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(२८) सिंचाई मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ४९---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(२९) सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ५१---सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,३०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(३०) परिवहन मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ५२---सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २७,६९,८०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(३१) वित्त मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ५६---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ६३,७२,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।]

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मांग नं० २० है उसे अगर मेरे लायक दोस्त मैनेजर सिंह जी देखेंगे तो पायेंगे कि वह सोशल वेलफेयर या हरिजन वेलफेयर की नहीं है। वह इंजीनियरिंग की मद है और उसी से संबंधित है। कोई भी अनुदान समाज कल्याण का या हरिजन कल्याण का आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है और यह दोनों काम, जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया, फिलहाल मुल्तवी किये जा सकते है। जहां तक उनकी इच्छा का सवाल है ब्लाइंड स्कूल खोलने और ठीक करने की, उससे कम उसकी इच्छा मेरी नहीं है, लेकिन इस समय यहां कोई मद समाज कल्याण का या हरिजन कल्याण का प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह इंजीनियरिंग का अनुदान है और ओवरसियर्स या इंजीनियर्स से, वाटर वर्क्स से संबंधित है। जैसे ही उसके संबंध में कोई बात होगी वह कैबिनेट के सामने पेश कर दी जायगी और फिर आपके सामने आयेगी। इस समय हम कोई वैसा प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सफ़ाई देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने इसे देखा है .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--यह मैंने नहीं कहा कि आपने समझने की कोशिश नहीं की ।

श्री मैनेजरसिंह--मैंने देखा है और देख कर मुझे दुख हुआ । जिस बात का आश्वासन मंत्री जी ने, विभाग ने दिया था, वित्त विभाग के अधिकारियों ने दिया था उसका अभाव मैंने पाया । मैं मानता हूं कि वह इस में नहीं है और नहीं है इसीलिये मेरा विरोध है । देखा और नहीं मिला, इसलिये मेरा विरोध है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें हम काट-छांट करेंगे तो मैं यह आश्वासन चाहता हूं और वह चाहे आप दें अथवा वित्त मंत्री जी, कि कक्षा ८ की पढ़ाई का जो खर्च होगा, वह मैं समझता हूं कि १०,००० के अन्दर ही होगा, उसे चाहे आप इस बजट की बचत से अथवा कंटिनजेंसी से मीट कर दें और यह एक न्यायोचित मांग है । यह एक विचित्र बात है । ८ दिन के अन्दर ७ दिन की पढ़ाई है । आप कक्षा ५ तक या मिडिल तक या हाई स्कूल तक स्कूल खोलते हैं....

श्री अध्यक्ष--उनका कहना है कि इस वक्त कोई अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की तरफ से मौजूदा बजट की दृष्टि से नहीं हो सकती, मगर हां, जैसा समाज कल्याण मंत्री जी ने कहा, उसके लिये प्रयत्न समय पर किया जायगा और वह इतना ही कह सकते हैं ।

श्री मैनेजरसिंह--मंत्री जी सक्षम हैं और उनसे ज्यादा सक्षम वित्त मंत्री जी हैं, वे आश्वासन दे सकते हैं कि अगर बचत से न हो तो कन्टिजेंसी से इसको मीट कर लिया जायगा । इसमें दलगत भावना का सवाल नहीं है । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि आपने जो आश्वासन दिये हैं उसकी पूर्ति हो जाय और आप के प्रशासन की इज्जत बढ़ जाय ।

श्री अध्यक्ष --जो बजट है, जिस रूप में है उस रूप को ध्यान में रखते हुए इस बात की अंडरटेकिंग देना, या वचन देना कि इस बजट के साल में यह हो जायगा, मेरा तो खयाल है कोई मंत्री नहीं कर सकता, अगर दे सकता हो तो दे दें ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--ऐसा कोई आश्वासन इस समय मैं नहीं दे सकता । जब कोई अनुदान होगा तो आप के सामने आयेगा और आप उसे मंजूर करेंगे । इस समय एक असाधारण परिस्थिति है । साधारण परिस्थितियों में उसे ठीक करने की कोशिश की जायगी । लेकिन अभी-अभी शिक्षा मंत्री जी से बात हो रही थी । जब हमारे लड़के जिन्दा रहेंगे तो हम उन्हें पढ़ा भी लेंगे । यह चीज तो ऐसी है जो मुल्तवी की जा सकती है । इसलिये इस स्कूल के लिये जो खर्चा करना है वह अगर इस वक्त नहीं रखा है तो असाधारण परिस्थिति के कारण नहीं रखा गया है । साधारण परिस्थिति जब होगी तो इस पर विचार किया जायगा ।

श्री मैनेजरसिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सारा डिसकशन इसी पर निर्भर करता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि असाधारण स्थिति है इसलिये इसको छोड़ दिया गया है तो यह झगड़े की बात है जिसकी कि मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं । हां और लोग मंत्रिमंडल में ऐसे जरूर हैं जिनसे यह आशा की जा सकती है । इसलिये मेरा कहना यह है कि इस पर एक-एक करके विवाद किया जाय । कन्टिनजेन्सी से माननीय मंत्री जी सब कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--अगर बहस करनी है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है आप जरा बैठ जाय तो मैं स्पष्ट कर दूं । कन्टिजेन्सी से, जो आकस्मिक बातें होती हैं, उनको पूरा किया जाता है । मेरी समझ में नहीं आता कि सदन में इस संबंध में आश्वासन दिये जा सकते हैं या नहीं ? अब इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि आश्वासन दिये जा सकते हैं या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--श्रीमन्, परम्परा तो यह रही है कि जो सप्लीमेंटरी बजट आता है तो उसमें जो आइटमस् होते हैं उतने पर ही बहस होती है । जनरल डिसकशन नहीं होता । श्री मैनेजरसिंह जी ने एक सुझाव दिया । ठीक है कोई स्कूल है, ब्लाइन्ड स्कूल है, दरजा ७ से ८ तक कर दिया जाय । यह मैं नहीं जानता कि यह आइटम आता

है या नहीं और संभवतः नहीं आता है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक सुझाव दिया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको सुन भी लिया तो अब इस पर वे विचार करेंगे। यह भी कह दिया गया है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आप देखें कि कोई संशोधन मंजूर किया जाय ऐसे तो हो नहीं सकता है। आपने जो सुझाव दिया वह उन्होंने सुन लिया है अब वह इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे इसके लिये। परन्तु यह कन्टिजेन्सी यहां कहां से पैदा होती है।

श्री अध्यक्ष---मैं ५ से ३१ तक पेश कर रहा हूं आपको माननीय टम्ब्रेश्वरी प्रसाद कुछ कहना है ?

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मैं कुछ २ मिनट में निवेदन करना चाहता हूं। आज समाचार पत्रों में बहुत ही दुखद रूप से एक समाचार पढ़ा है। हमारे प्रदेश की एक पार्टी ने बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया है कि चीन एग्रेसर है। यह प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी ने पास किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने माननीय झारखंडेराय जी के भाषण को सुना जो यहां पर सदन में उन्होंने दिया। पूरा दल उनकी बात का समर्थक है लेकिन हम को दृष्टि रखनी पड़ेगी उनकी जो यह बातें हैं वह एक टैक्टिस के अन्तर्गत तो कहीं नहीं है। यह उनके हृदय की बातें हैं या दिखावटी। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय हमको चाहिये कि जब तक चीन से युद्ध चल रहा है हम केन्द्र से सिफारिश करें कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाय। यह हमारी निश्चित मांग है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें, यह असंगत है।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, यह हमारे लिये सबसे बड़ा संकट है क्योंकि हम बिलकुल बार्डर पर हैं।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें। जो हमारे बजट में है उसके सम्बन्ध में विचार किया जाय। इसके बारे में अलग से बातें करियेगा।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद---श्रीमन्, मैं एक जानकारी केवल मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा इस बात की, कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से लोग वहां से डिफर करके आये हैं, उस प्रस्ताव के सबन्ध में।

श्री अध्यक्ष---अच्छा अब आप बैठें।

१९६२-६३ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १२---गांव सभायें और पंचायतें

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२-गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४---कारागार (जेल)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---कारागार (जेल) के अन्तर्गत १,६७,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५---पुलिस

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५-पुलिस के अन्तर्गत ६,७४,५०० रुपये की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६-खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १,७०,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--इसमें किसी को विरोध नहीं है, यह तो सर्वसम्मति से पास हुये माने जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष--उसके लिये सबको हाथ उठाना पड़ेगा। अगर एक आदमी भी न्यूट्रल है तो उसको सर्वसम्मति से पास हुआ नहीं माना जा सकता।

कई सदस्य--ठीक है, आप हाथ उठवा लीजिये।

अनुदान संख्या १८--शिक्षा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८-शिक्षा के अन्तर्गत १,९०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९--चिकित्सा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०--जन-स्वास्थ्य

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १५,१४,५०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--कृषि संबंधी विकास

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१-कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३--पशुपालन

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३-पशुपालन के अन्तर्गत १,२०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४--सहकारिता

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--सहकारिता के अन्तर्गत ३०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—उद्योग

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५-उद्योग के अन्तर्गत ६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—नियोजन और एकीकरण के अन्तर्गत २०,८७,६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७-श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत १०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत २२,४०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत ९,४९,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३७—संचार-साधनों का सुधार

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—संचार-साधनों का सुधार के अन्तर्गत ८०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ३८,४०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०—परिवहन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—परिवहन के अन्तर्गत ३०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत २५,००,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५—वन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—वन के अन्तर्गत १३,८०,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १,९०,६०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८-औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २,५०,००० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मित से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९-सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ३,३०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत २७,६९,८०० रुपयों की पूरक मांग १९६२-६३ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ६३,७२,१०० रुपयों की पूरक मांग १९६२–६३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२ [The U. P. Appropriation (First Supplementary, 1962—63) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२ [The U. P. Appropriation (First Supplementary, 1962—63) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करने की सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२ [The U. P. Appropriation (First Supplementary, 1962—63) Bill, 1962] को पुरःस्थापित करता हूं।

(एक क्षण के अनन्तर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२ [The U. P. Appropriation (First Supplementary, 1962—63) Bill, 1962] पर विचार किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं इसलिये बोलना नहीं चाहता हूं कि सरकार जो कुछ करती है उस पर कुछ टीका करूं। मैं सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि सरकार अपने कामों द्वारा, जो वातावरण आज देश और प्रदेश में बना है, उसमें और वृद्धि कर सके। सरकार के जो अधिकारी हैं अगर वे अपने कामों को और मुस्तैदी से करें तो बहुत फायदा हो सकता है और जो वातावरण आज बना हुआ है उसमें बहुत सहायता मिल सकती है।

श्रीमन्, इसमें दुर्भिक्ष का भी एक आइटम है। इस सम्बन्ध में जो हमारा अंग्रेजों के समय का विधेयक है उसी के अनुसार सरकार अपना काम करती है। उसमें संशोधन करने की बात तो दूर रही, उसके अनुसार भी सही मानी में कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार नहीं करना चाहती, मगर सरकार के जो नीचे के अधिकारी हैं वे अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं जिसके कारण यह सरकार बदनाम होती है। उन्हीं के कामों के कारण लोगों में सरकार के प्रति घृणा की भावना पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिये मैं बता दूं कि गोरखपुर में टेस्ट वर्क हुआ, यहां सदन में जब सवाल किया गया तो माननीय हुकुमसिंह जी ने हुक्म भेजा। सवाल यह है कि रुपया मौजूद है, आपने हुक्म भी दे रखा है। फिर भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। एक गरीब आदमी है, वह भूख से पीड़ित है, अगर उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसका क्या हाल होगा? यह बात सही है और हर एक आदमी जानता है कि अपने प्रदेश में बिना रुपया लिये पटवारी इंतखाब नहीं करता है। आज हम कहते हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के हाथ मजबूत करो, फौज में भर्ती हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा यदि किसान को कोई विश्वास नहीं होगा। आज जरूरी है कि सरकार के कामों में तत्परता होनी चाहिये और अधिकारियों को अधिक मुस्तैदी से काम करना चाहिये, जनता में उनके प्रति विश्वास की

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

भावना होनी चाहिये। हम आज १५-२० दिन के लिये उठ रहे हैं। आज जो भावना फैल रही है, जो हवा चल रही है, उसको और अधिक उठाने के लिये हमारे सामने यह शिकायतें न आयें कि फलां पटवारी ने यह किया और उसने यह किया। नहीं तो जिस कार्य के लिये हम वहां जायेंगे, यह शिकायतें हमारे सामने आयेंगी। उन शिकायतों को दूर करने में हमें परेशानी होती है और समय लगता है। इसलिये मैं मंत्रि-परिषद् से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने निश्चित इरादों को तत्परता से अपने अधिकारियों से पूरा कराने की कृपा करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। रामसुन्दर जी ने ठीक ही कहा कि कानून के अनुसार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२ [The U. P. Appropriation (First Supplementary, 1962—63) Bill, 1962] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १, २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२

३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

१---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ का प्रथम पूरक) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग १,९६,१६,४०० रु० (एक करोड़, छियानवे लाख, सोलह हजार, चार सौ रुपया) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६२-६३ के लिये १,९६,१६,४०० रु० का दिया जाना।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। विनियोग

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोत-कर ..	३६,५००	४,००००	४०,५००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	१,००,०००	..	१,००,०००
१०	सामान्य प्रसाशन ..	६०,१००	८,८००	६८,९००
११	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन ..	१०,०००	..	१०,०००
१२	गांव सभाएं और पंचायतें	१००	२,१००	२,२००
१४	कारागार (जेल) ..	१,६७,१००	..	१,६७,१००
१५	पुलिस ..	६,७४,५००	५,०००	६,७९,५००
१६	खाद्य तथा रसद तथा अन्य संगठन ..	१,७०,१००	..	१,७०,१००
१८	शिक्षा	१,९००	..	१,९००
१९	चिकित्सा ..	२००	..	२००
२०	जन-स्वास्थ्य ..	१५,१४,५००	..	१५,१४,५००
२१	कृषि-संबंधी विकास ..	२००	..	२००
२२	उपनिवेशन ..	..	१५,०००	१५,०००
२३	पशुपालन ..	१,२००	..	१,२००
२४	सहकारिता ..	३००	..	३००
२५	उद्योग	६००	..	६००
२६	नियोजन और एकीकरण (Planning and Co-ordination)	२०,८७,६००	१,५००	२०,८९,१००
२७	श्रम तथा सेवायोजन ..	१००	..	१००
२८	सूचना-निदेशालय ..	२२,४००	..	२२,४००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	२००	..	२००

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
३३	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थाएं	९,४९,०००	..	९,४९,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	..	३५,०००	३५,०००
३७	संचार साधनों का सुधार ..	८००	..	८००
३९	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (Grants-in-aid of public Works)	३८,४००	..	३८,४००
४०	परिवहन	३००	..	३००
४१	दुर्भिक्ष सहायता ..	२५,००,०००	..	२५,००,०००
४२	अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (पेंशनें) (Superannuation Allowances and Pensions)	..	१,००,०००	१,००,०००
४५	वन	१३,८०,१००	..	१३,८०,१००
४६	प्रकीर्ण	१,९०,६००	८००	१,९१,४००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत ..	२,५०,०००	..	२,५०,०००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्य पर पूंजीगत लागत ..	२००	..	२००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों (Public Works) पर पूंजीगत लागत ..	३,३००	१,४२,०००	१,४५,३००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत	२७,६९,८००	..	२७,६९,८००
५६	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances bearing Interest)	६३,७२,१००	..	६३,७२,१००
	योग ..	१,९३,०२,२००	३,१४,२००	१,९६,१६,४००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १,२,३ अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२–६३ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६२, [The U. P. Appropriation (First Supplementary, 1962-63) Bill, 1962] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने एक प्रश्न उठाया था। मैं उस समय बीच में कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिये खामोश रहा। कम्युनिस्ट विधान सभा दल, उत्तर प्रदेश, का जो मेरे पास आफर आया है वह इस प्रकार है :—

"हमारे विधान सभाई दल के सभी सदस्यों ने यह निर्णय किया है कि चीन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है उसमें सदन के प्रस्ताव के अनुसार पंद्रह दिन का वेतन देने के अलावा १५ दिनों का वेतन भी, अर्थात् १ महीने का पूरा वेतन देंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी व्यवस्था करा दें कि हमारे दल के सभी सदस्यों का एक माह का वेतन सुरक्षा कोष में जमाकर दिया जाये।"

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मैंने तो झारखंडेरायजी की बात मानते हुये अन्य लोगों की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष—इसी तरह की माननीय विजयपालसिंह ने सूचना भेजी है कि ५० प्रतिशत् अथवा एक सौ रुपये हर महीने तब तक देते रहेंगे जब तक चीनी आक्रमण से उपन्न राष्ट्रीय संकट रहेगा। माननीय प्रीतमसिंह प्रधान मेरठ ने लिखा है कि जब तक देश में संकटकालीन अवस्था है उस समय तक अपने वेतन का आधा भाग १०० रु० प्रतिमास सुरक्षा कोष के लिये कटाता रहूंगा। माननीय चन्द्रबलीसिंह ने लिखा है कि उनके दिसम्बर मास के वेतन से १५१ रुपये देश बचाओ फंड में काट लिया जाय, १०० रुपये विधान सभा द्वारा पास तथा ५१ रुपये और। माननीय श्रीनिवास ने लिखा है कि पहली दिसम्बर, सन् ६२ से मेरे मासिक वेतन में से ५० रुपये प्रति मास काट कर मुख्य मंत्री के रक्षा कोष में दे दिया जाय। यह धन तब तक जमा होता रहेगा जब तक यह चीन से युद्ध समाप्त नहीं हो जाता।" माननीय जयगोपाल ने लिखा है—Kindly arrange 10% cut in my pay as M. L. A. till the Defence needs it, from last November 1962 १० परसेंट अपने वेतन का उन्होंने दिया जब तक लड़ाई चले। माननीय विजयकुमार त्रिपाठी ने लिखा है कि "जब तक चीन व भारत के बीच यह युद्ध का लीन स्थिति रहेगी तब तक मेरी सदस्यता का सम्पूर्ण मासिक वेतन भारत की सुरक्षा एवं तत्सम्बन्धी कार्यों में व्यय करने हेतु आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय को दे दिया जाय।" माननीय सत्यवीर ने लिखा है कि "जब तक भारत चीन का युद्ध चले तब तक मेरे वेतन का १०१ पये मासिक प्रधान मंत्री के कोष को भेजा जावे।"

श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैं भी चाहता हूं कि ५०१ रुपये मेरे वेतन से प्रधान मंत्री के कोष के लिये काट लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

[श्री अध्यक्ष]

श्री महादेव वर्मा फैजाबाद में गुसाईगंज रामबली हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उसके छात्रगण की ६०० रुपये की पहली किस्त जमा कर रहे हैं।

इस विचार से कि माननीय सदस्यों को असुविधा न हो, यह प्रबन्ध कर दिया गया है कि इतवार को ११ बजे से ३ बजे तक हमारा एकाउन्ट्स आफिस खुला रहेगा ताकि अपना टी० ए० डी० ए० ड्रा करने में दिक्कत न हो।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना है कि अभी थोड़ी देर के बाद सदन उठ रहा है, तो हम लोगों को यह बतला दें कि हम गांव में किस चीज का प्रचार करें, कैसे करें, कि एक प्रकार से रैंक्यूटिंग की जायगी, कहां क्या होगा। ये सब बातें हम लोगों को बता दें जिससे एक ही किस्म की चीज सूबे भर में हो, जिससे यूनीफार्मिटी रहे।

श्री अध्यक्ष--यह ठीक है। इस समय कदाचित पूरी योजना मुख्य मंत्रीजी ने बनाई नहीं है। मेरा खयाल है कि अगर विशेष सूचनायें देनी हों तो सदस्यों के पास भिजवा दें कि रक्यूटमेंट का यह प्रबन्ध किया गया है या इस प्रकारसे कांस्टेबुलेरी है। ये सब बातें अगर सूचनाओं द्वारा दे दी जावें तो सबको सुविधा होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--७ दिन में डाक से देहात में सूचना पहुंचेगी।

कुंवर श्रीपालसिंह--उनका कहना है कि ७ दिन का समय बरबाद होगा। मुख्य मंत्रीजी अगर अभी बता सकें तो बतादें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये जो पैसा जमा किया जा रहा है उस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेटों के पास आदेश गये हैं कि जो रसीद वगैरह काटने का कार्य है वह वही लोग कर सकेंगे जो गजेटेड अफसर हों। मेरा सुझाव है कि इसकी जिम्मेदारी जिलाधीश पर ही छोड़ दी जाय कि वह जिसे मुनासिब समझें उन्हें ऐसा अधिकार दे दें क्योंकि और लोग भी इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--ये सब बातें बाद में कर लेंगे। इस समय मैं सूचनायें दे दूं। फिर मुख्य मंत्रीजी से परामर्श हो जायगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट व राज्य मद्य निषेध बोर्ड के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के ५ सदस्यों और राज्य मद्य निषेध बोर्ड के ४ सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ३ नवम्बर, १९६२ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत है? अतः यदि उस समय तक अतिरिक्त नाम वापिस न ले लिये गये तो निर्वाचन संबंधी मतदान डाक शलाका द्वारा किया जायगा जिसकी सूचना सदस्यों को डाक द्वारा दी जावेगी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--इसी प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोर्ट के ५ सदस्यों के निर्वाचन हेतु नाम-निर्देशिन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय २ नवम्बर, १९६२, तक सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत है। प्राप्त नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ३ नवम्बर, १९६२ को १२ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में की जायगी। नामों की वापसी के लिये ५ नवम्बर, १९६२ के सायंकाल ५ बजे तक का समय नियत है। अतः यदि उस समय तक,

अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन संबंधी मतदान डाक शलाका द्वारा किया जायगा जिसकी सूचना सदस्यों को डाक द्वारा दी जायगी ।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये जो ये ५ सदस्य चुने जायेंगे वे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लिये वोट देंगे । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने यह सूचना दी है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल का चुनाव २० तारीख को हो रहा है । आज यह असेम्बली बंद होने जा रही है तो यह चुनाव किस प्रकार होगा और वे लोग किस प्रकार से २० तारीख वाले चुनाव में भाग ले सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष—यथाशक्ति यह प्रयत्न किया जायगा कि उस दिन से पूर्व ये चुनाव हो जायं लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो मजबूरी है । We shall be deprived of that privilege.

१९५८–५९ के अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान

श्री अध्यक्ष—अब आइटम नंबर १३ लिया जा रहा है । अगर आप अनुज्ञा दें तो सभी मदें उपस्थित की हुई समझी जायं अथवा इस संबंध में अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें अन्यथा मैं वोट लेता हूं ।

(किसी सदस्य ने आपत्ति नहीं की)

[(१) वित्तमंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ४—स्टाम्प के अन्तर्गत २०,११७ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(२) वित्त मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत ७,७३० रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(३) सिंचाई मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १५,१९,३१३ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(४) मुख्य मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या १७—पुलिस के अन्तर्गत ३१,०१,२०५ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(५) मुख्य मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २४—विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से किये जाते हैं कि अन्तर्गत २,६८,४४१ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(६) मुख्य मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या २५—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २,४२,१५७ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(७) सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ३३— सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ८८,८१० रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबंध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

[ ] उपरोक्त मदें माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार प्रस्तुत की हुयी समझी गयीं ।

(८) स्वायत्त शासन मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ४१,८९९ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(९) माल मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ३५—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ३१,४१,३०३ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(१०) परिवहन मंत्री, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे के अन्तर्गत ४६,२८९ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।)]

अनुदान संख्या ४—स्टाम्प

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—स्टाम्प के अन्तर्गत २०,११७ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—निबंधन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत ७,७३० रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १५,१९,३१३ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—पुलिस

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—पुलिस के अन्तर्गत ३१,०१,२०५ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—विद्युत् योजनाओं पर व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत २,६८,५४१ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत २,४२,१५७ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८–५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत ८८,८१० रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३४—नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत ४१,८९९ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५—दुर्भिक्ष सहायता

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ३१,४१,३०३ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशने तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशने तथा भारतीय शासकों के निजी खर्चे के अन्तर्गत ४६,२८९ रुपयों की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ से संबद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२

वित मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Appropriation (Regula isarion of Excesses 1958-59) Bill.1962] को पुनःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Appropriation (Regularisation of Excesses 1958-59) Bill. 1962] को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८-५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Appropriation (Regularisation of Excesses 1958-59) Bill 1962] पुरःस्थपित करता हूं ।

(एक क्षण के अनन्तर)

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

माम्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Appropriation (Regularisation of Excesses 1958-59) Bill, 1962] पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Appropriation (Regularisation of Excesses 1958-59) Bill, 1962] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १, २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२

३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिए प्राधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess)व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की सूचित निधि में धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

यह इष्टकर है कि ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिए प्राधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था की जाय :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के तेहरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की १९५८-५९ की संचित निधि में से २,६०,९८,९८९ रु० का दिया जाना ।

२—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियां, जिनका कुल योग २,६०,९८,९८९ रु० (दो करोड़ साठ लाख अठानवें हजार नौ सौ नवासी रुपया) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिये प्राधिकृत अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लायी जा सकती है ।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया जाता है उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा ।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३		४
		रु०	रु०	रु०
	राजस्व व्यय—			
३	राज्य आबकारी	..	२,२७४	२,२७४
४	स्टाम्प	२०,११७	..	२०,११७
५	वन	७,७३०	३५	३५
६	निबन्धन	७,७३०	..	७,७३०
१०	सिंचाई-स्थापना पर व्यय ..	१५,१९,३१३	..	१५,१९,३१३
१७	पुलिस	३१,०१,२०५	..	३१,०१,२०५
२४	विद्युत-योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से किये जाते ह ..	२,६८,४४१	..	२,६८,४४१
२५	विद्युत-योजनाओं की स्थापना पर व्यय ..	२,४२,१५७	..	२,४२,१५७
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय ..	८८,८१०	..	८८,८१०
३४	नागरिक निर्माण-कार्य के लिये सहायक अनुदान ..	४१,८९९	..	४१,८९९
३५	दुर्भिक्ष सहायता ..	३१,४१,३०३	..	३१,४१,३०३
३६	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशन और भारतीय शासकों के निजी खर्चे (privy purse)	४६,२८९	..	४६,२८९
	भारित (प्रभृत) विनियोग— ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	१,७६,१९,३९८	१,७६,१९,३९८
	कुल, राजस्व व्यय ..	८४,७७,२६४	१,७६,२१,७०७	२,६०,९८,९७१
	पूंजी व्यय—			
४७	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत ..	..	१८	१८
	कुल, पूंजी व्यय ..	..	१८	१८
	कुल, योग ..	८४,७७,२६४	१,७६,२१,७२५	२,६०,९८,९८९

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह ह कि खंड २, ३,१, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Appropriation (Regularisation of Excesses 1958-59) Bill. 1962] पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५८–५९ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक १९६२ [Uttar Pradesh Appropriation (Regularisation of Excesses 1958-59) Bill. 1962] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

"भारत का संविधान" में कांस्टीट्यूशन (थर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२, तथा कांस्टीट्यूशन (फोर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२ द्वारा प्रस्तावित संशोधन

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—मान्यवर, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन "भारत का संविधान" में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (थर्टीन्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२, द्वारा प्रस्तावित उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है ।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरा भी रख दीजिय ।

श्री हरगोविन्दसिंह—मान्यवर, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन भारत का संविधान" में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (फोर्टीन्थ अमेन्डमेंट) बिल १९६२, द्वारा प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३६८ का प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह ह कि यह सदन "भारत का संविधान" में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (थर्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६२ द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन "भारत का संविधान" में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (फोर्टीन्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ द्वारा प्रस्तावित उन संशोधनों का जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते है, अनुसमर्थन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के संबंध में तथाकथित गलत कागजात तैयार कराने के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत श्री गेंदासिंह द्वारा दी गई सूचना पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब यह आइटम १९ ह माननीय गेंदासिंह जी नहीं हैं ....

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने भी नियम ५० की सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष—यह नोटिस जो आया ह मरे पास इसमें तो केवल माननीय गेंदासिंह का ही नाम था ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय गेंदासिंह जी नहीं हैं इसलिये अगली तारीख में जब हम बैठें तब इस को लिया जाय ।

श्री कल्पनाथसिंह—श्रीमन्, मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस को अब अगली तारीख पर जब हम बैठें तब ही लिया जाय और अभी स्थगित कर दिया जाय ।

चीनियों द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं के अतिक्रमण के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अब हम इसके बाद कब मीट करेंगे यह कृपया मुख्य मंत्री जी सदन को बता दें ।

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अब कह दें, उसके बाद आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, आज ८ बजे रात्रि को मैं कुछ इन विषयों के संबंध में सारे प्रदेश के नागरिकों को एक ब्राडकास्ट कर रहा हूं और उस में मैंने इन दिशाओं की तरफ सारे प्रदेश के नागरिकों, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों का ध्यान आमंत्रित किया है ।

इस समय जो वातावरण विभिन्न दलों के नेताओं के सहयोग से, सदस्यों और स्वतः इस प्रदेश की जनता के सहयोग से प्रदेश में बना है ऐसे कठिन और परेशानी के समय में उस वातावरण के लिये पूर्व इसके कि मैं दो शब्द उन विषयों के संबंध में कहूं जिनकी तरफ माननीय सदस्यगण मेरा ध्यान आमंत्रित कर रहे थे मैं उन सब को अपनी ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से और अपने पीछे बैठने वाले साथियों की ओर से धन्यवाद देता हूं और अपना आभार प्रकट करता हूं क्योंकि जो लड़ाई हमारे बीच में इस समय आयी, न तो हम प्रदेश की सरकार के रूप में उसके लिये तैयार थे और न ऐसा मैं समझता हूं सारे देश का वातावरण ऐसा था जो कि लड़ाई के लिये, जो चीन ने हम से ठानी, तैयार थे। फौज कितनी मात्रा में इस बात का एहसास कर रही थी मैं उस विषय में कोई अधिकार पूर्ण बात नहीं कर सकता । यों तो कई वर्षों से हम सब अच्छी तरह से जानते हैं सुरक्षा विभाग देश का उस प्रयत्न में जुटा हुआ था कि जिस प्रयत्न में किसी भी देश की सरकार को और राष्ट्र को उन परिस्थितियों के अन्तर्गत जुटना चाहिये जो उत्तरोत्तर हमारी सीमाओं पर घटित हो रही थीं । बहरहाल, लड़ाई का समय आ गया और चीन ने हमारे देश की भूमि पर आक्रमण कर दिया और हमारे देश की पवित्र भूमि को हथिया लिया । इस तरह की परिस्थिति देश में काफी चिन्ता का वातावरण पैदा कर सकती थी । परन्तु जैसा मैंने पूर्व में कहा देश में इस

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

परिस्थिति ने चिन्ता का वातावरण पैदा नहीं किया और हम सबको ऐसे सूत्र में इस परिस्थिति ने और इस दुर्घटना ने, यदि मैं इसे दुर्घटना कहूं, बांध दिया कि जिस तरह से बंधने की हमें राजनीतिक परिस्थितियों के कारण और देश में वातावरण चुनाव के द्वारा और सत्ता की प्राप्ति के बाद जगह-जगह फैला हुआ था, हमें आशा नहीं थी। आशातीत वातावरण हमारे देश में पैदा हुआ और उसने हम सबमें यह विश्वास दृढ़ कर दिया कि भले ही हम आक्रमणकारी के आधुनिक शस्त्रों का मुकाबला करने में शायद प्रारंभ में असमर्थ रहे परन्तु वह उमंग और उत्साह जो हमारे देशावसियों के बीच में फैला हुआ है वह हमें उस प्रकार का जीवन दे सकेगा जो जीवन उत्तरोत्तर हमें बल प्रदान करता हुआ उन शक्तियों और उस देश का मुकाबला कर सकेगा जो देश आज हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है और हमारे फौजियों से मुठभेड़ कर रहा है। ऐसे अच्छे वातावरण से सरकार पूरा-पूरा फायदा उठा सकती है और विभिन्न दलों के नेतागण जिन्होंने अपनी राजनीतिक नीतियों को थोड़े समय के लिये अलेहदा रखकर ऊंचा उठाने की चेष्टा की है वह चेष्टा हमारे उस मारेल को ऊंचा करने में मदद दे रही है और आज इस अवसर पर सबसे बड़ी आवश्यकता देश के और देशवासियों के मारेल को ऊंचा करने की है और वह ऊंचा मारेल हमारे उन वीर सिपाहियों और जवानों को भी अवसर प्रदान कर रहा है कि वे जोश, उमंग और उत्साह के साथ उस आक्रमणकारी का मुकाबला करें जिसने देश की पवित्र धरती के कुछ स्थानों पर कब्जा कर लिया।

आज आप सदस्यों, नेताओं के द्वारा मेरा विनम्र निवेदन ह आप अपने-अपने स्थानों पर जा जाकर उस मारेल को ऊंचा करके जनता से उस सहयोग को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिये जो सहयोग कि जनता आज इस कोष में देने के लिये उद्यत है। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई खेत पर काम करता है, चाहे कोई कल-कारखाने में काम करता है हर जगह से आज उस कोष में मदद देने की चेष्टा की जा रही है, जो कोष आज देश की सुरक्षा के लिये और उन जवानों की सहायता के लिये हमारे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में इकट्ठा हो रहा है और जो प्रधान मंत्री के कोष के नाम से आल इंडिया लेबिल पर और मुख्य मंत्री के कोष के नाम से प्रदेश के लेबिल पर पुकारा जा रहा है।

मैं इस विषय में आपको एक सूचना देना चाहता हूं। जहां तक इस प्रदेश का संबंध है हमने २४ तारीख को अपने जिलाधीशों को यह आज्ञायें भेज दी कि वे इस प्रकार के कोष के लिये रुपया इकट्ठा करना प्रारम्भ कर दें और उनको हिदायतें भी दी हैं कि वे अपने अधिकारों के द्वारा उन व्यक्तियों से जिनसे कि रुपया जमा करें उन्हें रसीदें इत्यादि दें। जब मैं दौरे पर था सीमान्त क्षेत्रों में घूम फिर रहा था उस वक्त २७ या २८ तारीख को रेडियो पर प्रधान मंत्री का भाषण सुना कि उन्होंने अपने कोष को एकत्रित करने की घोषणा की है। तो वहां पर जब यह प्रश्न आया कि दो तरह से कोष—प्रदेश में मुख्य मंत्री के नाम से और देश में प्रधान मंत्री के नाम से जमा किया जाय कदाचित इसमें दिक्कत पैदा होगी। परन्तु जब मैं यहां लौट कर आया और अधिकारियों से और फौज के सबसे बड़े अधिकारियों से भी बातचीत की तो यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि उत्तर प्रदेश स्वतः एक बार्डर स्टेट है और यहां स्वतः नागरिकों को उस व्यवस्था में बहुत कुछ सहयोग देना होगा जो व्यवस्था कि हमारे जवानों को सहायता दे सकती है और पी०ए०सी० के अधिकारियों को सहायता दे सकती है तो यह मुनासिब समझा गया कि यह जो कोष प्रादेशिक चालू किया गया है वह भी रखा जाय क्योंकि उसके अन्तर्गत विभिन्न जिलों में अधिकारियों को रुपया मिल चुका था। और प्रधान मंत्री जी को इस विषय पर लिखा जाय कि अपने प्रदेश में यह धन इस तरह से इकट्ठा हो रहा है। जितनी रकम वे अपने कोष में चाहेंगे उतनी वहां चली जायगी और बाकी अपने प्रदेश में रहेगी। हमारे ईस्टर्न कमांड के जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी इसी तरह का सुझाव हमें दिया क्योंकि ईस्टर्न कमांड का हेडक्वाटर लखनऊ में है और वहां से भी जो रुपया मदद के लिये आयेगा वह ईस्टर्न कमांड के अधिकारियों को ही मिलेगा। तो इस विचार को सामने रख कर हम

जो कोष मुख्य मंत्री के नाम से २४ तारीख से स्थापित कर रखा है उसे कायम रखते हुये प्रधान मंत्री जी से इस बात की आज्ञा चाही है कि वह कोष चालू रहे। उस कोष के चालू रहने से यह भी बात सोची गयी कि प्रदेश में कितना धन इकट्ठा हुआ और किस-किस जगह से आया उसकी भी एक जानकारी रह सकती है और उस जानकारी से चन्दा इकट्ठा करने का कार्य सुगमता से चलाया जा सकता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति दिल्ली को डायरेक्टली पैसा भेज दे और उससे जब कहा जाय तो वह यह कह सकता है। तो इस सुगमता को सामने रखते हुये अभी हमारा यह फैसला है कि हम इस कोष को जो कि प्रदेश के लेविल पर चलाया गया है चालू रखें और प्रधान मंत्री जी से इस बात की अनुमति ले लें। साथ ही में हमने जो यहां इन्कम टैक्स के बड़े अधिकारी हैं उनसे इस बात की आज्ञा ले ली है कि वे इसमें हमें उसी प्रकार से छूट देंगे इन्कम-टैक्स परपजेज के लिये जिस तरह से उन्होंने प्रधान मंत्री कोष के लिये निर्णय लिया है।

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह ह कि आज कोष हमें प्रदेश के लेविल पर इकट्ठा करना है लेकिन हम यह अनुभव कर रहे हैं कि जगह-जगह पर बहुत से लोग कोष इकट्ठा करने लगे हैं। कभी-कभी कोष इकट्ठा करने वालों में कुछ ऐसे तत्व भी जमा हो जाते है जो कि जिस परपज के लिये वह कोष इकट्ठा होता है उसमें उसे न देकर उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के ऊपर हमारे मंत्रिपरिषद में विचार हुआ और बहुत से साथियों से परामर्श हुआ और उसके बाद हमने यह फैसला किया कि जिले के लेविल पर भी कोष जिलाधीश के तत्वावधान में इकट्ठा हो और वह सारी सार्वजनिक संस्थाओं और कार्यकर्त्ताओं से इस कार्य में सहयोग ले। प्रादेशिक स्तर पर एक ऐसी कमेटी मुख्य मंत्री जिसका अध्यक्ष होगा नियुक्त की जायगी जिसमें सार्वजनिक कार्यकर्त्तागणों का प्रतिनिधित्व होगा और जिसमें हमारे कुछ अधिकारी होंगे और जो धन प्रदेश में इकट्ठा होगा वह उसके तत्वावधान में रहेगा और प्रधान मंत्री की आज्ञा से उसका कुछ हिस्सा जो कि यहां अपने फौजी कार्यों के लिये जरूरी होगा उस पर व्यय किया जायगा। जिला स्तर पर भी इसी तरह से जिलाधीश सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करेगा और उन तमाम सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से अधिक से अधिक व्यापक ढंग से यह चन्दे का कार्य जिला स्तर पर शुरू किया जाय या यों तो जो प्रधान मंत्री का कोष है उसके लिये भी जो सोना इत्यादि इकट्ठा करने का विषय है उसमें आदेश जारी कर दिये गये हैं कि रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक में यह सोना इत्यादि जमा किया जा सकता है और कोष का रुपया पोस्ट आफिस इत्यादि में जमा किया जा सकता है और अपने प्रदेश में जो रुपया इकट्ठा हो रहा है वह जिलाधीश के तत्वावधान में और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से वह भी स्टेट बैंक में जमा होगा। और यहाँ स्टेट लेविल पर जो एस० ए० डी० डिपार्टमेंट है जिसके डिप्टी सेक्रेटरी ए० पी० सिंह हैं, उनके तत्वावधान में धनराशि जमा हो रही है। यह अकाउन्टेन्ट जनरल के आडिट में रहेगी।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जगह-जगह पर चन्दा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ लोग रसीदें दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं तो माननीय सदस्यों की यह कोशिश होनी चाहिये कि सब लोग मिल जुल कर जिलाधीश के सहयोग से चन्दा इकट्ठा करने के कार्य को चलायें जिससे कि चन्दा इकट्ठा करने के समय में चन्दे का अपव्यय न हो और एक कोआर्डिनेटेड ढंग से, चन्दा जो इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा सके। साथ ही में बहुत से स्थानों पर, कम्बल दिये हैं तथा फौजियों के इस्तेमाल की बहुत सी चीजें दी हैं तो इस विषय में भी जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि जो चीजें मिलें और जो सार्वजनिक कार्यकर्ता कार्य कर उनकी उचित व्यवस्था करें और जिनको रसीद दे सकते हों उनको रसीद दे दें। यह रसीदें सेंट्रली यहां पर छपाई जा रही हैं। यहाँ पर जो रसीद बहियाँ बनाई गई हैं उसी प्रकार की रसीद बहियाँ जिलाधीशों के पास पहुंचाई जा रही हैं या जिलाधीशों को अधिकार दिया जा रहा है कि वे इसी प्रकार की रसीद बहियां छपा लें और उनको रिकगनाइज्ड पब्लिक इंस्टीट्यूट, पार्टीज को और उन व्यक्तियों को, जिनको वे देना उचित समझते हों उनको दें और उन सब लोगों के सहयोग

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

से रुपया इकट्ठा करने का कार्य प्रारम्भ करें। बहुत सी जगहों पर रुपया इकट्ठा किया जा रहा है तो एक आध जगह से ऐसी शिकायत भी आई हैं कि लोग वैसे ही चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं और न रसीद देते हैं और न उसका कोई हिसाब ही है। तो इससे बचने के लिये आवश्यकता पड़ी कि केन्द्रीय ढंग से हमारी हिदायतें जायं और उनके अनुसार जो हमारे साथी हैं, जो जगह जगह पर उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं, वे कार्य करें और जिलाधीशों को उनके कार्य सम्पादन में बार-बार सहयोग प्रदान करें।

अब जहाँ तक चन्दे का विषय है उसको हम इस ढंग से करना चाहते हैं। अब विषय हमारी सुरक्षा का है और जनता में मोरेल कायम रखने के लिये हमें नई व्यवस्था बनानी है। उसके ऊपर मंत्रि-परिषद् ने विचार किया है और जनता के मोरेल को ऊंचा उठाने के लिये और उमंग तथा उत्साह कायम रखने के लिये हमने फैसला किया है कि जो प्रान्तीय रक्षक दल है उसका दायरा अधिक बढ़ायें और उसमें हम ऊंचे से ऊंचे अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से उस प्रकार से उसका विस्तार करें जिसके अलावा देहाती इलाके के, उसका विस्तार छोटे-छोटे कस्बों में, छोटे-छोटे शहरों में भी हो सके। बड़े-बड़े जो एक लाखसे ऊपर की आबादी के शहर हैं उनमें हमारा ऐसा विचार है कि उनमें जो आर्डिनेंस बना है उसके तहत में सिविल डिफेंस के लिये हमें कुछ अधिकार मिले हैं। उसमें सिविल डिफेंस के लिये हमें एक अधिकारी की नियुक्ति करना है और उस अधिकारी के तहत में उन बड़े-बड़े नगरों तथा स्थानों का जिनमें वस्तुयें तैयार की जाती हैं, मेरा तात्पर्य कल और कारखानों से है, उनकी सुरक्षा के लिये मुहल्ले-मुहल्ले में शहरों में जगह-जगह पर इस प्रकार की कमेटियों की रचना करना है, इस पर वह अधिकारी विचार करेगा और समय समय पर आज्ञा प्रदान करके और लोगों को वालंटियर बनाकर इस तरह से वह कार्य करेगा जिससे कि बड़े-बड़े शहरों में जहाँ हमेशा डर रहता है कि दुश्मन कहीं हमारे बिजली के कारखाने पर आकर एक बम छोड़ दे या हमारे वाटर वर्क्स पर कुछ ऐसा कर दे जिससे वह खत्म हो जाय तो उस समय तमाम चीजों की सुरक्षा के लिये आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे जन साधारण में इस प्रकार की यह आकांक्षा पैदा हो जाय कि वह स्वतः इस प्रकार की संस्थाओं की सुरक्षा करने के लिये वालंटियर अपने को पेश करे, इस प्रकार के कार्य में हमारी सहायता करे। जहाँ तक एन० सी० सी० और लोक सहायता सेना का सम्बन्ध है उन क्षेत्रों में हम इस कार्य को बढ़ाना चाहते हैं कि फौज की सहायता से जो हमारी सीमा से लगे हुये हैं मेरा तात्पर्य उत्तराखंड के तीन जिलों से हैं और जो हामारा भाग उत्तर का है उससे है।

श्री नेकरामशर्मा—यह सब बातें न बतायें। आम दो एक बातें बता दें। सुरक्षा की बातें आप अपनी तरफ से·····

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं जो यहाँ बात कर रहा हूं, इस विश्वास के साथ कर रहा हूं जो श्रीपालसिंह जी ने यह बात हमारे सामने रखी, तो मैंने इस सदन को विश्वास में लेने की चेष्टा की। यह ऐसी बातें हैं जिनसे जनता यदि अवगत हो जाय कि हम किस दिशा में विचार कर रहे हैं तो मैं अवश्य समझता हूं कि उससे मैं बल मिलेगा और हमारी कुछ ताकत बढ़ेगी। जो बहुत ही बारीक बातें हैं उनके सम्बन्ध में मैं सदन में चर्चा नहीं करूंगा। अलावा इसके जिस चीज की तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं वह यह है कि डी०आई०आर० आर्डिनेंस जारी हो गया है। अभी रूल्स हमारे पास उसके पास से नहीं आये हैं। लेकिन हमारा अनुमान है कि उसके रूल्स करीब-करीब वही होंगे जो पिछली लड़ाई के जमाने में शाया किये गये थे। रूल्स बड़े व्यापक होते हैं। उनका यदि दुरुपयोग हो जाता है तो जनता में बेचैनी हो जाती है, जनता दिक्कत में पड़ती है और यदि सही प्रकार से चलते हैं तो जनता को संतोष होता है। तो ऐसा वातावरण हमारे बीच में बने उसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि सरकारी और गैरसरकारी आदमियों का अधिक मेलजोल बढ़े और सरकार को आज गर सरकारी व्यक्ति की भावनाओं का आदर करते हुये उसकी भावनाओं के पीछे चलने की चेष्टा करनी है, न कि स्वतः एक अधिकारी के रूप में जिस तरह से अंग्रेजी जमाने में वह डी०आई०आर० के प्राविजन्स को फालो करती थी। आज

डेमोक्रेसी में उस प्रकार की प्रवृत्ति से न तो हमें सहायता मिल सकती है, न उस उमंग और उत्साह को जनता के बीच में पैदा कर सकते हैं। आज डेमोक्रेसी में इस बात की आवश्यकता है कि उसके अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारी अपने को इस प्रकार से मोड़ें जिससे वे अधिक से अधिक जनता के विश्वासपात्र बन सकें और अधिक से अधिक जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें। आज पुलिस के अधिकारियों को इस विषय में आदेश दिया जा रहा है कि डी० आई० आर० के अधिकार उनको सबसे ज्यादा अधिकार देते हैं और वे ही अधिकतर बरतते हैं उनका कर्त्तव्य है कि वे उन अधिकारों को एक सीमित दायरे में बरतते हुये अपनी कर्त्तव्य निष्ठा को, ईमानदारी और कर्मनिष्ठा को जनता के समक्ष रखते हुये उसको बरतने की चेष्टा करें। अब इसमें प्रत्येक के सहयोग के द्वारा ही वह कार्य हो सकता है। आदेश तो सरकार के उन व्यक्तियों के प्रति कड़ाई करने के हैं जो कि उस अधिकार का दुरुपयोग करें किन्तु साथ ही आज मैं जनता के प्रतिनिधियों और जनता के नायकों से यह आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य में भी वह हमारी सहायता करें और इस कार्य में भी वह हमारे अगुवा बनें और जहां उनको आज जनता और अधिकारियों के बीच में खाई दिखाई पड़े तो उस खाई को पाटने की अपने प्रयासों के द्वारा चेष्टा करें। ऐसा करके वह हमारे बीच में शांति का और स्वस्थ वातावरण तो बनाकर रखेंगे ही, उसके साथ-साथ बहुतों को वह उस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देंगे कि जिस दिशा में कार्य करने की क्षमता आज प्रत्येक व्यक्ति को अपने अन्दर पैदा करने की आवश्यकता है। नयी नागरिकता और इस अवसर की नागरिकता का यह परम और पुनीत कर्त्तव्य है कि सहयोग के द्वारा उन सब चीजों को हम सब लोग मिलजुलकर करने की चेष्टा करें।

अब रहा सुरक्षा का प्रश्न जो कि फौज से सम्बन्ध रखता है। देश की हुकूमत, देश के नेता, हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी अब तो स्वतः फौज के मंत्री हो गये और आज सारे देश को उनमें विश्वास है। हम ऐसा विश्वास करके आज कार्य करते हैं कि उनके नेतृत्व में अब तक यदि कोई कमी रही थी वह कमी सुरक्षा में पूरी होगी। यदि हमारे साधन कम रहे थे तो आज उन देशों के सहयोग से जो हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमारे बीच में वह साधन उपलब्ध हो जायेंगे, हमारे बीच में ऐसे अस्त्र और शस्त्र भी उपलब्ध हो जायेंगे जिससे कि हमारे बहादुर सिपाही उन आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग करते हुये दुश्मन का मुकाबिला कर सकें जो कि आज कदाचित् आधुनिक शस्त्रों से सम्पन्न हैं और जो आज आधुनिक शस्त्रों का इस्तेमाल करके हमारी फौज का मुकाबिला कर रहे हैं और कहीं-कहीं हमारी फौज को कम संख्या में होने के कारण परास्त करने की भी चेष्टा कर रहे हैं। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिये आज यह जरूरी नहीं है कि भारी और बड़ी लम्बी संख्या में हमारे पास फौज रहे तभी हम लड़ाई जीत सकते हैं। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि यदि जनता उस फौज के साथ है और उन विश्वासों के साथ है जिन विश्वासों को लेकर लड़ाई लड़ी जाती है, तो मैं कहता हूं कि कम संख्या में रहते हुये भी हम किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबिला कर सकते हैं क्योंकि यदि हमारे पास वह साधन नहीं हैं वह आधुनिक वेपन्स नहीं हैं तब भी हम बहुत सी उन चीजों का जो लड़ाई के सिलसिले में संसार के देशों में बरती गई हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का शहर का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हमारे देश का देहात का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि कोई इस प्रकार का संकट उसके देश पर आ पड़े तो क्या वह अपने बीच में गुरिल्ला वारफेयर की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके दुश्मन का मुकाबिला नहीं कर सकता है? मैं समझता हूं कि वह कर सकता है परन्तु वह कर तभी सकेगा जब उसके बीच में वह वातावरण बना रहेगा जो वातावरण हम सबको शक्ति देता है, जो वातावरण हम सबको बल देता है और हम उस शक्ति और बल की बुनियाद पर बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबिला कर सकते हैं। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने-अपने क्षेत्रों में और अपने-अपने स्थानों पर जहां आप रहते हैं और जहां भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आप भ्रमण करें, आप उस वातावरण को हमारे बीच में कायम रखने का प्रयास में हमारे अधिकारियों को सहयोग कीजिये और उन नये विचारों को यदि कोई अधिकारी न मानता हुआ आज भी पुरानी गतिविधि से चल रहा है तो अपनी गतिविधि से उसमें वह जोश पैदा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कीजिये कि वह अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाने की क्षमता अपने अन्दर पैदा करे। इसमें आज देश के नेताओं का, देश के अगुवाओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस कर्तव्य के पालन करने में आप अगुवा बनिये।

यह भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि यदि एक स्वस्थ वातावरण हमारे बीच में बना रहे तो उसके बनाने में जैसा कि कई मर्तबा प्रधान मंत्री जी कह चुके हैं और मैंने भी कई अवसरों पर कहा है, इस बात की आवश्यकता है कि आज जो चीजें बाजार में बिक रही हैं उनकी कीमत न बढ़ने पाये और सरकार को मजबूर न किया जाय कि वह राशनिंग की व्यवस्था हमारे बीच में लाये, कंट्रोल की व्यवस्था को हमारे बीच में चलाये जो कभी-कभी ऐसे अवसरों पर आवश्यकीय हो जाती है। इस कारण से कि जब चीजों की कमी हो जाती है चीजों की कीमत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो नियंत्रण करने की जरूरत पड़ती है भले ही वह नियंत्रण दोषों से भरा क्यों न हो। हम जानते हैं कि जब नियंत्रण आता है तो वह अपने साथ दोष भी लाता है। इसके पूर्व दूसरे महायुद्ध के समय हमारी नजरों से वह समय गुजर चुका है। उससे बचने के लिये आज इस बात की आवश्यकता है कि जो वहाँ पर अगुआ है, जनता का प्रतिनिधि है वह और लोगों के सहयोग से उस वातावरण को हमारे बीच में बनाये जिससे चीजों की कीमतें बढ़ने न पायें और सरकार को नियंत्रण लगाने की आवश्यकता न पड़े।

आज इस बात की भी आवश्यकता है कि ऐसे तत्व हमारे बीच में इस लड़ाई के दौरान में और आज की परिस्थिति में उभरे हुये दिखाई पड़ सकते हैं जो तत्व अनसोशल हैं, जो वह कार्य करना चाहेंगे जो उनके मतलब का होगा जैसे कि कोई डकैती है, कोई चोरी है या कोई और तरह की कार्यवाही है जिससे लोगों का मोरेल घटे। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमको काबू पाना है और वह काबू तभी पा सकते हैं कि जब अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकारियों से सहयोग लेना चाहें और उनका सहयोग लेकर ऐसे तत्वों को दबाने की चेष्टा करें। जैसे हमारे बीच में किसी भी दिशा में कोई पंचमाँगी तत्व है जो दुश्मन की सहायता करना चाहता है, जो दुश्मन से मुहब्बत रखता है, जो दुश्मन का रेडियो रोज सुनकर प्रसन्न होता है तो उनके लिये आज इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे पंचमाँगी तत्वों के ऊपर भी हम ताक रखें और उस पर हम उन अपने अधिकारियों का सहयोग लें और अपना सहयोग उनको दें ताकि इस प्रकार के व्यक्तियों की तलाश में वह रहें। हमारे डी० आई० आर० में इस प्रकारकी व्यवस्था है कि जो ऐसे पंचमाँगी तत्व हैं, जो दुश्मन की कार्यवाही से खुशी लेते हैं चाहे इस पड़ोसी देश का हो और चाहे पड़ोसी देश का हो उसमें प्रसन्नता का अनुभव उनकी बातों को सुनकर करते हैं और उसमें खुश होते हैं कि हमारे देश में गड़बड़ हो, हमारे देश की हार हो तो ऐसे तत्वों के ऊपर भी आज सब लोगों के सहयोग से अधिकारियों को नजर रखना है और ऐसे व्यक्तियों की जहाँ भी आपकी जानकारी में आजाय, उसकी सूचना उनको देनी है और आपको उनको बताना है जिससे अधिकारी सतर्क रहें और जो इस चीन से लड़ना चाहते हैं और उसको सबक देना चाहते हैं वह भी सचेत रहें और सतर्क रहें। जो हमारे बार्डर्स हैं उनको हम अपनी तरफ से सुरक्षित रखने के लिये और उन क्षेत्रों में बहुत से काम करने के लिये हम स्ट्रीम लाइन करना चाहते हैं। जैसा हमारे मित्र ने सुझाव दिया था कि तजुर्बेकार अधिकारियों को हम विभिन्न स्थानों पर रखें। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं। हमारी कैबिनेट ने एक सब-कमेटी बनाई है। वैसे तो सारी कैबिनेट सारे विषयों पर विचार करती है लेकिन वह सब कमेटी जो हमारी होगी वह फौजी बातों पर विचार करेगी और विचार करने के बाद यदि आवश्यक होगा तो उनको कैबिनेट के सामने रखेगी। यह केन्द्रीय कमेटी, जिसमें सार्वजनिक कार्यकर्ता और उनके प्रतिनिधि केन्द्रीय स्तर पर रखने की बात कही वह समय-समय पर उससे.....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है तो उसके लिये भी एक कमेटी बने।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं बता रहा हूं। तो जिस कमेटी की चर्चा मैंने किया वह तो केन्द्रीय स्तर पर होगी लेकिन जो कमेटी जिले के स्तर पर होगी उस कमेटी में सार्वजनिक कार्यकर्तागण होंगे। उनके समक्ष समय-समय पर जो विषय आयेंगे जिसके ऊपर हमको सलाह लेना होगा तो हम उस कमेटी के सदस्यों के द्वारा समय-समय पर आपस में बैठकर सलाह लेते रहेंगे जो रुपया जमा हो गया है वह कैसे व्यय हो उसके विषय में भी वह कैसे व्यय होगा उसके लिये सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से और सरकारी प्रतिनिधियों से सलाह ले कर खर्च किया जायगा उतना पैसा जितने के लिये हमको प्रधान मन्त्री से आज्ञा मिल जायगी। एक बात मेरे मित्र तमेश्वर प्रसाद जी द्वारा कही गयी थी और उसका उत्तर उसी समय दे दिया था। हम केन्द्र में रुपया भेजें उस बारे में मैंने बतलाया था कि हमारी और उड़ीसा की स्थिति में अन्तर है। उड़ीसा को न तो बार्डर का प्राबलम है और न उसे कोई अपनी बटालियन्स ही तैयार करनी हैं। हमें एक भारी संख्या में अपनी बटालियन्स को रिक्रूट करना है और उसमें मैं समझता हूं कि हमारे साथियों का पूरा सहयोग रहेगा।

इस के अतिरिक्त और बहुत सी बातें रेडियो के ब्राडकास्ट में आ जायंगी। मैंने जो बात रखी है उसमें मैं बहुत बारीकियों में नहीं गया हूं। मैं उनको समय-समय पर अपने साथियों के सामने रखूंगा और अन्य नेताओं द्वारा वे विभिन्न दल के कार्यकर्ताओं के सामने आयेंगी और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को मालूम होती रहेंगी। मैं अधिक समय न लेते हुए आप सब को फिर धन्यवाद देता हूं और आप सब का आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने मुझे इस अवसर पर बड़ा सहयोग प्रदान किया है जिस सहयोग की बुनियाद पर ही हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं, हमारे अधिकारी उस दिशा में विश्वास के साथ जगह-जगह पर जा सकते हैं और जाकर उन जन प्रतिनिधियों से और जनता से कह सकते हैं कि जहां तक उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का सम्बन्ध है, इसका प्रत्येक निवासी चाहे वह किसी दल से सम्बन्धित हो, हम सब इस विषय में एकमत हैं और हम सब एकमत हो कर चीनियों का उनके विश्वासघात के लिये उनका मुकाबला करना चाहते हैं। और यह बतलाना चाहते हैं कि इस भारतवर्ष ने, जिसने सदा चीन से मैत्री का वातावरण रखा, जिसने सदा चीन की मदद की, जिसने पंचशील और सहअस्तित्व के रास्ते को चीन को दिखलाया, बतलाया, और जिस चीन ने उन विश्वासों की संसार में घोषणा की, उसके बाद उसने जिस प्रकार भारत के साथ विश्वासघात किया है, उसके लिये देशवासियों के सहयोग से हम संसार में फिर एक बार प्रकाशित और प्रसारित कर सकेंगे और संसार यह समझ सकेगा कि चीन ने जो दुष्टता की है और जो संसार में अपना सानी नहीं रखती, उस कार्य के लिये चीन को जितना दंडित किया जाय वह कम है और वह हम करेंगे। बस इन चन्द शब्दों के साथ में फिर आप सब साथियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में सदस्यों द्वारा दिये गये धन के संबंध में सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—उठने के पहले मैं एक दो सूचनायें और दे देना चाहता हूं। हमारी महिला सदस्याओं ने मेरे पास अपना एक निश्चय भेजा है कि बजाय १५ दिन के वे अपने पूरे एक मास का वेतन मातृ-भूमि की सुरक्षा के लिये दे देंगी।

इसी प्रकार से माननीय हरीसिंह और माननीय मूल चन्द जी ने भी कहा है कि हमारा पूरा एक मास का वेतन लिया जाय सुरक्षा कोष में।

अब कोई कार्य नहीं है। अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिये।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३५ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ नवम्बर, १९६२

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६२ पर)

I M M E D I A T E

No. 6193-A/IS—141-1961

FROM

SRI BHUPENDRA BIR SINGH,
UP SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN.

TO

THE ZILADHISH,
GORAKHPUR/DEORIA/AZAMGARH/BALLIA/BASTI
BAHRAICH/BARA BANKI/GONDA.

Dated Lucknow, October 10, 1962

Subject—**Grant of stipends for tuition fees and subsidy for purchase of books to the poor and deserving students hailing from the areas affected by floods and water-logging.**

SIR,

RAJASWA (ABHAV) VIBHAG.

I am directed tos ay that the reports received by Government indicate that due to recent heavy rains and consequent floods and water-logging, severe damages have been caused to crops and property in the affected areas. Many of the affected persons may not be in a position to bear the cost of education of their wards reading in schools or colleges.

2. The Governor has, therefore, been pleased to sanction an *ad hoc* allotment, as detailed on the margin, for your district. A suitable amount from this allotment will be placed by you at the disposal of the District Inspector of Schools in your district for granting suitable stipends in the nature of distress flood relief grants at a rate not exceeding Rs.10 (Rupees ten) only per month per head (but not exceeding the monthly tuition fee in any case), and subsidy for purchase of books to such poor and deserving students whose parents or guardians reside in flood affected areas and have actually suffered severe loss by floods or water-logging and are not in a position to pay the tuition fee of their wards and also to purchase books for them. These stipends will be available to students who are reading in District Board Schools, Higher Secondary Schools and Intermediate Colleges in your district for a period of four to five months or such lesser period as may be considered necessary by the District Inspector of Schools concerned. The remaining amount from the allotment may be utilized by you for allowing similar stipends for tuition fees and subsidy for purchase of books to the really poor or deserving students in the graduate and post-graduate classes of Universities or their affiliated colleges and

		Rs.
1.	Gorakhpur	20,000
2.	Deoria	20,000
3.	Azamgarh	20,000
4.	Ballia	20,000
5.	Basti	20,000
6.	Bahraich	20,000
7.	Barabanki	10,000
8.	Gonda	10,000
	Total	1,20,000

hailing from areas affected by floods and water-logging of your district in case any demand is received by you in this connection from the Vice-Chancellors of the Universities in the State where such students may be studying.

3. I am to add that the heads of the educational institutions concerned may be requested to prepare and submit a list of such students to the District Inspector of Schools concerned who will scrutinize the list, sanction necessary stipends and place the amount at the disposal of the head of the school or college concerned. The District Inspector of Schools will be required to furnish to you, by February 1, 1963, a certificate of utilization to the effect that the entire grant placed at his disposal has been disbursed and utilized for the purpose it was meant. The balance, if any, which remains unutilized shall be refunded by him to you, which should be deposited by you into the treasury before February 15, 1963 under the same head from which it was drawn, i.e. the head mentioned in para 4 of this G O. Such certificates may kindly be obtained in duplicate and from the District Inspector of Schools and one copy be submitted to Government along with figures of the balance, if any, that may have been refunded into the treasury, *by February* 15, 1963, *positively*. In case any funds are sanctioned to the students of degree colleges and University necessary utilization certificates may also be obtained from the heads of these institutions by the date specified above.

4. The charge should be debited to the sub-head "(b)—Gratuitous Relief"subordinate to the major head "64—Famine Relief—Non-Plan—A—Famine Relief" in the budget for the current financial year. Since the ad hoc allotment being sanctioned here is out of the advance obtained from the U. P. Contingency Fund, it is subject to rule 7 of the U. P. Contingency Fund, Rules, 1962 published with notification no. B-953/X—129-52, dated March 23, 1962, The advance from the U. P. Contingency Fund has been authorised *vide* O. M. no. 2535/15—767-61, dated September 12, 1962.

5. I am further to add that you may kindly so arrange the distribution of the amount through the District Inspector of Schools concerned that the expenditure does not exceed the allotment being placed at your disposal,

Yours faithfully,
BHUPENDRA BIR SINGH,
Up Sachiv.

VITTA VIBHAG
No. 6193-A(i)/IS of date

COPY forwarded to the Accountant General, U. P., Allahabad, for information and necessary action.

By order,
G. C. PANDE,
Anu Sachiv.

SHIKSHA VIBHAG
No. 6193-A(ii)/IS of date

COPY forwarded to the Director of Education, Uttar Pradesh, Allahabad, for information with the request that suitable instructions in the light of the above, may please be issued to all the District Inspector of Schools concerned under intimation to Ziladhish of the district and Government in Scarcity and Education Departments.

2. Copy forwarded for information and necessary action to the Vice-Chancellor of the Allahabad University/ Lucknow University/Gorakhpur University/ Agra University/Banaras Hindu University/Kashi Vidyapith, Varanasi/Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi/Aligarh Muslim University, Aligarh.

By order,
D. N. JOSHI,
Up Sachiv.

RAJASWA (ABHAV) VIBHAG
No. 6193-A(iii)/IS of date

COPY also forwarded for information to—

(1) The Ayukta, Gorakhpur Division/Varanasi Division/Faizabad Division/Gorakhpur/Varanasi/Faizabad.

(2) The Sachiv, Rajaswa Parishad, U. P., Lucknow.

(3) Education (E) (C)/Finance (E-1) Departments of the Secretariat.

(4) Budget File.

By order,
BHUPENDRA BIR SINGH,
Up Sachiv,

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६९ पर]

क्रम संख्या	नाम ग्राम	गिरे घरों की संख्या	तादाद रुपया सब० सी० डी०	तकावी
१	गरयाकोल	४	४५०·००	३,२००·००
२	बाड़ीहा	५	३७०·००	१२०·००
३	नोवां पट्टी	७	..	८४०·००
४	डेरवा	२५	..	२२०·००
५	डुमरी	३	..	..
६	सेमरा खुर्द	११	१२०·००	..
७	सेमरा बुजुर्ग	..	२२०·००	६६०·००
८	मफवलिया	४५	..	..
९	असवन्दपार	२	८०·००	१,०३०·००
१०	बुढ़नपूरा	२	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७३ पर)

तालिका 'क'

श्री गांधी महाविद्यालय मलयनगर मलय बलिया में सितम्बर १९५९ में नियुक्त अध्यापकों के नाम :

१—श्री कुलदीप सिंह
२—श्री गोरखप्रसाद
३—श्री पारस नाथ सिंह
४—श्री शिवशंकर श्रीवास्तव

तालिका 'ख'

गांधी महाविद्यालय, मलय, जिला बलिया में मई, १९६० की सेवा से मुक्त किये अध्यापकों के सम्बन्ध में सूचना

निकाले गए अध्यापकों के नाम	ग्रीष्मावकाश का वेतन दिया गया अथवा नहीं
१—श्री दयाशंकर सिंह ..	.. दिया गया है
२—श्री राम कृपाल उपाध्याय ..	.. दिया गया है
२—श्री कुलदीप सिंह ..	.. नहीं
४—श्री गोरख प्रसाद ..	.. नहीं
५—श्री पारस नाथ सिंह ..	.. नहीं
६—श्री शिव शंकर श्रीवास्तव ..	.. दिया गया है
७—श्री रविन्द्रनाथ सिंह ..	.. नहीं
८—श्री बलिराम सिंह ..	.. नहीं
९—श्री मुक्तेश्वर प्रसाद तिवारी ..	.. नहीं
१०—श्री बागीश पान्डेय ..	.. नहीं

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर)

क्रम-संख्या	नाम		नियुक्ति का स्थान
१	श्री पी० एस० सिनहा	..	अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मैनपुरी ।
२	श्री एस० एन० पंजावनी	..	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ ।
३	श्री के० सी० श्रीवास्तव	..	अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ई/एम, मेरठ ।
४	श्री एस० सी० दास	..	अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हल्द्वानी ।
५	श्री जे० बी० माथुर	..	वैयक्तिक सहायक, मुख्य अभियंता (कम्युनिटी प्रोजेक्ट)
६	श्री एस० पी० सक्सेना	..	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग अल्मोड़ा ।
७	श्री कमल सिंह	..	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग मेरठ ।
८	श्री एस० सी० भार्गव	..	इडट्रीज डिपार्टमेंट में डिपोटेशन पर है कानपुर ।
९	श्री चन्द्रनारायण शुक्ला	..	अधिशासी अभियन्ता मेडिकल कालेज डिवीजन कानपुर ।
१०	श्री वी० के० अग्रवाल	..	अधिशासी अभियन्ता (ट्रेनिंग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
११	श्री जे० पी० भार्गव	..	वैयक्तिक सहायक मुख्य अभियन्ता (टेक्निकल) सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ का चार्ज लेने वाले हैं ।
१२	श्री ओम् प्रकाश	..	अधिशासी अभियन्ता स्थाई खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर)

सूचना

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सरकार राज्य ने निम्नलिखित रेलवे लाइनों को प्रदेश में निर्माण करने के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग की है—

(१) रामपुर लालकुंआ काठगोदाम (६० मील)
(२) एटा-कांसगंज (१५ मील)
(३) सहजनवां-बड़हलगंज (४२ मील)
(४) शाहगंज-जंघई (४६ मील)
(५) चौबेपुर-बिठूर (५ मील)
(६) उन्नाव-बछरावां (४६ मील)
(७) खतौली-मवाना-हस्तिनापुर (२२ मील)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८७ पर)

१४ वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में उल्लिखित वर्णन

शिकायती-पत्र दिनांक १-९-१९६२ की मुख्य बातें निम्नवत् थीं:—

१—प्रधान अध्यापिका प्रतिदिन स्कूल नहीं आती हैं।

२—प्रश्नगत स्कूल की एक सहायक अध्यापिका जो प्रधान अध्यापिका की पुत्री हैं अक्सर गैर-हाजिर रहती हैं।

३—उक्त सहायक अध्यापिका ने गत वर्ष बिना अनुमति प्राप्त किये बी० ए० (प्रथम वर्ष) की परीक्षा दी।

४—बालकों के एक स्थानीय इन्टर कालेज के कुछ अध्यापक प्रश्नगत स्कूल में अंग्रेजी व साइन्स पढ़ाने आते हैं।

५—प्रश्नगत स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने यह घोषणा की है कि उनका स्थानान्तरण नहीं हो सकता, क्योंकि निरीक्षक वर्ग उनसे प्रसन्न हैं।

आरोपों की जाँच की गई और केवल यही अनियमितता पाई गई कि प्रश्नगत स्कूल की एक सहायक अध्यापिका प्रधान अध्यापिका की पुत्री हैं। यह अनियमितता और उक्त सहायक अध्यापिका का त्याग-पत्र अन्तरिम जिला परिषद् के विचाराधीन है।

अवर पदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०४ का उत्तर पृष्ठ पीछे ७८९ पर)

अनुसूची (ग)

तृतीय श्रेणी की नदियों अर्थात् गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, चौका, राप्ती, गंडक, टोस रामगंगा (बरेली से नीचे की ओर) और गोमती को छोड़कर उत्तर प्रदेश की समस्त नदियों, नालों और चश्मों (streams) के नौका घाटों पर लिये जाने वाले पथकर की सूची।

क्र. सं.	विवरण	दर
१	प्रत्येक पद यात्री, भेड़, बकरी, सुअर, बन्दर, भालू और सामान जिसमें पक्षी भी सम्मिलित हैं, जो कि किसी वाहन में या पशु पर न हो (प्रतिमन)	रु० ०५
२	प्रत्येक गदहा, यदि लदा हुआ हो या उस पर कोई सवार हो। प्रत्येक टट्टू खच्चर, भैंसा या बैल यदि लदा हुआ न हो? प्रत्येक काँवर या बंहगी के एक वाहक के साथ, यदि लदी हुई हो। बिना दबाई हुई (unpres-pes cotton) जोकि किसी गाड़ी या पशु पर न हो (प्रतिमन)। प्रत्येक साधारण बाइसिकिल या ट्राइसिकिल मय सवार के ..	.१०
३	प्रत्येक साइकिल रिक्शा मय चालक के लदा हुआ, बिना लदा हुआ या यात्रियों के सहित। प्रत्येक भैंस, बैल, खच्चर या टट्टू यदि लदा हुआ हो या उस पर कोई सवार हो	.३०
४	प्रत्येक ऊंट या घोड़ा, लदा हुआ हो, बिना लदा हुआ हो या उस पर कोई सवार हो। प्रत्येक पालकी डोला, पालना या तामजान दो वाहकों के सहित	.३०
५	प्रत्येक गाड़ी, वाहन (carriage) या ठेला जो मनुष्यों द्वारा या तीन या उससे कम पशुओं द्वारा चलाया जा रहा हो, लदा हुआ, बिना लदा हुआ या यात्रियों के सहित हो	.५०
६	प्रत्येक गाड़ी या वाहन (carriage) जो तीन से अधिक पशुओं द्वारा चलाया जा रहा हो, लदा हुआ, बिना लदा हुआ या त्रियों के सहित हो, प्रत्येक पालकी, डोला, पालना या तामजान तीन या उससे अधिक वाहकों के सहित, प्रत्येक आटो-मोटर वाइसिकिल चालक को सम्मिलित करके	.६०
७	प्रत्येक ट्रेलर या ट्रक जो किसी मोटरकार से संलग्न हो, लदी या बिना लदी हुई प्रत्येक मोटर साइकिल मय साइड कार या ट्रेलर के, चालक को सम्मिलित कर के, प्रत्येक मोटर ट्राइसिकिल चालक को सम्मिलित करके	.९०
८	प्रत्येक हाथी लदा, बिना लदा हुआ या जिस पर कोई सवार हो, प्रत्येक मोटरकार, पिकअप, स्टेशन वैगन या ट्रैक्टर। किसी ट्रेलर के लिये ७ के अधीन अलग से कर लिया जायगा	१.५०
९	मोटर लारियां, ट्रकें, जो १२ यात्रियों तक को ले जाने या एक टन सामान ले जाने की क्षमता रखती हों, लदी, बिना लदी या यात्रियों के सहित	३.००

क्र०सं०	विवरण	दरें
१०	मोटर लारियां या ट्रकें जो १२ यात्रियों से अधिक या एक टन से अधिक सामान ले जाने की क्षमता रखती हों, लदी हुई, बिना लदी हुई यात्रियों सहित।	रु० ४.५०
११	स्टीमर के लोअर डेक में या पावर बार्ज (Powerbarge) में या यन्त्र-चालित नौकायें या डग से खींची जाने वाली नौका में या स्टीमर या यन्त्र-चालित नौका में प्रत्येक यात्री प्रत्येक फेरे (trip) के लिये	.२५
१२	स्टीमर के अपर डेक में प्रत्येक यात्री प्रत्येक फेरे के लिये ..	.५०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९० पर)

मैनपुरी जिले में तहसीलवार अस्थायी अमीनों की संख्या

तहसील	अस्थायी अमीनों की संख्या
१—मैनपुरी	६
२—शिकोहाबाद	५
३—भोगांव	१३
४—असराना	७
५—नरहल	५
योग ..	३६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न १२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९१ पर)

नं०	तिथि	ठेकेदार का नाम	मील नं०	विवरण
१	२	३	४	५
१	९–१२–५८	श्री निर्भीक नारायण सिंह	९, १० व १२	मिट्टी का कार्य
२	९–१२–५८	श्री राधा किसन खखार ..	११	,, ,,
३	२४–१२–५८	श्री राधाकिसन सिंह ..	१३	,, ,,
४	३१–१२–५८	श्री निर्भय नारायन सिंह ..	१०	कंकड़ का कार्य
५	३१–१२–५८	श्री मोती लाल राम ..	१३	,, ,,
६	२–१–५९	श्री रामजतन राम ..	१२	,, ,,
७	२०–२–५९	श्री हरिहर सिंह ..	९ और ११	,, ,,
८	२७–६–५९	श्री हरिहर प्रसाद ..	७ से ९	पुलिया का कार्य
९	१–७–५९	श्री उमाशंकर पाठक ..	९ से १७	मिट्टी का कार्य
१०	१–७–५९	श्री मारकंडे सिंह ..	११	,, ,,
११	२३–७–५९	श्री जटाधारी पाठक ..	१०	,, ,,
१२	१२–८–५९	श्री अमीरचन्द्र सिंह ..	१२–१६	,, ,,
१३	२९–९–५९	श्री महेन्द्र नाथ शर्मा ..	५ से ९	पुलिया का कार्य
१४	१०–५–६०	श्री महेन्द्र नाथ शर्मा ..	९	कंकड़ का कार्य
१५	२६–१०–६०	श्री जटाधारी पाठक ..	११	,, ,,
१६	२६–१०–६०	,, ,,	१२	,, ,,
१७	२६–१०–६०	,, ,,	१०	,, ,,
१८	१२–११–६०	श्री विक्रमा सिंह ..	९, १३, १९, २०	पुलिया का कार्य
१९	४–२–६१	श्री गौरीशंकर ..	९	मिट्टी का कार्य
२०	६–२–६१	श्री नकछेदी प्रसाद ..	१७	,, ,,
२१	२२–१–६२	श्री विक्रमा सिंह ..	१६	सीधाराट ईंटा भराई
२२	२२–१–६२	श्री बालेश्वर राम ..	१०	कंकड़ का कार्य
२३	१८–१–६२	श्री महेन्द्र नाथ शर्मा ..	९	,, ,,
२४	१२–१–६२	श्री शिवदयाल शर्मा ..	९	मिट्टी का कार्य
२५	१६–२–६२	श्री हरिशंकर पाठक ..	१२	कंकड़ का कार्य
२६	२९–१–६२	श्री विक्रमा सिंह ..	१७	सीधा राट ईंटा भराई
२७	६–२–६२	श्री गोरखनाथ ..	१३	कंकड़ का कार्य
२८	३१–५–६२	श्री राम नाथ राम ..	९	मिट्टी का कार्य
२९	२५–२–६२	श्री विक्रमा सिंह ..	१५	कंकड़ की भराई

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५१–५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०० पर)

जिला फजाबाद में १९५४ से १९६२ तक लगान की मांग, उसकी वसूली तथा वसूली के लिये शेष लगान का तहसीलवार ब्योरा

वर्ष	तहसील		लगान की मांग	वसूली	शेष
			रु०	रु०	रु०
१९५४-५५	फैजाबाद	..	९,४०,९७८	७,०७,३९९	२,३३,५७९
	अकबरपुर	..	१४,१६,२९१	१२,२३,३५७	१,९२,९३४
	बीकापुर	..	११,९५,८८४	९,९६,११३	१,९९,७७१
	टांडा	..	८,९३,५१०	८,१२,२८५	८१,८२५
	योग	..	४४,४६,६६३	३७,३९,१५४	७,०७,५०९
१९५५-५६	फैजाबाद	..	९,९६,३३८	६,२२,८०१	३,३७,५३७
	अकबरपुर	..	१४,५६,४२१	१०,१८,२९८	४,३८,१२३
	बीकापुर	..	१२,६२,९२८	१०,९९,६९९	१,६३,२२९
	टांडा	..	९,१४,४०४	८,८०,५५७	३३,८४७
	योग	..	४६,३०,०९१	३६,२१,३५५	१०,०८,७३६
१९५६-५७	फैजाबाद	..	१२,५९,३१६	६,१२,०४३	४,७०,७६०
	अकबरपुर	..	१५,९५,५०१	११,५९,१९०	२,८३,२४२
	बीकापुर	..	१४,७१,१९१	७,२२,२७४	४,९२,३३४
	टांडा	..	१०,०८,९११	५,९४,९७६	२,०२,२२३
	योग	..	५३,३४,५१९	३०,८८,४८३	१४,४८,५५९
१९५७-५८	फैजाबाद	..	१४,७९,३५५	३,२२,०६१	६,१२,८२३
	अकबरपुर	..	१६,८६,४२६	५,५६,७८९	४,४४,६०१
	बीकापुर	..	१५,२४,३१८	४,२१,१८६	५,८०,३५२
	टांडा	..	१०,५२,१७२	५,२१,७८०	२,१३,३३१
	योग	..	५७,३२,२७१	१८,२१,८१६	१८,५१,१०७
१९५८-५९	फैजाबाद	..	१९,१९,९२९	७,९७,०१६	६,९०,६६७
	अकबरपुर	..	२३,८३,८५४	१०,७१,४८२	६,९४,७८२
	बीकापुर	..	२२,५९,३१७	६,८१,६४५	१०,४३,५२८
	टांडा	..	१२,२४,९३१	७,८५,३४९	४,१५,४७१
	योग	..	७७,८८,०३१	३३,३५,४९२	२८,४४,४५५

वर्ष	तहसील	लगान की मांग	वसूली	शेष
		रु०	रु०	रु०
१९५९–६०	फैजाबाद ..	१७,७०,३९२	८,३६,४७५	४,९८,७४४
	अकबरपुर ..	२३,२१,५००	११,०२,७२६	५,८७,१३८
	बीकापुर ..	२५,२१,६२५	१०,०२,१२४	९,४७,४२५
	टांडा ..	१४,५७,०५८	७,१३,८०९	३,६१,९८५
	योग ..	८०,७०,५७५	३६,५५,१३४	२३,९५,२९२
१९६०–६१	फैजाबाद ..	१५,४७,३१४	१०,८१,४१५	४,६५,८९९
	अकबरपुर ..	२०,३६,८८२	१५,५३,३७६	४,८३,५०६
	बीकापुर ..	२२,४५,७११	१३,८७,४४७	८,५३,७९०
	टांडा ..	१२,९५,२१२	१०,०१,६७९	२,९३,५३३
	योग ..	७१,२५,११९	५०,२३,९१७	२०,९६,७२८
१९६१–६२	फैजाबाद ..	१४,८३,७६४	११,३२,५३२	३,४५,६९६
	अकबरपुर ..	१९,४२,५५९	१५,९०,०८४	३,५२,४७५
	बीकापुर ..	२१,५२,४९०	१४,३७,९५५	७,१४,५३५
	टांडा ..	१२,०९,९४३	१०,४५,४१७	१,५१,६४७
	योग ..	६७,८८,७५६	५२,०५,९८८	१५,६४,३५३

नोट—(१) जहां पर लगान में छूट दी गई उस रकम को शेष वसूली में से हटा दिया गया है।

(२) सन् १९५२–५३ की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

वन्दन पब्लिकेशन्स

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८६ का उर पीछे पृष्ठ ८०३ पर)

स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की सूची जो जालौन जिले के सदर कार्यालय तथा चारों तहसीलों में कार्य कर रहे हैं

	सदर कार्यालय		तहसील कार्यालय	
	स्थायी कर्मचारी	अस्थायी कर्मचारी	स्थायी कर्मचारी	अस्थायी कर्मचारी
१—कार्यालय कलेक्टरी सदर	३१	२०	१५	१४
२—कलेक्शन विभाग ..	..	३	६१	७२
३—जमींदारी उन्मूलन विभाग	..	१	..	१५
४—सीलिंग विभाग ..	..	२	..	..
५—भू-लेख विभाग ..	१	१	२४२	७३
योग ..	३२	२७	३१८	१७४

अविशान सभा प्रदेश

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०३ पर)

तालिका

(प्रश्न ९० के प्रथम खंड से सम्बन्धित)

क्रमांक सख्या	ब्लाक का नाम	नदी व नाले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन-संख्या	सहायता जो दी गई				
					तकावी	अग्रेतुक सहायता	गल्ला जो बंटा	नमक	मिट्टी का तेल
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					रु०	रु०	म० से०	म० से०	टिन
				तहसील देवरिया					
१	पथरदेवा ..	छोटी गंडक खनवा	५१	३५,२४७	२८,३४५	..	१७७–३७	..	२५
२	कसमा ..	छोटी गंडक	३७	२२,४५५	२३,०२०	..	२५४–७	..	३८
३	देसही देवरिया..	छोटी गंडक	६१	३५,४५२	३६,३८०	..	७०३–२१	१४२–९	२
४	अरखाना रामपुर	छोटी गंडक	६९	४१,५९४	२५,५००	..	६६४–५	११९–२	८५
५	देवरिया ..	छोटी गंडक, कुर्ना नाला	१९	९,९९८	४,२४५	४०	१६६–१३	२५०–२	१६
६	रुद्रपुर ..	राप्ती, गोर्रा, बथुआ, कुर्ना	१५१	५७,८९९	२,९८०	४१०	१३३९–६	२१०–६	१७४
७	बेतालपुर ..	नकटा, कुर्ना नाला	१९	३,७९४	..	..	१५–३९	२–४	३
८	गौरी चमार बथुआ	..	४	३२४	..	..	..	..	..

अनुसंधान विभाग संग्रह

(प्रश्न ९० के प्रथम खंड से सम्बन्धित)

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	नदी व नद व नाले का नाम	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जन संख्या	सहायता जो दी गई				
					तकावी	अहेतुक सहायता	गल्ला जो बंटा	नमक	मिट्टी का तेल
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
					रु०	रु०	म० से०	म० से०	टिन
				तहसील पडरौना					
९	बिशुनपुरा ..	गंडक, बांसी, खनुआ और पानी जमाव	५०	१०,१२७	..	..	..	..	..
१०	पडरौना ..	,,	२०	९,५८३	..	..	..	..	..
११	कसयां ..	,,	१८	६,५१२	४०,०००	२,३९०	१९३–२३	३४	११
१२	फाजील नगर ..	,,	२०	१०,०५५	..	..	..	..	..
१३	तमकुही ..	,,	३७	१६,७०२	..	..	..	..	..
१४	पुवही ..	,,	१८	२४,१८५	..	..	..	..	..
१५	सेवरही ..	,,	४०	८,९९६	..	..	..	..	..
				तहसील हाता					
१६	हाटा ..	छोटी गंडक	६०	४७,३१३	४,५००	..	९३५–२	६७–८	९६
१७	मोतमिक ..	,,	३८	३३,६२१	३,४००	..	५६९–१५	५७–१२	५२
१८	रामकोला ..	,,	१४	८,६८५	८००	..	५६२–२५	३६–४	४८
१९	करवानगंज ..	,,	२९	२५,७०२	२,६००	..	३२८–९	३७–३८	३९
२०	नौरंगिया ..	,,	३४	५,७३८	१,४००	५६०	३००–२१	३६–२२	२७
२१	खड्डा ..	,,	७१	२४,२१७	१,२२०	७६०	२६३–००	३३–००	१५
		बड़ी गंडक							

अतारांकित प्रश्न उत्तर प्रदेश विधान सभा

तहसील सलीमपुर

२२	बरहज	..	घाघरा, राप्ती, कुर्ना	३२	१८,२७५	२१,९७५	२७०	६९३–१७	८२–२०	५९
२३	भागलपुर	..	घाघरा, नाला जमुआर, कसली ..	७०	२१,४८२	७७५	..	२३९–२४	२–२०	..
२४	लार	..	घाघरा, छोटी गंडक	८६	३४,३२२	२५,२६०	..	८०६–१५	८३–२०	५१
२५	सलीमपुर	..	छोटी गंडक, कोइलार नाला	८२	१५,८७४	१४,८६५	..	३६४–८	२१–००	१०
२६	भटनी	..	छोटी गंडक, खनवा	१०२	२०,८६२	..	..	३५५–३९	४२–३०	२९
२७	भाटपार	..	,,	१११	२६,४५३	७,०००	..	३७९–३७	७२–२०	२७
२८	बनकटा	..	,,	१३	२,९५७	..	..	३२–२०	..	..

प्रोटेक्टेड विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिए पीछे पृष्ठ ८०९ पर।)

श्री चन्द्रबली द्वारा पूछे गये २१ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
४७—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागों पर कब से लगान लगाया गया है? और उससे उत्तर प्रदेश सरकार को कितना और राजस्व बढ़ा है।	४७—बागों पर कोई नया लगान नहीं लगाया गया है अतएव इस कारण राजस्व बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२२५ एल० ए०—१९६३—८३०।